"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 831] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2019 — कार्तिक 14, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2012/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 682/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2007/11218, दिनांक 11–11–2019 द्वारा आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, प.ह.नं. 137, ग्राम–उपरवारा, तह. –अभनपुर, जिला–रायपुर के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 58 से 61 तथा संशोधित अध्यादेश क्रमांक 1, 2, 10, 13, 16, तथा 51 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., सचिव.

अध्यादेश–1 (पुनरीक्षित)

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और उनका नामांकन

आई टी एम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और नामांकन इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में विनियमित होगा।

परिभाषाएं

(क) "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है ऐसी परीक्षा, जिसको विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. डॉक्टरेट या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हेतु अग्रसरित अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, पात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण करता है।

(ख) "संविभाग" से अभिप्रेत है कोई परिणाम जिसे संबंधित परीक्षण निकाय अर्थात् माध्यमिक शिक्षा का मान्यता प्राप्त मण्डल जैसे सी.बी.एस.ई., आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा राज्य मण्डल आदि द्वारा एक विषय में विद्यार्थी को 'अनुत्तीर्ण' घोषित किया गया हो। ऐसा विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जा सकेगा यदि वह उसी परीक्षा निकाय द्वारा बाद में आयोजित परीक्षा में अंकों का अपेक्षित प्रतिशत अर्जित करता है और उत्तीर्ण घोषित होता है।

(ग) "समकक्ष परीक्षा" से अभिप्रेत है

(एक) माध्यमिक शिक्षा का मान्यता प्राप्त कोई मण्डल, अथवा

(दो) संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संगठन,

(तीन) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो,

द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा ।

(घ) "अंतराल कालावधि" से अभिप्रेत है नियमित विद्यार्थी के रूप में शैक्षणिक संस्थान (कोचिंग संस्थाओं को छोड़कर) में अंतिम उपस्थिति की तिथि और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के बीच की कालावधि।

1. प्रवेश हेतु पात्रता

1.1 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के अधीन प्रवेश हेतु कोई व्यक्ति तब तक पात्र नही होगा, जब तक कि वह माध्यमिक शिक्षा मण्डल से कक्षा (10+2) परीक्षा या समय–समय पर विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् द्वारा परीक्षाओं के समतुल्य माने गये परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो।

1.2 विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा, राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, परंतु यह कि विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास विधिमान्य अर्हता होनी चाहिए।

1.3 किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पूर्व स्नातक डिग्री परीक्षा या विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर समकक्ष डिग्री के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो और ऐसी और अर्हता धारण करता/करती हो, जैसा कि एआईयू के मानदण्ड के आधार पर अध्यादेश द्वारा विहित किया जाये।

1.4 परंतु यह कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नही होगा, जब तक कि वह वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र (10+2) पाठयक्रम के पश्चात तीन वर्षीय पाठयक्रम उत्तीर्ण न हो।

1.5 विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थयों को विद्या परिषद् द्वारा उसके लिए विहित एवं समय–समय पर विवरणिका में प्रकाशित शर्तों को पूर्ण करना होगा।

1.6 प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की अधिकतम संख्या का निर्धारण, जहां आवश्यक हो, विभिन्न संवैधानिक निकायों जैसे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, बीसीआई, भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि से अनुमोदन एवं पर्याप्त भौतिक सुविधा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर विद्या परिषद् द्वारा किया जायेगा।

1.7 किसी पाठयक्रम में प्रवेश हेतु, अभ्यर्थी को पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

2. प्रवेश हेतु प्रावधान

2.1 कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के रूप में प्रवेश का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

2.2 प्रवेश की प्रकिया विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जायेगी एवं विवरणिका में प्रकाशित की जायेगी।

2.3 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, समस्त पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, मेरिट और/या प्रवेश परीक्षा के आधार पर विद्या परिषद द्वारा समय समय पर विहित प्रत्येक संवर्ग में उक्त प्रयोजन के लिए गठित अथवा कुछ विशिष्ट पाठयक्रम जैसे बीई बीएड में प्रवेश के लिए, जैसी भी स्थिति हो, शासकीय निकाय द्वारा गठित प्रवेश समिति द्वारा दी जायेगी।

2.4 प्रत्येक सेमेस्टर के शुरूआत में या विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

2.5 प्रवेश हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे– (एक) नियमित विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी द्वारा अंतिम उपस्थिति का संकाय/विभाग प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। (दो) मूल प्रति, जिसे सत्यापन के पश्चात् लौटा दिया जायेगा, के साथ अंकसूची की सम्यक प्रमाणित छायाप्रति जिससे दर्शित होगा कि आवेदक, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और विद्यार्थी जो स्वाध्यायी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण है की स्थिति में एक प्रमाण पत्र जिसे दो जिम्मेदार व्यक्ति हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेंगे कि उसका चरित्र अच्छा है। यदि आवेदक प्रवेश हेतु उपरोक्त कथित अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से भिन्न मण्डल से या इस विश्वविद्यालय से भिन्न अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, तो वह पात्रता हेतु विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और/या ऐसे मण्डल या विश्वविद्यालय से आव्रजन प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिती हो, आव्रजन फीस 500/– रूपये के साथ या विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर, जैसा कि निर्धारित की जाये, प्रस्तुत करेगा। यदि इनमें से

कोई दस्तावेज कूटरचित, छेड़छाड़ या असत्य पाया जाता है, तो विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा और उसे विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।

2.6 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन भेजने की रीति, सीधे/काउंसिलिंग के माध्यम से/मार्गदर्शक केन्द्र के माध्यम से/डाक के माध्यम से/विश्वविद्यालय वेबसाइड/ऑनलाईन के माध्यम से हो सकेगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक भारत या विदेश का कोई विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकता है।

2.7 प्रवेश समिति आवेदनों पर कार्यवाही करेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को अनंतिम प्रवेश देगी।

2.8 'संविभाग' परिणाम के साथ विद्यार्थी को किसी पाठ्यक्रम में "अनंतिम" प्रवेश दिया जा सकेगा, यदि अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसमें वह अन्यथा सामान्य रूप से प्रवेश प्राप्त करता/करती, यदि वह ग्रेड को उत्तीर्ण करता/करती। ऐसे प्रवेश का पुष्टिकरण, आईटीएम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रथम परीक्षा, जो विद्यार्थी से लिया जाना अपेक्षित है, के पूर्व उस अर्हकारी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा।

2.9 प्रवेश के समय, प्रत्येक अभ्यर्थी और उसका/उसकी माता–पिता या विधिक पालक से इस आशय का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेना अपेक्षित होगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक और धन संबंधी अधिकारिता के अधीन विद्यार्थी स्वयं को रखेगा।

2.10 कोई विद्यार्थी, जिसने अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता देने वाली निकाय से कोई डिग्री या डिप्लोमा के भाग को उत्तीर्ण किया है, को विनियामक निकाय के दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्या परिषद् द्वारा इसकी समतुल्यता सुनिश्चित करने के पश्चात्, ऐसी परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

2.11 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश, प्रत्येक सत्र के प्रत्येक सेमेस्टर के माह के शुरूआत में या विद्या परिषद् द्वारा सुनिश्चित तिथि पर होगा।

2.12 परंतु जहां प्रवेश के अंतिम तिथि के रूप में विद्या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि या विनिश्चित तिथि में अवकाश का दिन होता है तो अगला कार्य दिवस प्रवेश की अंतिम तिथि होगी।

2.13 परंतु यह और कि कुलपति को, आपवादिक मामलों में, उपरोक्त दी गई प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी, लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, प्रवेश प्रदान करने की शक्ति होगी, उनको यह स्पश्ट रूप से समझाते हुए कि ऐसे सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तारीख से गणना की जायेगी।

2.14 विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पंजीयन की वैधता निम्नानुसार होगी–

(एक) प्रमाणपत्र/एक वर्षीय डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम – 3 वर्ष

(दो) तीन वर्षीय स्नातक पाठयक्रम – 7 वर्ष

(तीन) स्नातकोत्तर उपाधि एवं दो वर्षीय पाठयक्रम – 5 वर्ष

(चार) चार वर्षीय स्नातक पाठयक्रम – 8 वर्ष

(पांच) डेढ़ वर्षीय एम फिल एवं अन्य पाठयक्रम – 3 वर्ष

(छः) 5 वर्षीय एकीकृत पाठयक्रम – 10 वर्ष

2.15 किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश, विशेषीकृत पाठ्यक्रम, जिसमें प्रवेश चाही गई है, में रिक्त सीट की उपलब्धता के अधीन होगी।

3. कतिपय आधारों पर प्रवेश हेतु प्रतिषेध

3.1 किसी भी विद्यार्थी एक साथ, एक से अधिक नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3.2 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई विद्यार्थी अंशकालीन या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेगा, यदि वह अध्यादेश/परिनियम/नियम आदि में अभिकथित प्रावधानों के अनुसार पात्रता मानदण्ड को पूर्ण करता/करती हो।

3.3 विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात् उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेंगे। तथापि, वह उसी संकाय के उच्च पाठ्यक्रम में या उसी स्तर के भिन्न क्षेत्र में अतिरिक्त डिप्लोमा/डिग्री हेतु प्रवेश ले सकता है परंतु वह पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता/करती हो।

3.4 अध्यादेश क्र. 2 में व्यवसायिक पाठयक्रमों की सूची उपबंधित है परंतु व्यवसायिक पाठयक्रम की सूची में अन्य विषय जोड़ने या हटाने का निर्णय समय समय पर विद्या परिषद द्वारा किया जायेगा।

3.5 कोई भी, जिसे विश्वविद्यालय के समक्ष प्राधिकारी द्वारा निलंबित, अस्थायी रूप से निकाला गया हो, रोका गया हो, निष्काषित आदि किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से, रोक दिया जायेगा।

3.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य/अस्पष्ट पाई जाती है तो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

3.7 कोई अभ्यर्थी, जो पूर्ण कालिक नियमित विद्यार्थी के रूप में किसी पाठ्यक्रम में गलत जानकारी के आधार पर प्रवेश लिया है तो विश्वविद्यालय में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में उसके अधिकार को समपहरित कर लिया जायेगा तथा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3.8 कोई विद्यार्थी, जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्काषन की सजा के अधीन हो या परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया गया हो, निष्काषन या अयोग्यता की कालावधि के दौरान इस विश्वविद्यालय के अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जायेगा।

3.9 विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में किसी पश्चातवर्ती उच्च कक्षा में तब तक प्रवेश नही दिया जायेगा, जब तक कि परीक्षा, जिसके लिये वह तैयारी कर रहा है, में उपस्थित होने हेतु अपना अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो।

3.10 कोई विद्यार्थी, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित है, उसे संस्थान के किसी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि वह अर्हकारी परीक्षा के यथा समतुल्य विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित न किया गया हो।

3.11 पूर्वोक्त प्रावधानों से प्रतिकूलता के बिना, किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के किसी कक्षा में प्रवेश, जहां ऐसा कोई सामान्य या विशेष निर्देश द्वारा ऐसी अनुमति आवश्यक हो, कुलसचिव की पूर्वानुमति के बिना नहीं दिया जायेगा।

3.12 स्नातक डिग्री/ऑनर्स पाठ्यक्रम अग्रसरित करने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जब तक कि विशेषीकृत डिग्री परीक्षा हेतु विहित समस्त विषयों में उपस्थित होने हेतु आवेदक तैयार न हो।

3.13 विद्यार्थी, जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग को उत्तीर्ण किया हो, उसे, यथास्थिति, कुलपति या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, किसी संस्थान में ऐसे परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3.14 अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरण पर आ रहे अभ्यर्थियों को, चूंकि उनके माता–पिता/पालक का स्थानांतरण हो गया है, स्थानांतरण आदेश के आधार पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी प्रवेश दिया जायेगा।

3.15 विद्यार्थी, जो सत्र प्रारंभ होने के पश्चात् संस्थान में प्रवेश का इच्छुक है, के द्वारा वर्ष के जून/जनवरी से शुरू हो रहे पूरे सत्र की ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

4. विद्यार्थियों का नामांकन

4.1 संकाय/विभाग/संस्था प्रमुख, प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिवस के भीतर विहित प्ररूप में, प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण, समस्त सुसंगत मूल दस्तावेजों एवं नामांकन फीस के साथ जैसा कि विद्या परिषद समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें, कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

4.2 प्रवेश के समय विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण और आव्रजन प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी।

4.3 नामांकित विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय छोड़ते समय, विश्वविद्यालय की मुद्रा के अधीन नयी स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा आव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

4.4 किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में सही तरीके से नामांकित नहीं हुआ हो।

4.5 यदि कोई विद्यार्थी आव्रजन प्रमाण पत्र अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु लेता है तो विश्वविद्यालय से उसका/उसकी नामांकन ऐसे समय तक समाप्त रहेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के कुछ अन्य परीक्षा को लेने हेतु उस विश्वविद्यालय से आव्रजन प्रमाण पत्र के साथ वापस नही होता/होती है । ऐसे मामलों में नये नामांकन एवं नामांकन शुल्क अनिवार्य होगा ।

4.6 कुलसचिव, विश्वविद्यालय में शोध कार्य या विभिन्न संकायों या संस्थानों में अध्ययनरत सभी नामांकित छात्रों या शोध कार्य कर रहे सभी विद्यार्थियों की एक पंजी संधारित करेगा ।

4.7 उक्त पंजी में, कुलसचिव विद्यार्थी से संबंधित समस्त विवरण, जिसमें जन्म तिथि, प्रवेश की तिथि, संस्था छोड़ने की तिथि तथा उसको प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के विभिन्न परीक्षाओं के बारे में विवरण सम्मिलित होंगे, निगमित करना आवश्यक होगा।

4.8 विद्यार्थियों को नामांकन की सूचना दी जायेगी। नामांकन कमांक जिसमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नामांकन पंजी में उसका नाम प्रविश्ट किया गया है तथा विश्वविद्यालय के साथ समस्त पत्राचार में विद्यार्थी द्वारा उस नामांकन कमांक को उद्धृत किया जायेगा और विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश हेतु पश्चातवर्ती आवेदनों में उद्धृत की जायेगी ।

4.9 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों का, नामांकन पंजी के संदर्भ में, परीक्षण किया जायेगा । परीक्षा नियंत्रक, अभ्यर्थी के आवेदन को जिसमें पूर्ण विवरण नही दिया गया हो, रद्द कर सकेगा तथा विहित समय–सीमा के भीतर अभ्यर्थी को पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज के साथ प्रस्तुत होना होगा ।

4.10 कोई नामांकित विद्यार्थी, विहित शुल्क के भुगतान करने पर नामांकन पंजी में उससे संबंधित प्रविश्टियों की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकेगा ।

4.11 किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश समिति/संस्था प्रमुख द्वारा प्रवेश देते ही उसे जल्द ही संस्था में सदस्य के रुप में नामांकित किया जायेगा और उसके द्वारा विहित शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

5. नाम में परिवर्तन.–

5.1 विद्यार्थी जो नामांकन विभाग के पंजी में अपना नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित संकाय/संस्था प्रमुख के माध्यम से कुलसचिव को आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा –

(एक) विहित शुल्क;

(दो) उसका वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से संबंधित भापथपत्र, जिसमें अवयस्क की स्थिति में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके माता–पिता या पालक द्वारा या वयस्क की स्थिति में स्वयं के द्वारा सम्यक् भापथ दिया गया हो ;

(तीन) समाचार पत्र में प्रकाशित प्रति, जिसमें नाम में प्रस्तावित परिवर्तन को प्रकाशित किया गया हो। तथापि, महिला अभ्यर्थी विवाह के पश्चात् अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती हो तो ऐसी दशा में प्रकाशन से संबंधित प्रावधान लागू नही होंगे ।

कुलसचिव ऐसे आवेदनों पर विचार कर उस पर निर्णय लेगा और विद्या परिषद को रिपोर्ट देगा।

6. विषय परिवर्तन.–

6.1 विद्यार्थी को सामान्यतः पाठ्यक्रम के वैकल्पिक/गौण/विशेषज्ञता के विषयों को बदलने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक वह प्रवेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अनुमति हेतु आवेदन न किया हो। ऐसे आवेदनों को संबंधित विभाग के प्रमुख की सहमति के साथ संकाय के प्रमुख के पास जमा करना चाहिये ।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एवं बालिका श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा ।

7.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/बालिका श्रेणी से संबंधित विद्यार्थी को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विहित निबंधनों, भार्तों और प्रावधानों पर प्रत्येक वर्ष प्रवेश दिया जायेगा ।

टीपः– विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित पुनरीक्षण के संबंध में किसी अस्पश्टता की दशा में, कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

8. प्रवेश समिति.–

8.1 प्रत्येक विभाग से एक सदस्य प्रवेश समिति में सम्मिलित होंगे। कुलपति, आईटीएम विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विभाग संस्था में प्रवेश को

विनियमित करने हेतु समिति के प्रमुख या समन्वयक के रूप में उनमें से एक को नामांकित करेगा।

8.2 समितिः

(एक) विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित प्रवेश की भार्तों के अनुसार अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्रों का परीक्षण करेगी;

(दो) प्रवेश परीक्षा (ओं) और/या साक्षात्कार का या अन्यथा उपबंधित अनुसार संचालन करेगी ;

(तीन) प्रवेश परीक्षा (ओं) के मूल्यांकन के पश्चात्, प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों से, संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या से तीन गुना आमंत्रित किया जायेगा :

परंतु केवल उन अभ्यथियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा जिन्होंने प्रवेश परीक्षा (ओं) में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं ।

(चार) प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगी;

(पांच) समिति के अध्यक्ष या संबंधित संकाय के प्रमुख द्वारा अनंतिम प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी;

(छः) विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर उक्त प्रयोजन हेतु बनाये गये सिद्धांतों के अनुसार प्रवेश को विनियमित करने के कर्तव्य के लिए बाध्य होंगे;

(सात) प्रवेश परीक्षा (ओं) की वि वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार की प्रविधि का सुझाव देगी;

8.3 पदेन सदस्यों के अलावा समिति के सदस्यगण, एक शैक्षणिक वर्ष के कार्यकाल हेतु पद धारित करेंगे ।

8.4 प्रवेश समिति, समय समय पर आवश्यकता अनुसार कुलपति द्वारा गठित किया जायेगा।

8.5 प्रवेश समन्वयक, कुलपति को संसूचना के अध्यधीन विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभाग/संकाय/संस्थान के तीन सदस्यों से अनधिक को सहयोजित कर सकेगा।

8.6 कोरम के लिए समिति के सदस्यों की कुल संख्या, तीन–चौथाई से कम नही होना चाहिये ।

9. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश

9.1 **प्रस्तावना–** ये नियम विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की पात्रता एवं प्रवेश के अवधारण हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

9.2 **कार्यालय–** अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन को संपादित करने हेतु एक 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल' होगी। यह सेल न केवल विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करेगा, अपितु प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं काउंसिलिंग भी उपलब्ध करायेगी।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों से संबंधित समस्त पत्राचार में, संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के सलाहकार को, संबोधित किया जाना चाहिए।

9.3 **अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थीः–** इन मार्गदर्शनों के अधीन 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

एक. विदेशी विद्यार्थी – विदेशी मुल्कों द्वारा जारी पासपोर्ट धारण करने वाले विद्यार्थी, जिसमें भारतीय मूल के लोग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने विदेशी मुल्कों की राष्ट्रीयता अर्जित की है, विदेशी विद्यार्थी के रूप में माने जायेंगे।

दो. अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) – केवल वे अप्रवासी भारतीय विद्यार्थी जिन्होंने विदेशी मुल्कों में विद्यालयों या महाविद्यालयों से अध्ययन किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हों, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे। इसमें विदेशी मुल्कों में स्थित विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे यदि वह भारत में अवस्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से संबद्ध हो किन्तु इन विद्यालयों या

महाविद्यालयों (भारत में अवस्थित) और विदेशी मूल्कों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालयों से संबद्ध में अध्यनरत विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे। भारत में बाह्य विद्यार्थी एवं अप्रवासी भारतीय के रूप में आश्रित हैं, विदेशी मुल्कों में अवस्थित मण्डलों या विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे।

देश में प्रवेश पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की प्रवेश स्तरीय प्रास्थिति को अनुरक्षित रखा जायेगा।

9.4 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अपेक्षित दस्तावेज–

एक. **वीजाः–** समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम को ग्रहण करने हेतु इस संस्थान को पृष्ठांकित करते हुए विद्यार्थी वीसा आवश्यक होगा, अन्य को पृष्ठांकित स्वीकार्य नही होगा। विद्यार्थी जो शोध कार्यक्रम को ग्रहण करने का इच्छुक है, इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीसा अपेक्षित होगा। यह वीसा, पाठ्यक्रम हेतु विहित कालावधि के लिए वैध होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय विद्यार्थियों के लिए वीसा अपेक्षित नहीं है। विद्यार्थी जो किसी अन्य संस्थानों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, अल्पकालिक पाठ्यक्रम ग्रहण करने हेतु पृथक वीसा की आवश्यकता नहीं होगी परंतु यह कि पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण कालावधि हेतु उनका वर्तमान वीसा वेध है।

दो. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र–** समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो किसी शोध कार्य करने का इच्छुक हो या पी.एच.डी. या एम.फिल. कार्यक्रम ग्रहण करने का इच्छुक है तो उसे गृह या बाह्य मामलों के मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा परिशोधन और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा यह इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीसा होना चाहिए।

9.5 **पात्रता योग्यताः–** विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए आवश्यक योग्यताएं विवरणिका से जांच की जा सकती है। केवल उन विद्यार्थियों को जो

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) द्वारा यथा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा के मण्डलों से अर्हित हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जब आवश्यक हो, भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसकी समकक्षता की जांच करेगी।

9.6 **अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश–** अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल के माध्यम से होगा। विद्यार्थी को सामान्यतः पाठ्यक्रम के आरंभ में प्रवेश दिया जायेगा। यद्यपि स्थानांतरण की दशा में यदि अभ्यर्थी पात्र है तो अन्य संस्थानों से पाठ्यक्रम के मध्य में भी स्थानांतरण के रूप में विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश दो स्तरों में किया जायेगा। विश्वविद्यालयय में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थी, आवेदन प्रपत्र और संस्थान की विवरणिका या वेबसाइट से आवश्यक पात्रता, उपलब्ध पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया हेतु अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। तत्पश्चात, अनंतिम प्रवेश हेतु आवेदन, विहित फीस के साथ अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल को प्रस्तुत की जायेगी। सेल, पात्रता की जांच करेगा तथा वीसा प्राप्त करने और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के प्रयोजन के लिए, अनंतिम प्रवेश पत्र जारी करेगा।

अनंतिम प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी को वीसा और अन्य समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अंतिम प्रवेश हेतु, जहां वह पाठ्यक्रम को ग्रहण करना चाहता/चाहती है, प्रतिवेदन देगा। अगले चरण में संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग से प्रवेश आवेदन प्रपत्र भर कर आवश्यक फीस का भुगतान करेगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी को चिकित्सा परीक्षण कराना होगा। विद्यार्थी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत/मान्यता प्राप्त कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित अंग्रेजी दक्षता परीक्षा के लिये उपस्थित हो सकेंगे। यह एक बार हो जाने पर अंतिम प्रवेश दिया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यू.एस. डॉलर में फीस का भुगतान करेगा। विशेष प्रकरण में, समकक्ष भारतीय रूपये में फीस का भुगतान करने की अनुमति दी जा सकेगी। अनंतिम प्रवेश अर्जित करने हेतु सामान्यतः निम्नलिखित फीस देय होगी। प्रपत्र

फीस (बुलेटिन के मूल्य में सम्मिलित, यदि क्रय किया जाता है); पात्रता फीस एवं प्रशासनिक फीस (सीधे प्रवेश एवं स्थानांतरण के मामले के लिए भिन्न हो सकता है)।

9.7 **अंग्रेजी में उपचारात्मक पाठ्यक्रमः** विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित ट्यूशन एवं अन्य फीस का भुगतान करना होगा। विद्यार्थी जिसे अंग्रेजी में प्रवीणता या आधार पाठ्यक्रम के अधीन परीक्षा देना आवश्यक है, विहित फीस, जैसा लागू हो, का भुगतान करेगा। इसका भुगतान विद्यार्थी तब करेगा जब अंतिम रूप से प्रवेश होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में फीस समय–समय पर भिन्न होगा।

अनंतिम प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात्, विद्यार्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त नहीं करता है तो बैंक कमीशन और डाक प्रभार, जैसा कि लागू हो, कटौती कर प्रशासनिक फीस वापस कर दिया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे भारत के बाहर के विश्वविद्यालय या संवैधानिक मण्डल से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, विश्वविद्यालय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा संचालित अंग्रेजी में प्रवीणता परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम में अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण हो इस परीक्षा से छूट होगी।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी को जो या तो अंग्रेजी में प्रवीणता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो या इस परीक्षा में उपस्थित हो सकने में असफल हो, उसे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक अंग्रेजी पाठ्यक्रम या आधार पाठ्यक्रम, ग्रहण करना आवश्यक होगा।

विद्यार्थी पाठ्यक्रम को निरंतर करेगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के लिए उपचारात्मक अंग्रेजी पाठ्यक्रम या आधार पाठ्यक्रम जो भी पहले हो, सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

आई.ई.एल.टी.एस. ने ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए जो अंग्रेजी भाषा में अपनी प्रवीणता को सुधारना चाहता हो, अग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम को विशेष रूप

से तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम को अन्य नियमित पाठ्यक्रमों के साथ–साथ या स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

9.8 **पाठ्यक्रम का स्थानांतरण या परिवर्तन**– अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। भारत में एक संस्थान से दूसरे में स्थानांतरण की अनुमति भी सामान्यतः नहीं दी जायेगी। अपवादिक मामलों में, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं पाठ्यक्रम की उपलब्धता, पात्रता नियमों के आधार पर 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल' अनुमति दे सकेगा।

9.9 **भारत सरकार के स्कालर**– अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी, जिसे आईसीसीआर, यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, को प्रवेश देते समय और होस्टल की सुविधा हेतु विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जायेगी। विभिन्न विदेशी सरकारों से प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण, अध्ययन और शोध हेतु उसी तरह से प्राथमिकता दी जायेगी।

9.10 **अनुशासन**– अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संस्थान के नियमों से बाध्य होंगे तथा भारतीय विद्यार्थी को यथा लागू आचार संहिता, समान रूप से बाध्य होंगे।

9.11 **परीक्षा तथा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों का प्रदान किया जाना** – परीक्षा की प्रक्रिया, परीक्षा फीस का भुगतान, अंकसूची जारी करने, उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों को जारी करना, डिग्री दिये जाने की प्रक्रिया भी ऐसी होंगी जैसा कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन पाठ्यक्रमों में है। स्नातक पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी को डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान एक बार पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। पर्यावरण अध्ययन के अंक किसी भी दशा में श्रेणी को प्रभावित नहीं करेंगे।

9.12 **उपसंहार**– यदि नियमों के निर्वचन पर कोई भिन्नता होती है, तो इस विषय पर प्रवेश समिति का विनिश्चय अंतिम होगा। फीस, पुनरीक्षण के दायित्वधीन होगा तथा जब लागू हो, विद्यार्थी पुनरीक्षित फीस का भुगतान करेगा। कोई बिन्दु जो विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हुआ हो, संस्थान के प्राधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा। किसी

प्रकार के विवाद के लिए मामले का निपटारा, केवल रायपुर (छत्तीसगढ़) के विधि न्यायालय में किया जायेगा।

10. **निर्देश का माध्यम** – विश्वविद्यालय में शिक्षण का माध्यम, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिश्ट न हो, अंग्रेजी होगी।

अध्यादेश–2 (पुनरीक्षित)

अध्ययन के पाठ्यक्रमों का विवरण

आईटीएम विश्वविद्यालय विभिन्न संकायों के अंतर्गत विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट हेतु निम्नलिखित अध्ययन पाठ्यक्रम प्रदान करेगी।

2.1 विज्ञान संकाय

पी.एच.डी., एम.फिल., एम.एस.सी., एम.लिब., एम.लिब. आई.एस.सी., बी.एस.सी., बी.एस.सी. (ऑनर्स), बी.लिब., बी.लिब आई.एस.सी., भौतिकी, रसायन, गणित, जुलॉजी, सांख्यिकी, क्रीमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइब्रेरी साइंस, इन्फॉरमेशन साइंस, कम्प्यूटर सांइस, फैशन डिजाइन एवं टेक्नालॉजी एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.2 के अनुसार विषय में डिग्री।

2.2 जीवन एवं संबद्ध विज्ञान संकाय

पी.एच.डी., एम.फिल., एम.एस.सी., एम. आप्टो, बी.एस.सी., बी.एस.सी. (ऑनर्स), बी. आप्टो, बॉटनी, जुलाजी, बायोटेक्नालॉजी, बॉयोसाइंस, माइक्रोबायोलाजी, बायोइंफोरमेटिक, बायोकेमेस्ट्री, मेडिकल लैब टेक्नालॉजी (एम.एल.टी.), आप्टोमेंट्री, एन्थ्रोपोलाजी, फूड साइंस एवं टेक्नालाजी, मेडिकल बायोटेक्नालाजी, मोलेकूलर बायोलॉजी, हूमन जेनेटिक्स, नैनो टेक्नालाजी, स्टेम सेल्स, एवं सेल बायोलाजी, बायोइथिक्स, फ्लेबाटनी, मेडिकल केमेस्ट्री, सिस्टम बायोलाजी, डेव्हलपमेंटल बायोलाजी, इमूनोलाजी एवं बायोस्टेटिक्स एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.3 के अनुसार विषय में डिग्री।

2.3 इंजीनियरिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

पी.एच.डी., एम.ई./एम.टेक, बी.ई/बी.टेक एवं डिप्लोमाः कम्प्यूटर साइंस इलेक्ट्रानिक एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन, इन्फारमेशन टेक्नालाजी, मेकनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाईड–जियोलाजी, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलाजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एरोनाउटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मेकेनट्रानिक्स एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.4 के अनुसार विषय।

आई.टी. : पी.एच.डी., एम.फिल., एम.सी.ए., एम.एस.सी.(सी.एस./आई.टी.), बी.एस.सी. (सी. एस./आई.टी.), पी.जी.डी.सी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.एम.: कम्प्यूटर एप्लकेशन, साफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, इंफारमेशन टेक्नालाजी, हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, इंटरनेट एवं मोबाइल टेक्नालाजी एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.1 के अनुसार विषय।

इंजीनियरिंग में डिप्लोमाः सी.एस.सी., ई एण्ड टी.सी., आई.टी., एम.ई., सी.ई., ईईई एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.4 के अनुसार विषय।

2.4 **वाणिज्य एवं प्रबंधन संकायः**

प्रबंधनः– प्रबंधन के विभिन्न संकाय में हॉस्पिटालिटि, पर्यटन प्रबंधन, हास्पिटल प्रबंधन में पी.एच.डी., एम.फिल., एम.बी.ए., एक्ज्यूक्यूटिव एम.बी.ए., एम.बी.ए. (एकीकृत 5 वर्षीय), पी.जी. डी.आर.एम., पीजीडीबीएम, एडवांस पीजीडीबीएम, बीबीए, बी.बी.एम., डी.बी.ए. एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.9 के अनुसार विषय।

वाणिज्यः किसी विषय में, पी.एच.डी., एम.फिल., एम.कॉम, बी.कॉम, बी.कॉम (आनर), बी.कॉम (सी.एस.) एवं डिप्लोमा जैसा कि परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.6 में है।

2.5 **विधि संकायः**

पी.एच.डी., एम.फिल., एल.एल.एम., एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय), बहुसंकाय से एकीकृत एल.एल.बी. (5 वर्षीय) अर्थात बी.बी.ए., बी.कॉम, बी.ए., बी.एस.सी. आदि, पी.जी.डी.आई.पी.आर., पी.जी.डी. एवं विधि के विभिन्न संकायों से डिप्लोमा एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.5 के अनुसार विषय।

2.6 **शिक्षा संकायः**

शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा संकाय एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.7 के अनुसार विषय में पी.एच.डी., एम.फिल., एम.ए. (शिक्षा), एम.एड., एम.पी.एड., बी.एड., बी.पी.एड., डी.एड., डी.पी. एड.।

2.7 **कला एवं मानविकी संकायः** पी.एच.डी., एम.फिल., एम.ए., बी.ए., बी.ए. (आनर) एवं विभिन्न विषयों एवं भाषा में डिप्लोमाः ड्राइंग एवं पेंटिंग, कला, ललित कला, प्रदर्शन कला, म्यूजिक, दृश्य कला, मीडिया, पत्रकारिता, जनसंचार, मल्टीमीडिया, एनीमेशन, फिल्म मेकिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, गणित, सांख्यिकी, प्रतिरक्षा अध्ययन, भाषा विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, योगा, साहित्य, सत्कार, पर्यटन, होटल प्रंबधन, पाक कला, फैशन डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, जर्मन, फ्रेंच, जैपनिज, रसियन, स्पेनिश, चायनिज भाषा एवं परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.1 के अनुसार विषय।

2.8 **व्यवसायिक एवं अंतर अनुशासनिक अध्ययन संकायः**

(क) कला एवं मानविकी

(ख) वाणिज्य

(ग) डिजाइन

2.9 **फार्मेसी संकाय**: पी.एच.डी., एम.फिल., एम.फार्मा. बी फार्मा एवं डिप्लोमा जैसा कि परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.8 में है।

2.10 **डिजाइन संकाय**: पी.एच.डी., एम.फिल., एम.डिजा., एम.आई.डी., ए. आर्क, एम.एस.सी., एम.ए., बी. डिजा, बी.आई.डी., बी. आर्क, बी.एस.सी., बी.ए. एवं डिप्लोमा जैसा कि परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.13 में है।

2.11 **ड्यूल अध्ययन संकाय**: बी.टेक, एम.टेक, बीबीए (ड्यूल), एमबीए (ड्यूल), आदि एवं विषय जैसा कि परिनियम क्रमांक 14, पैरा 1.13 में है।

अध्यादेश–10 (पुनरीक्षित)

कला में स्नातक (ऑनर्स) (बी. ए. (ऑनर्स))

10.1 **प्रस्तावनाः** **पाठ्यक्रम निम्नलिखित** विषयों **में प्रस्ताव देगा :** चित्रांकन और रंगाई कला, ललित कला, कला प्रदर्शन, संगीत, दृश्य कला, मीडिया, पत्रकारिता, जन संचार, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, फिल्म निर्माण, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, गणित, सांख्यिकी, रक्षा अध्ययन, भाषा विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, योगा, साहित्य, अतिथि सत्कार, पर्यटन, होटल प्रबंधन, पाक कला, फैशन डिजाइन, आंतरिक सज्जा, जर्मन फ्रेंच, जापानी, रसियन, स्पेनिश, चीनी भाषाएं।

10.2 **शीर्षकः** कला में स्नातक (ऑनर्स) (बी.ए. (ऑनर्स))।

10.3 **संकायः** कला एवं मानविकी संकाय।

10.4 **अवधिः** तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)।

10.5 **पात्रताः** किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा या इसके समतुल्य मंडल से किसी अनुशासन में 10+2

10.6 **सीटः** बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

10.7 **प्रवेश प्रक्रियाः** अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।

10.8 **शैक्षणिक वर्षः** जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक चक्र होगा। इस कार्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होगा।

10.9 **चयन प्रक्रियाः** विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, उपयुक्त मीडिया के माध्यम से प्रवेश अधिसूचना या विज्ञापन जारी करेगा और विश्वविद्यालयीन वेबसाईट और सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर, सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

10.10 **फीसः** पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन सहित समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

10.11 **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजनाः** विभिन्न विशेषज्ञता के विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना, अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये जायेंगे और विद्या परिषद/प्रबंध मण्डल/ ाासी निकाय से अनुमोदन के प चात पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय प्रस्तुत किये जायेंगे तथा इसके अंतर्गत और अन्यत्र यथाविनिर्दिश्ट अध्यादेशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार होंगे। विश्वविद्यालय यूजीसी, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग तथा अन्य विनियामक निकाय के दिशा–निर्देशों जहां तक लागू हों, का पालन करेगा।

10.12 **उत्तीर्ण करने हेतु पात्रताः** विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में, प्रत्येक पेपर में पृथक पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सेमेस्टरांत/वर्षान्त परीक्षा में कुल 45 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना अनिवार्य है।

10.13 **मूल्यांकन एवं परीक्षाः** अध्यादेश 51(8) के अनुसार।

10.14 **ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्डः** अध्यादेश 51(10) के अनुसार।

10.15 **सामान्यः** पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय जिला न्यायालय, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

अध्यादेश–13 (पुनरीक्षित)

विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स) (बी.एस.सी. (ऑनर्स))

13.1 **प्रस्तावनाः** **पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषयों में प्रस्ताव देगा :**
सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, फैशन डिजाईन एवं प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटेश्नल रसायन शास्त्र, बीमांकिक विज्ञान, अपराध शास्त्र एवं फारेंसिक विज्ञान, नैनौ विज्ञान, सम्बद्ध विज्ञान, कम्प्यूटेश्नल भौतिक शास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान, मटेरियल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर साईंस, रसायन शास्त्र, एनिमेशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव शास्त्र, आहार एवं पोषण, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सांख्यिकी, सुक्ष्म जीव विज्ञान, अनुप्रयुक्त गणित, अनुप्रयुक्त विज्ञान, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, जैविक विज्ञान, जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी, लींनोलोगू, पादप विज्ञान, पशु विज्ञान, पैरामेडिकल विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, आहार विज्ञान, नैनौ प्रौद्योगिकी, भ्रूण विज्ञान, दंत चिकित्सा, आनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान, मूल कोशिका एवं कोशिका जीव विज्ञान, जैव नैतिकता, औषिधीय रसायन शास्त्र।

13.2 **शीर्षकः** विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स) (बी.एस.सी. (ऑनर्स))।

13.3 **संकायः** विज्ञान संकाय/जीवन एवं सम्बद्ध विज्ञान।

13.4 **अवधिः** तीन वर्ष (या छः सेमेस्टर)

13.5 **पात्रताः** न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा बारहवीं में मुख्य विषय के रूप में सुसंगत विषय के साथ विज्ञान/जीवन विज्ञान अनुशासन में 10+2. सीट रिक्त होने की स्थिति में कुलपति की अनुमति से न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में 5 प्रतिशत कम की जा सकेगी।
आरक्षित वर्ग के लिए पात्रता : समय–समय पर राज्य सरकार के नियमानुसार।

13.6 **सीटः** बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

13.7 **प्रवेश प्रक्रियाः** अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।

13.8 **शैक्षणिक वर्षः** जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक चक्र होगा। इस कार्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होगा।

13.9 **चयन प्रक्रियाः** विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, उपयुक्त मीडिया के माध्यम से प्रवेश अधिसूचना या विज्ञापन जारी करेगा और विश्वविद्यालयीन वेबसाईट और सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर, सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

13.10 **फीसः** पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन सहित समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

13.11 **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजनाः** विभिन्न विशेषज्ञता के विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना, अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये जायेंगे और विद्या परिषद/प्रबंध मण्डल/ शासी निकाय से अनुमोदन के प चात पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय प्रस्तुत किये जायेंगे तथा इसके अंतर्गत और अन्यत्र यथाविनिर्दिश्ट अध्यादेशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार होंगे। विश्वविद्यालय यूजीसी, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग तथा अन्य विनियामक निकाय के दिशा–निर्देशों, जहां तक लागू हों, का पालन करेगा।

13.12 **उत्तीर्ण करने हेतु पात्रताः** विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में, प्रत्येक पेपर में पृथक पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सेमेस्टरांत/वर्षान्त परीक्षा में कुल 45 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना अनिवार्य है।

13.13 **मूल्यांकन एवं परीक्षाः** अध्यादेश 51(8) के अनुसार।

13.14 **ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्डः** अध्यादेश 51(10) के अनुसार।

13.15 **सामान्यः** पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय जिला

न्यायालय, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

अध्यादेश–16 (पुनरीक्षित)

विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एस.सी.)

16.1 **प्रस्तावनाः** इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर में चयनित विज्ञान विषयों में विशेषज्ञता का प्रस्ताव दिया जायेगा और चयन किये गये विषय में उन्नत ज्ञान दिया जायेगा, जो शिक्षण, शोध और/या औद्योगिक व्यवसाय की ओर अग्रसर करेगा। पारंपरिक विषयों के अतिरिक्त जैसे भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, अपराध शास्त्र एवं फारेंसिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं कुछ नवीन विषयों जैसे नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, जैव रसायन, जैव सांख्यिकी, अभियांत्रिकी भौतिकी, सम्बद्ध विज्ञान, कम्प्यूटेश्नल भौतिक शास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान, मटेरियल विज्ञान, कम्प्यूटेश्नल रसायन शास्त्र, बीमांकिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त गणित, एनिमेशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव शास्त्र, आहार एवं पोषण, जैव चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा प्रयोग भाला प्रौद्योगिकी, जैविक विज्ञान, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, आहार विज्ञान, अभियांत्रिकी, लींनोलोगू, पादप विज्ञान, पशु विज्ञान, पैरामेडिकल विज्ञान, मृदा विज्ञान, अनुवांशिकीय, नैनो प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, मूल कोशिका एवं कोशिका जीव विज्ञान, जैव नैतिकता, औषिधीय रसायन शास्त्र, विकासात्मक जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान एवं जैव सांख्यिकीय, कम्प्यूटर विज्ञान, एम.एस.सी. स्तर में प्रारंभ किये जायेंगे।

16.2 **शीर्षकः** विभिन्न अनुशासनों में विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम..एस.सी.)।

16.3 **संकायः** जीवन एवं सम्बद्ध विज्ञान/विज्ञान संकाय।

16.4 **अवधिः** दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)

16.5 **पात्रताः** न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक में मुख्य विषय के रूप में सुसंगत विषय के साथ विज्ञान/जीवन विज्ञान अनुशासन में स्नातक. सीट रिक्त होने की स्थिति में कुलपति की अनुमति से न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में 5 प्रतिशत कम की जा सकेगी।

आरक्षित वर्ग के लिए पात्रता : समय–समय पर राज्य सरकार के नियमानुसार।

16.6 **सीटः** बुनियादी इकाई 40 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

16.7 **प्रवेश प्रक्रियाः** अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।

16.8 **शैक्षणिक वर्षः** जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक चक्र होगा। इस कार्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होगा।

16.9 **चयन प्रक्रियाः** विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, उपयुक्त मीडिया के माध्यम से प्रवेश अधिसूचना या विज्ञापन जारी करेगा और विश्वविद्यालयीन वेबसाईट और सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर, सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

16.10 **फीसः** पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन सहित समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

16.11 **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजनाः** विभिन्न विशेषज्ञता के विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना, अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये जायेंगे और विद्या परिषद/प्रबंध मण्डल/ शासी निकाय से अनुमोदन के प चात पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय प्रस्तुत किये जायेंगे तथा इसके अंतर्गत और अन्यत्र यथाविनिर्दिश्ट अध्यादेशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार होंगे। विश्वविद्यालय यूजीसी, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग तथा अन्य विनियामक निकाय के दिशा–निर्देशों, जहां तक लागू हों, का पालन करेगा।

16.12 **उत्तीर्ण करने हेतु पात्रताः** विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में, प्रत्येक पेपर में पृथक पृथक 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सेमेस्टरांत/वर्षान्त परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना अनिवार्य है।

16.13 **मूल्यांकन एवं परीक्षाः** अध्यादेश 51(8) के अनुसार।

16.14 **ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्डः** अध्यादेश 51(10) के अनुसार।

16.15 **सामान्यः** पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। विभिन्न विशेषज्ञता के विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना, शासी निकाय एवं विद्या परिषद से अनुमोदन के पश्चात अन्य विशेषज्ञता के पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।
किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय जिला न्यायालय, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

अध्यादेश 51 (पुनरीक्षित)
विश्वविद्यालय की परीक्षा

अध्याय–एक

परिभाषाएं:

1.1 ''शैक्षणिक कार्यक्रम'' से अभिप्रेत है स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा, एम.फिल., पी.एच.डी. डिग्री एवं प्रमाणपत्र के लिए अग्रसरित पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम एवं/या कोई अन्य विषय।

1.2 ''शैक्षणिक वर्ष'' से अभिप्रेत है शिक्षण एवं संबंधित परीक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समर्पित 12 वर्ष की कालावधि।

1.3 ''सेमेस्टर प्रणाली'' से अभिप्रेत है प्रोग्राम, जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, प्रत्येक छः माह के दो सेमेस्टर में नियत है।

1.4 ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है उसके द्वारा समनुदेशित महत्वपूर्ण कोड नम्बर एवं विशिष्ट केडिट/अंक से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम के संघटक।

1.5 ''बाह्य परीक्षक'' से अभिप्रेत है परीक्षक, जो विशविद्यालय या उसकी संस्था/विभाग के नियोजन में हो।

1.6 ''आंतरिक परीक्षक'' से अभिप्रेत है परीक्षक, जो विशविद्यालय या उसकी संस्था/विभाग के नियोजन में हो, इसमें सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की दशा में, परीक्षक, प्रश्नपत्र सेटर सहित जो विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के विभाग या संस्था का शिक्षक हो। प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, परीक्षक, जो विश्वविद्यालय, विभाग, अध्ययन केन्द्र या संस्था, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा उस परीक्षा केन्द्र में परीक्षा दिया जा रहा है, का शिक्षक हो।

1.7 ''सह परीक्षक'' से अभिप्रेत है प्रश्नपत्र सेटर से भिन्न लिखित प्रश्नपत्र का सह परीक्षक।

1.8 ''विद्यार्थी'' से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के प्रयोज्य अनुसार, किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के विभागों में प्रवेशित व्यक्ति।

1.9 ''नियमित अभ्यर्थी'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अध्ययन पाठ्यक्रम में नियमित रूप से हो, तथा जो इस प्रकार विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश चाहता हो।

1.10 "भूतपूर्व विद्यार्थी" से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो नियमित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में प्रवेश लिया था तथा उसे उस समय सफल घोषित नहीं किया गया था अथवा प्रवेश पत्र के माध्यम से जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था सही था, परीक्षा में उपस्थित होने में समर्थ नहीं था तथा उक्त परीक्षा में पुनः प्रवेश चाहता है ।

1.11 "एटीकेटी अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में किसी प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण अंक अर्जित करने में असफल हो गया हो तथा पुनः उसी सेमेस्टर परीक्षा में जो आगामी सेमेस्टर परीक्षा में आयोजित किया जाता हो, में उपस्थित हो रहा हो ।

1.12 "पश्चातवर्ती एटीकेटी अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो सेमेस्टरांत परीक्षा में किसी प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में असफल हो गया हो तथा आगामी सेमेस्टरांत परीक्षा में आयोजित उसी परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में पुनः असफल हो गया हो तथा अब, एटीकेटी परीक्षा के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी के लिए आयोजित उसी सेमेस्टर परीक्षा की उसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिये अगली बार उपस्थित हो रहा हो।

1.13 "नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या संस्था में प्रत्येक विषय जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा देने का आशय रखता हो, में नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम ।

1.14 विद्यार्थियों को निम्नानुसार उपस्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करना होगाः

(एक) मेडिसिन, आयुर्वेद तथा इंजीनियरिंग संकाय से भिन्न संकाय की दशा में, व्याख्यान एवं प्रायोगिक में पृथक–पृथक कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है

(दो) इंजीनियरिंग संकाय की दशा में, व्याख्यान एवं प्रायोगिक/सत्रीय कार्य में पृथक–पृथक कम से कम पचयासी प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है

1.15 "अग्रेषण अधिकारी" से अभिप्रेत है अग्रेषण अधिकारी से अभिप्रेत है संकाय /संस्था/विभाग/केन्द्र प्रमुख जहॉ अभ्यर्थी के द्वारा नियमित या पूर्व में नियमित अभ्यर्थी के रूप में अध्ययन पाठ्यक्रम को नियमित रूप से किया गया हो तथा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में उपस्थित होना चाहता हो ।

1.16 ''अभिप्रमाणित'' से अभिप्रेत है अग्रेषण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।

1.17 ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है आईटीएम विश्वविद्यालय ।

अध्याय–दो

2. विश्वविद्यालयीन परीक्षा

2.1 विश्वविद्यालय, सभी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम के लिये परीक्षा आयोजित करेगा जैसा कि विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित हो तथा जैसा कि वह निर्धारित शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित सिलेबस के अनुसार, यथास्थिति, बैचलर/मास्टर डिग्री, स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये समय–समय पर अधिसूचित करे ।

2.2 विश्वविद्यालय की परीक्षा नियमित विद्यार्थियों एवं भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ रहेगा। परंतु विद्या परिषद्, अनुमोदन के अनुरूप, ऐसी शर्तों, जैसा कि विद्या परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए, को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए किसी विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयीन परीक्षा हेतु, अभ्यर्थी के किसी अन्य प्रवर्ग को भी अनुज्ञात कर सकेगा।

2.3 कोई व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय से निष्काषित अथवा निस्सारित किया गया है या विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, को दण्ड के प्रचलित रहने की अवधि के दौरान किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परंतु यह और कि विद्यार्थी को उपस्थिति में कमी के कारण एवं विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यादेश में यथा उपबंधित अन्य कारण से सेमेस्टर/वर्षात परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगा।

3. कार्यक्रम विषय–वस्तु एवं अवधि

3.1 बैचलर/मास्टर डिग्री, एफ.फिल. डिग्री तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा संबंधित कार्यक्रम के सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं/या अन्य विषयवस्तु की संख्या समाविष्ट होंगे जैसा कि विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित हो। प्रत्येक पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट क्रेडिट/अंक के अंतर्गत समय–समय पर अधिमान्यता दी जायेगी।

3.2 कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि में, शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम के लिये सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अवधि होंगे।

3.3 कार्यक्रम को पूरा करने के लिये न्यूनतम अनुज्ञेय अवधि, अध्यादेश क्र. 1 खण्ड 2.14 द्वारा शासित होंगे।

4. सेमेस्टर

4.1 शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होंगे। प्रत्येक दो सेमेस्टर लगभग 23 सप्ताह की कार्यवधि की होगी।

शैक्षणिक कैलेण्डर, शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

4.2 शिक्षण कार्य के लिए समर्पित सेमेस्टर के शैक्षणिक ब्यौरा निम्नानुसार होगा–

(क) शिक्षण प्रदान करना एवं/या प्रयोगशाला कार्य – 19 सप्ताह

(क्लास टेस्ट सहित)

(ख) तैयारी का अवकाश – 01 सप्ताह

(ग) सेमेस्टरांत परीक्षा, प्रायोगिक/प्रयोगशाला परीक्षा सहित – 03 सप्ताह

5. आंतरिक अंकों की प्रस्तुति

असाइनमेंट, क्लास टेस्ट का परिणाम एवं उपस्थिति का विवरण, सेमेस्टरांत परीक्षा के प्रारंभ के कम से कम 10 दिनों के पूर्व परीक्षा के नियंत्रक को प्रस्तुत किया जायेगा। क्लास टेस्ट, असाइनमेंट एवं उपस्थिति के विहित अधिमान्यता पर आंतरिक अंक दिया जायेगा।

6. विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रवेश

6.1 समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए, विहित परीक्षा प्रपत्र भरना होगा तथा इसे संकाय के प्रमुख/संबंधित संस्थान/विभाग प्रमुख के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित किया जायेगा।

6.2 नियमित विद्यार्थियों के आवेदन को अग्रेषित करते समय, संकाय के प्रमुख/संबंधित संस्थान या विभाग का प्रमुख प्रमाणित करेगा कि:

(एक) यह कि अभ्यर्थी ने सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उसे संतुष्ट कर दिया है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण है जो अगले परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्ह है।

(दो) यह कि अभ्यर्थी विहित कालावधि से अध्ययन के पाठ्यक्रम में नियमित रूप अध्ययनरत है तथा वह आवश्यक उपस्थिति की प्रतिपूर्ति करता है।

(तीन) यह कि उसका आचरण संतोषजनक है।

6.3 परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति हेतु परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत विहित परीक्षा फीस के भुगतान की पावती के साथ इस अध्यादेश में सेट हेतु आवेदन, परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में घोषणा की नियत तिथि को या उसके पूर्व पहुचाने होंगे।

6.4 अभ्यर्थी को विहित ऐसी अंतिम तिथि, जो 7 दिवस से कम न हो, परीक्षा फीस एवं विहित विलंब फीस के साथ सेमेस्टर परीक्षा हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति, परीक्षा नियंत्रण/कुलसचिव द्वारा दिया जा सकेगा।

6.5 पश्चातवर्ती एटीकेटी परीक्षा के लिये, आवेदन, जैसा कि प्रयोज्य हो, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से परिणाम की घोषणा 30 दिवस के भीतर परीक्षा नियंत्रक/रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

6.6 परीक्षार्थी से पश्चात्वर्ती एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन, संकाय के प्रमुख/संबंधित विभाग के प्रमुख के माध्यम से विहित प्ररूप में नियमित सेमेस्टरांत परीक्षा के प्रारंभ होने के कम से कम 30 दिवस के पूर्व परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए तथा इसमें उल्लेखित है:

(एक) विषय या विषयों जिसमें वह परीक्षा हेतु प्रस्तुत होने की इच्छा रखता/रखती हो।

(दो) उसे पूर्व की परीक्षा में प्रवेश दिया गया था एवं उसका परिणाम रखते हुए आवेदन साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेगा।

(तीन) भूतपूर्व विद्यार्थी को विषयों या वैकल्पिक पत्रों में, जिसमें नियमित अभ्यर्थी के रूप में पूर्व में विकल्प दिया गया था, विकल्प दिया जायेगा यदि परीक्षा की योजना में परिवर्तन के कारण परीक्षा योजना या परीक्षा हेतु पाठ्यचर्या का एक भाग बंद होने पर उसके द्वारा प्रश्न पत्र/विषय का विकल्प दिया गया है तथा विभिन्न विषय या प्रश्न पत्र के विकल्प के स्थान पर, उस स्थान पर, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी।

(चार) भूतपूर्व विद्यार्थी को विभिन्न पाठयक्रमों/विषयों के विद्यमान पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।

प्रत्येक भूतपूर्व विद्यार्थी, विभाग/संस्थान/केन्द्र, जहां से वह नियमित रूप से अध्ययन किया था, उस केन्द्र से परीक्षा हेतु उपस्थित होगा।

परंतु परीक्षा नियंत्रक पर्याप्त कारणों से, उसके परीक्षा केन्द्र को परिवर्तन करने की अपेक्षा कर सकेगा या अनुमति दे सकेगा।

6.7 विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वहः

(एक) अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान में नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकित न हो।

(दो) परीक्षा जिसमें वह प्रवेश चाहता हो, तथा उस परीक्षा के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम नियमित रूप से किया हो, में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारण न करता हो।

(तीन) इस अध्यादेश के समस्त अन्य प्रावधानों जो उस पर लागू होते हो से संतुष्ट न हो एवं कोई अन्य अध्यादेशों से नियंत्रित होने वाले प्रवेश परीक्षा, जिसमें वह प्रवेश चाहता/चाहती हो।

6.8 जहां अभ्यर्थी, अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय का प्रस्ताव करता है, ऐसे अतिरिक्त विषय की दशा में समान रूप में न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता लागू होंगी।

6.9 अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम के संबंध में शर्तों को पूरा करने हेतु उपस्थिति की गणना निम्नानुसार होगीः–

(एक) शैक्षणिक सत्र के दौरान दिये गये व्याख्यानों एवं प्रायोगिक/क्लीनिकल/सत्र में उपस्थिति, यदि कोई हो, की गणना होगी।

(दो) उच्च कक्षा में नियमित विद्यार्थी द्वारा उपस्थिति रखी जायेगी तथा निम्न कक्षा की परीक्षा हेतु उपस्थिति के प्रतिशत की गणना की जायेगी जिसमें उसके परिणाम के रूप में पश्चात्वर्ती/एटीकेटी परीक्षा में अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण में वापस किया जा सके।

6.10 अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या परीक्षक के समक्ष प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता या ऐसे अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर देता है कि प्रवेशपत्र प्रस्तुत करूँगा। अधीक्षक या परीक्षक द्वारा प्रवेशपत्र, जब भी मांगा जाये, अभ्यर्थी, प्रस्तुत करेगा।

6.11 परीक्षा कक्ष में, अभ्यर्थी केन्द्र अधीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होगा तथा वह उसके निर्देशों का पालन करेगा। अधीक्षक के निर्देशों का अभ्यर्थी द्वारा अपालन करने की स्थिति में या उसके अनुशासनहीन आचरण या अधीक्षक या किसी परीक्षक या परीक्षा के संचालन में सहबद्ध किसी व्यक्ति से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने पर, अभ्यर्थी को परीक्षा के उसी दिन से बाहर किया जा सकेगा और यदि वह लगातार दुर्व्यवहार करता है तो परीक्षा के अधीक्षक द्वारा पूरी परीक्षा से बाहर किया जा सकेगा और यदि उसका दुर्व्यवहार निरंतर जारी रहता है तो परीक्षा अधीक्षक द्वारा परीक्षा से बाहर किया जा सकेगा। परीक्षा अधीक्षक, कार्यवाही का संपूर्ण रिपोर्ट एवं ऐसी कार्यवाही किये जाने के कारणों को परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को उसी दिन भेजेगा।

7. उपस्थिति

7.1 अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल समझा जायेगा, यदि परीक्षा में उपस्थित होने हेतु पात्र होने के लिए उसे प्रत्येक विषय में व्याख्यान में कम से कम 60 प्रतिशत उपस्थिति रखना होगा और व्याख्यान, शिक्षण संबंधी और प्रयोगिक में कम से कम कुल 75 प्रतिशत रखना होगा।

परंतु विद्या परिषद विशेष परिस्थितियों में उसके द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर ऐसी उपस्थिति की कमी को माफ कर सकेगा।

7.2 बीमारी के कारण, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के कैम्प और परेड में उपस्थिति, अंतर विश्वविद्यालयीन या अंतरराज्यीय विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में विश्वविद्यालयीन टीम के सदस्य के रूप में भागीदारी तथा विहित शैक्षणिक यात्रा/फील्ड का दौरा/फील्ड कार्य में भागीदारी होने पर कुलपति द्वारा विद्यार्थी को कुल उपस्थिति के 15 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि हेतु छूट दिया जा सकता है, परंतु प्रभारी शिक्षक द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित उपस्थिति अभिलेख को संबंधित विभाग प्रमुख को कार्य/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर, भेजेगा।

7.3 परंतु यह और कि बीमारी/चिकित्सकीय अयोग्यता की स्थिति में, माफी का आवेदन पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/लोक चिकित्सालय द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन)) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र या आईटीएम विश्वविद्यालय/संस्थान/विभाग के पदीय चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा। ऐसा आवेदन, इलाज/चिकित्सालय में भर्ती होने की अवधि के दौरान या स्वास्थ्य लाभ होने के दो माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। जब कभी भी विद्यार्थी की उपस्थिति में कमी हो तथा संबंधित विभाग के प्रमुख को उसका कारण बताते हुए संतुष्ट करने पर उसके आतंरिक मूल्यांकन के लिए संबंधित विभाग द्वारा मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त असाइनमेंट दिया जायेगा।

8. मूल्यांकन एवं परीक्षा

8.1 पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण अधिभार तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना का निर्धारण, पाठ्यक्रम के क्रेडिट/अंक के अध्यधीन होगा।

8.2 पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के दो तत्व होंगे यदि शिक्षण और परीक्षा तथा पाठ्यचर्या की योजना में अन्यथा कथन विनिर्दिष्ट न हो:

(एक) सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन

(दो) पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन

8.3 नियमित मूल्यांकन:

पाठ्यक्रम सूची: स्नातक उपाधि/स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातक/डिप्लोमा/स्नातक डिप्लोमा

(एक) सैद्धांतिक पाठ्यक्रमः शिक्षक के नियमित मूल्यांकन निम्नलिखित पर आधिरित होंगेः

मानदण्ड	दिये गये अंक
(1) कक्षा परीक्षा/मध्य अवधि	50 प्रतिशत अधिभार

(2) अन्य मानदण्ड, जैसे असाइमेंट, प्रस्तुति, उपस्थिति, कक्षा में भाग लेने, सामूहिक विचार विमर्श, व्यवहार, मौखिकी या कोई अन्य, शेष 50 प्रतिशत अधिभार विभाग द्वारा विनिश्चित किया जाना है। विभाग/संकाय के प्रमुख के परामर्श से विषय के शिक्षक, अपने विषय के लिए नियमित मूल्यांकन (आंतरिक मूल्यांकन) के लिए मानदण्ड का चुनाव कर सकते है।

अधिकतम तीन कक्षा परीक्षा सामान्यता विश्वविद्यालय शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार शिक्षण के चार सप्ताह, आठ सप्ताह एवं बारह सप्ताह तथा मध्य अवधि परीक्षा के पश्चात् आयोजित होगा।

(दो) प्रायोगिक/प्रयोगशाला पाठ्यक्रमः

शिक्षक के नियमित मूल्यांकन प्रयोगशाला, नियमित प्रायोगिक परीक्षण/असाइनमेंट, सकल आंतरिक अंक, क्वीज आदि में प्रदर्शन पर आधारित होगा। लगभग तीन सम अंतराल में मूल्यांकन किया जायेगा।

8.4 **एसाइनमेंट (सौंपे गए कार्य)**

(एक) एसाइनमेंट के जारी, प्रस्तुत एवं मूल्यांकन करने का दायित्व संकाय प्रमुख या संबंधित विभागों की होगी। वह पूरी ईमानदारी से एसाइनमेंट की तैयारी और मूल्यांकन को बनाये रखेगा।

(दो) सभी कक्षा, समूहों में विभाजित होगी। प्रत्येक समूह को न्यूनतम सामान्यता के साथ पृथक से एसाइनमेंट दिया जायेगा।

(तीन) विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय अनुसार न्यूनतम दो एसाइनमेंट दिये जायेंगे।

(चार) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रस्तुतीकरण/मौखिकी की प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुति के पश्चात् एसाइनमेंट के लिए पक्ष रखना आवश्यक होगा।

(पांच) एसाइनमेंट को विभिन्न विभागों के लिए समय–समय पर विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित मानक प्ररूप अनुसार तैयार किया जायेगा।

(छः) विद्यार्थी को एसाइनमेंट जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर एसाइनमेंट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(सात) अंतिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये एसाइनमेंट का मूल्यांकन, 50% अंको से अधिक नहीं की जायेगी।

8.5 शोध लेख/थीसिस

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों, जहां कहीं पाठ्यचर्या में विनिर्दिष्ट है, के शोधलेख/थीसिस हेतु, आंतरिक परीक्षकों जो सामान्यतः पर्यवेक्षक होंगे तथा एक या अधिक बाह्य परीक्षक से मिलकर बनी समिति द्वारा मूल्यांकन किये जायेंगे एवं अंक दिये जायेंगे। आंतरिक परीक्षक, 30 प्रतिशत में से अंक देंगे तथा बाह्य परीक्षक 70 प्रतिशत में से अंक देंगे। इस अध्यादेश में यथा विनिर्दिष्ट सुझाये गये तीन या अधिक नामों के पैनल से कुलपति द्वारा परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह शिक्षकों के नियमित मूल्यांकन के समस्त अभिलेख मंगाये तथा शिक्षकों के मूल्यांकन, यदि किसी विशिष्ट प्रकरण में उचित समझे, परिनियमित करें।

8.6 सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन

		स्नातक डिग्री/ स्नातक/डिप्लोमा	स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा
अ.	सैद्धांतिक पाठ्यक्रम		
	(एक) सेमेस्टरांत परीक्षा	70%	70%
	(दो) शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन	30%	30%
ब.	प्रायोगिक/प्रयोगशाला पाठ्यक्रम		
	(एक) सेमेस्टरांत परीक्षा	70%	70%
	(दो) शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन	30%	30%
स.	शोध लेख/ थीसिस		
	(एक) बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	70%	70%
	(दो) आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	30%	30%

द. कार्यक्रम के कोई अन्य तत्व उपरोक्त के अंतर्गत न हों तो अधिकार के तत्व शासी निकाय द्वारा समर्थित अध्ययन मण्डल द्वारा विहित किया जायेगा।

9. श्रुति–लेखक की नियुक्ति

9.1. श्रुति लेखक को निम्नलिखित की दशा में अनुज्ञात किया जायेगाः–

(एक) दृष्टिहीन अभ्यर्थी; और

(दो) अभ्यर्थी जो दुर्घटना या बीमारी के कारण असमर्थ है और स्वयं के हाथों से लिख पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त खण्ड 9.1 के अधीन अभ्यर्थी को चिकित्सा अधिकारी या आई.टी.एम. विश्वविद्यालय के नाम से चिकित्सक जिसके अधीन उसका इलाज हुआा था या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.2 परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी से चिकित्सीय आधार पर आवेदन प्राप्त होने पर, श्रुति लेखक की नियुक्ति की व्यवस्था करेगा परंतु ऐसा श्रुति लेखक समान प्रास्थिति या उच्च सेमेस्टर का नहीं होना चाहिए; तथापि श्रृति लेखक की व्यवस्था संबंधित विद्यार्थी द्वारा सुविधा हेतु करना होगा। और संबंधित परीक्षा अधीक्षक को सूचित करेगा।

9.3 श्रुति लेखक, संबंधित अभ्यर्थी की अपेक्षा कम योग्यता का व्यक्ति होगा।

9.4 परीक्षा अधीक्षक, असमर्थ अभ्यर्थी के लिए समुचित कक्ष की व्यवस्था करेगा तथा परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिये गये सूची से विशेष परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

9.5 दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को, परीक्षा के 3 घंटे की अवधि के स्थान पर एक घंटा अतिरिक्त दिया जायेगा।

9.6 श्रुति लेखक, यदि कोई हो, को मानदेय संबंधित विद्यार्थी द्वारा सुविधा प्राप्त करने हेतु दिया जायेगा।

10. एटीकेटी अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मापदण्डः

10.1 एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए निम्नलिखित पात्र होंगे:

(एक) अभ्यर्थी, जिसमें किसी सेमेस्टर/वर्षांत के किसी प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण या अंक अर्जित करने हेतु सफल नहीं हुआ हो, वह, लिखित परीक्षा जिसमें वह देना चाहता है में उपस्थित होने हेतु उसके पात्र होने हेतु समस्त मानदण्डो को पूरा करने के

पश्चात्, परीक्षा विभाग द्वारा घोषित परीक्षा अनुसूची के अधिसूचना के समय सीमा में परीक्षा विभाग में सम्यक रूप से भरे गये परीक्षा आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उपस्थित हुआ हो, ऐसा करने में असफल होने पर, विद्यार्थी को असफल घोषित किया जायेगा और उस विशिष्ट परीक्षा में उपस्थित होने अवसर प्राप्त करने के पूर्व उसे एक वर्ष के लिये वंचित होगा।

विश्वविद्यालय, चार वर्षीय एवं पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये (एन–4) प्रणाली की अवधारणा का अनुपालन करेगा जबकि तीन वर्षीय या कम के पाठ्यक्रम हेतु (एन–3) प्रणाली की अवधारणा का अनुपालन करेगा। अतएव अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा और (एन–4) प्रणाली के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर तक निर्दिष्ट कर दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा एवं (एन–3) प्रणाली के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर तक निर्दिष्ट कर दिया जायेगा।

(एन–4) प्रणाली की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी केवल उसे शर्त पर पंचम या उच्च सेमेस्टर में निर्दिष्ट होने हेतु पात्र होगा यदि कुल बैकलॉग पेपर की संख्या नीचे दी गई सारणी में दर्शित से अधिक हैः–

सेमेस्टर	अनुज्ञेय बैकलाग एवं बैकलाग पेपर के सेमेस्टर वार डिविजन			
	1 सेम.	2 सेम.	3 सेम.	4 सेम.
5 सेमेस्टर	3	निरंक	निरंक	निरंक
6 सेमेस्टर	3	3	निरंक	निरंक
7 सेमेस्टर	3	3	3	निरंक
8 सेमेस्टर	3	3	3	3

और इसी तरह 5 वर्षीय पाठयक्रम के लिए सेमेस्टर 9 एवं 10 के लिए, उन्नयन होगा।

डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के पश्चात पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से तिसरे सेमेस्टर में सीधे प्रवेशित अभ्यर्थी, पांचवे और उच्च सेमेस्टर में प्रवेश नही दिया जायेगा यदि कुल बैकलाग पेपर की संख्या, नीचे दी गई सारणी में दर्शित से अधिक हैः–

सेमेस्टर	अनुज्ञेय बैकलाग एवं बैकलाग पेपर के सेमेस्टर वार डिविजन

	1 सेम.	2 सेम.	3 सेम.	4 सेम.
5 सेमेस्टर	1 सेम. का सभी अनुपालित प्रश्नपत्र		निरंक	निरंक
6 सेमेस्टर	1 सेम. का सभी अनुपालित प्रश्नपत्र		निरंक	निरंक
7 सेमेस्टर	3	3	3	निरंक
8 सेमेस्टर	3	3	3	3

और इसी तरह 5 वर्षीय पाठयक्रम के लिए सेमेस्टर 9 एवं 10 के लिए, उन्नयन होगा।

इसी तरह, (एन–3) प्रणाली के अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी, नीचे दिये गये अनुसार शर्तों पर ही चौथा या उच्च सेमेस्टर हेतु अभिहित होने हेतु पात्र होगाः–

सेमेस्टर चार में प्रवेश	यदि सेमेस्टर एक में बैकलाग न हो
सेमेस्टर पांच में प्रवेश	यदि सेमेस्टर एक एवं दो में बैकलाग न हो
सेमेस्टर छः में प्रवेश	यदि सेमेस्टर एक, दो एवं तीन में बैकलाग न हो

एन, एन सेमेस्टर है, जहॉ एन >4 एवं एन >तीन है, जहां एवं जैसा लागू हो।

(दो) परीक्षा हेतु अभ्यर्थी जो उपरोक्त पैरा (एक) में परिगणित है जो संबंधित परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने हेतु पात्र घोषित किये गये हो।

10.2 एटीकेटी परीक्षा के विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा भी है, की स्थिति में, अभ्यर्थी को केवल लिखित परीक्षा में, यदि वह मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक में उत्तीर्ण हो गया हो और केवल प्रायोगिक में यदि वह लिखित प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हो, उपस्थित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी जो लिखित प्रश्न पत्र और प्रायोगिक दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया हो, को विषय के दोनों भाग में परीक्षा देना होगा। प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर, दो विभिन्न प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण करने में असफल विद्यार्थी के रूप में परीक्षा लिया जायेगा।

10.3 इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अभ्यर्थी, जिसे एटीकेटी परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया जा चुका हो, एटीकेटी परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में तत्काल होनी वाली अगली परीक्षा जिसमें उसे इस प्रकार पात्र होने के लिये विवर्जित किया गया था, में उपस्थित हो सकेगा और उसके पश्चात् अगली परीक्षा में समस्त प्रश्न पत्र में उपस्थित होना आवश्यक होगा ।

10.4 कोई अभ्यर्थी जो एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो, परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा यदि वह विषय या समूह, जैसी भी स्थिति हो, में इस परीक्षा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करता हो। एटीकेटी/सेमेस्टरांत परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को, परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंतिम डिवीजन प्राप्त का अवधारण करते हुए गणना में लिया जायेगा ।

10.5 अभ्यर्थी के प्रथम प्रयास में उसके एटीकेटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल होने की स्थिति में, जब कभी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती है, उस विशिष्ट सेमेस्टर की नियमित परीक्षा में उन प्रश्न पत्रों के साथ उत्तीर्ण करने हेतु, उसी विशिष्ट अभ्यर्थी को पश्चात्वर्ती एटीकेटी के रूप में ज्ञात एक और प्रयास करने हेतु बिन्दु क्रमांक 10.1 (एक) के अनुसार अवसर दिया जायेगा। ये ऐटीकेटी परीक्षा पहला एटीकेटी, दूसरा एटीकेटी, तीसरा एटीकेटी एवं पश्चात्वर्ती एटीकेटी परीक्षा के रूप में होगी।

10.6 यदि ऐसा अभ्यर्थी, पश्चात्वर्ती ऐटीकेटी के अंतिम अनुज्ञेय प्रयास में भी अपने प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने में असफल होता है तो वह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना नहीं रह पायेगा।

अध्याय –तीन

11. विश्वविद्यालय परीक्षा का संचालन

11.1 विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें, कुलसचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा संचालित की जायेगी ।

11.2 परीक्षा की रूपरेखा, विश्वविद्यालयीन परीक्षा के प्रारंभ होने के प्रथम दिन से कम से कम 14 दिन पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

11.3 सैद्धांतिक के साथ–साथ प्रायोगिक परीक्षाओं एवं शोध लेख/थीसिस/ परियोजना प्रतिवेदन/प्रशिक्षण प्रतिवेदन के सभी परीक्षकों की नियुक्ति, कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा की जायेगी ।

11.4 परन्तु यह कि कुलपति, परीक्षकों के अनुमोदन हेतु, अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन अपने विवेकाधिकार से कर सकेगा । प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद के परामर्श से, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा केन्द्र सुनिश्चित करेगा तथा परीक्षा नियंत्रक, केन्द्रों जिसे परीक्षा केन्द्र के रूप में घोषित किया जा चुका है, के साथ परामर्श कर, उस प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति (यदि कोई हो) करेगा और उनके मार्गदर्शन हेतु निर्देश जारी करेगा । परन्तु यह कि केन्द्र में सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, उपस्थित परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या, कम से कम 300 होनी चाहिए ।

(एक) प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा अधीक्षक प्रश्न पत्रों एवं उसे भेजे गये उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित अभिरक्षा के लिये व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा और उपयोग किये गये अनुपयोगी प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सम्पूर्ण रिपोर्ट विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(दो) अधीक्षक, उसके अधीन कार्यरत परीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसे जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कड़ाई से परीक्षा संचालित करेगा।

11.5 विश्वविद्यालय, परीक्षा केन्द्र या परीक्षा समय में, किसी कारण को बताये बिना यदि वह उचित समझता है, परिवर्तन कर सकेगा ।

11.6 विश्वविद्यालय समय–समय पर, गुणवत्ता आडिटर मण्डल की नियुक्ति यह दृष्टिगत रखते हुए कर सकेगा कि अभिकथित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षाओं का कड़ाई से संचालन हो । नियमों या प्रक्रियाओं के भंग होने के बिन्दु पर गुणवत्ता आडिटर की दशा में, कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो, इसमें केन्द्र में परीक्षा के सम्पूर्ण या किसी भाग को रोकना या रद्द

करना भी सम्मिलित है तथा यदि किसी ऐसी कार्यवाही, कार्यवाही रिपोर्ट पर कर ली गई है तो उसे, प्रबंध मण्डल को उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।

11.7 यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य केन्द्र अधीक्षक का होगा कि यदि परीक्षार्थी वही व्यक्ति है जिसने परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन प्रपत्र भरा हुआ है, तो उसके प्रपत्र पर चस्पा किये गये फोटो की सही तरीके से जॉच किया जाए।

11.8 परीक्षा अधीक्षक, आवश्यकतानुसार, परीक्षकों के प्रदर्शन और परीक्षार्थी के सामान्य व्यवहार का उनमें उल्लेख करते हुए, परीक्षा संचालन के बारे में परीक्षा नियंत्रक को गोपनीय प्रतिवेदन भेजेगा । वह प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित हुए परीक्षार्थियों की संख्या, अनुपस्थितों के रोल नम्बर एवं केन्द्र में हुए परीक्षा से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आवश्यक समझा जाये, किसी अन्य मामले के साथ–साथ जिसे वह विश्वविद्यालय की जानकारी में लाना उचित समझे, पर प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजगा । वह, परीक्षा के संचालन के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि और उपगत व्यय के लेखा विवरण संधारित करने हेतु तथा परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी भी होगा।

11.9 केन्द्र अधीक्षक को पश्चातवर्ती परीक्षा के दिनों पर परीक्षार्थी को निम्न में से किसी भी आधार पर परीक्षा से बाहर करने की शक्ति होगीः

(एक) यह की परीक्षार्थी ने परीक्षा केन्द्र में उपताप या गंभीर तनाव उत्पन्न कर दिया हो ।

(दो) यह की परीक्षार्थी ने परीक्षक या परीक्षा कार्य में न्यस्त स्टॉफ के सदस्यों को गंभीर आक्रमक मानोवृत्ति का प्रदर्शन किया हो ।

(तीन) यदि आवश्यक हो, अधीक्षक को पुलिस की सहायता प्राप्त हो सकेगी । जहॉ अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया हो, वहॉ परीक्षा नियंत्रक को तुरन्त सूचना दी जायेगी ।

(चार) अन्यथा निर्देश के सिवाय, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों को, अधीक्षक द्वारा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा । यदि अपेक्षित हो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भी परीक्षकों को बुलाया जा सकेगा ।

(पॉच) परीक्षार्थी किसी भी प्रयोजन के लिये, परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा के भीतर परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा और इसके प्रारंभ होने के आधा घंटा के बाद परीक्षा कक्ष में विलम्ब से पहुंचने वालों को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(छः) परीक्षार्थी, परीक्षा कक्ष को अस्थायी रूप से छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो न्यूनतम 5 मिनट की अवधि के लिए ऐसी अनुमति दी जायेगी ।

11.10 कुलपति, ऐसे सभी केन्द्रों की परीक्षा रद्द कर सकेगा यदि वह संतुष्ट होता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है या कोई अन्य अनियमितता है जिसके लिए उसकी राय में कदम उठाना या प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट देना चाहिए।

11.11 प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद के साथ परामर्श कर परीक्षा संचालित करने हेतु जैसा कि वे सुचारू संचालन के लिए आवश्यक महसूस करें, सामान्य सूचना जारी कर सकेगा ।

11.12 यदि अभ्यर्थी के पास प्रश्न पत्र में कोई कमी मिलने की कोई संसूचना है तो वह परीक्षा नियंत्रक या कुलसचिव को संबोधित करेगा किन्तु उसे परीक्षा नहीं देने या उसकी संसूचना के बाहर आने से उसके हित की प्रत्याशा में किसी प्रकर से बीच में उसे छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11.13 विश्वविद्यालय के विभागों में चल रहे कार्यक्रमों के लिये परीक्षक के नामों की अनुशंसा संबंधित अध्ययन मण्डल से प्राप्त की जा सकेगी । अत्यावश्यक होने पर और अध्ययन मण्डल की बैठक न होने पर, अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष, कि क्यों न अध्ययन मण्डल की बैठक बुलाई जाए, का स्पष्ट कथन करते हुए नामों की अनुशंसा करेगा ।

11.14 आपात परिस्थितियों में जहॉ कुछ कारणों से उपरोक्त नियत अवधि में अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वयक/संकाय/विभाग के प्रमुख/प्राचार्यों से अनुशंसा प्राप्त न हो सके तो कुलपति द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय से एक शैक्षणिकवेत्ता से अनुशंसा प्राप्त की जा सकेगी ।

11.15 परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वयक/संकाय/विभाग के प्रमुख/प्राचार्यों/प्राधिकृत शैक्षणिकवेत्ता से उसे प्राप्त परीक्षकों के पैनल में कुलपति के अनुमोदन हेतु सूची को जमा करने के पूर्व एक या अधिक नामों को जोड़ने हेतु प्राधिकृत होंगे ।

11.16 प्रश्नपत्र सेटर से प्रश्नपत्र प्राप्त होने के पश्चात्, माडेरेटर द्वारा उसमें सुधार किया जायेगा जो कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के अनुमोदन से विषयवार नियुक्त होंगे। परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विषय में सही तरीके से सुधार किये न्यूनतम तीन प्रश्न पत्र, प्रश्नपत्र बैंक में उपलब्ध हों।

11.17 परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र बनाने हेतु अनुमोदित पैनल में से नियुक्त परीक्षक, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का उपयोग करते हुये जहॉ पर लागू हों, केवल प्रश्नपत्र प्ररूप हेतु मार्गदर्शन के रूप में यदि विद्या परिषद द्वारा प्रश्नपत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया हो, प्रश्नपत्र सेट करेगा । प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के समस्त पाठ्यचर्या से बनाया जायेगा ।

11.18 अभ्यर्थी के परीक्षा के मामले में अधिमान्य उपचार प्राप्त करने हेतु, उसके निमित्त या उसके द्वारा कोई प्रयत्न किया गया है तो उसकी रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक को दी जायेगी जो उसको कुलपति के समक्ष आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु रखेगा ।

11.19 परीक्षा समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित को छोड़कर, परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के पत्री और प्रति पत्री तथा परीक्षा उत्तर पुस्तिका को, तालिका परिणामों को छोड़कर, परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तिथि से 2 वर्ष के पश्चात् नष्ट या अन्यथा नष्ट कर दिया जायेगा। परंतु पुनर्मुल्यांकन के पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनमूल्यांकन परिणाम के घोषणा के केवल 2 वर्ष के पश्चात् ही नष्ट/खत्म कर दिया जायेगा।

11.20 परीक्षा नियंत्रक, अधिकारिक वेबसाइड के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यालय के सूचना पटल पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा के संयुक्त परिणामों को प्रकाशित करेगा। जब परिणाम प्रकाशित किया जायेगा तो साथ ही संबंधित संस्थानों को भी संसूचित किया जायेगा।

11.21 प्रश्न पत्र सेटर, उत्तर लेखन, मूल्यांकन कर्ताओं, परीक्षकों, अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों, जांचकर्ताओं, तालिकाकारों, कम मिलान कर्ताओं को मानदेय दी जायेगी तथा चूक किया गया सूचित होने पर उनसे ऐसी कटौती की जायेगी जैसा कि परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए।

11.22 जहां पुनर्मुल्यांकन हेतु विद्यार्थी आवेदन करता है, विषयों की उत्तर पुस्तिका जिसमें पुनर्मुल्यांकन चाही गयी है, जो पहले मूल्यांकित किया है, से भिन्न परीक्षक को भेजा जायेगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया परीक्षक, केवल उन प्रश्नों जिसे अचिन्हित किया हो, को मूल्यांकित एवं जांच करेगा। वह कुल नंबरों की भी जांच करेगा। विद्यार्थी के अंकों में परिवर्तन तभी होगा यदि पूर्व के मूल्यांकन के अंकों एवं पुनर्मुल्यांकन के अंकों में 10% से अधिक अंतर हो या विद्यार्थी, परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण हुआ हो जो पूर्वोक्त अंतर, 10% से अनधिक हो।

11.23 परंतु यह कि ऐसे परीक्षक, प्रबंध मण्डल द्वारा यथा विहित मानेदय प्राप्त करेंगे।

11.24 कोई भी अभ्यर्थी, एक से अधिक डिग्री परीक्षा या एक से अधिक मास्टर डिग्री परीक्षा में, एक से अधिक विषय में, उसी वर्ष में उपस्थित नहीं होगा।

11.25 कोई व्यक्ति, जिसे किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से निष्काषित या अस्थायी रूप से निकाला गया हो या विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से रोका गया हो, अवधि जिसमें सजा प्रचलन में हो, उसे उस अवधि के दौरान किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11.26 विश्वविद्यालय की परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, विशेष मामलों में, जिसमें वह संतुष्ट हो कि परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुआ विलंब, अभ्यर्थी के जागरूकता में कमी या उपेक्षा के कारण से नहीं है तथा यह विद्यार्थी के लिए गंभीर कठिनाई होगी यदि उसके आवेदन को निरस्त किया जाता है, अभ्यर्थी, जो प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर यथाविहित विलंब फीस के साथ सभी पहलुओं को अन्यथा पूर्ण करता है, का आवेदन अनुज्ञात किया जायेगा भले ही वह पूर्वागामी पैरा में उल्लिखित 15 दिन की अवधि के अवसान के बाद ही प्राप्त हो।

11.27 (1) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसे सम्यक रूप से जारी किये गये वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता। परीक्षा नियंत्रक अभ्यर्थी के पक्ष में एक आवेदन पत्र जारी करेगा, यदि –

(एक) अभ्यर्थी का आवेदन सभी तरह से पूर्ण है

(दो) अभ्यर्थी द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान किया जा चुका हो।

(तीन) उपस्थिति सामान्यतः 75% से अधिक हो।

11.28 जहां प्रायोगिक परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व हुआ हो, अभ्यर्थी को सैद्धांतिक परीक्षा में तब तक प्रवेशित नहीं माना जायेगा जब तक कि परीक्षा में उपस्थित होने हेतु प्रवेश पत्र न जारी किया गया हो।

11.29 परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में जारी प्रवेश पत्र को वापस ली जा सकेगी यदि यह पाया जाता है किः–

(एक) प्रवेश पत्र भूलवश जारी हुआ था या अभ्यर्थी, परीक्षा में उपस्थित होने का पात्र नहीं था।

(दो) अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई विवरण या जमा की गयी दस्तावेज या आवेदन के साथ नामांकन, संस्थान, महाविद्यालय या विद्यालय में प्रवेश असत्य, फर्जी या अस्पष्ट था।

11.30 परीक्षा नियंत्रक, यदि वह संतुष्ट है कि प्रवेश पत्र गुम या नष्ट हो चुका है, विहित फीस के भुगतान करने पर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्रदान करेगा। ऐसी कार्ड में महत्वपूर्ण स्थान में "डुप्लीकेट" शब्द दर्शित होगा।

11.31 किसी विषय में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में लिखे उत्तरों की पुनः जांच हेतु, कोई अभ्यर्थी, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, अपने अंकों की जांच हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा। ऐसे आवेदन, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशित होने के 15 कार्य दिवस के भीतर विहित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक तक पहुंच जाना चाहिए।

11.32 जांच के परिणामों की संसूचना अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

11.33 विश्वविद्यालय के अन्य अध्यादेश में यथा उल्लिखित फीस का भुगतान करने पर भिन्न अनुगामी प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्रदान की जायेगी।

11.34 परंतु यह और कि आव्रजन प्रमाणपत्र, डिग्री, डिप्लोमा की डुप्लीकेट प्रति, प्रदाय नहीं किया जायेगा सिवाय इसके जिसमें कुलपति संतुष्ट है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मूल दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया है तथा गुम हो गया है या वह विनष्ट हो चुका है तथा आवेदक को वास्तव में डुप्लीकेट प्रति की जरूरत है। डुप्लीकेट प्रति केवल एक बार जारी की जायेगी।

11.35 एटीकेटी परीक्षा के अलावा प्रत्येक अंतिम डिग्री परीक्षा में प्रथम दस सफल अभ्यर्थियों का नाम, जिन्होंने प्रथम श्रेणी पाई है, मेरिट के कम में रखा जायेगा।

11.36 संबंधित परीक्षा अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, नियमित अभ्यर्थी के रूप मे सेमेस्टरांत परीक्षा में समस्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, प्रायोगिक, साक्षात्कार, आंतरिक मूल्यांकन, क्षेत्र कार्य परियोजना में जो उपस्थित हुये हो और किसी स्नातक परीक्षा में एक से अनधिक विषयों में कुल पांच अंकों से कम से अनुत्तीर्ण हुए हो, परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु उसे पांच अंकों तक कृपोत्तीर्ण दिया जा सकेगा।

11.37 प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षक मण्डल द्वारा सेमेस्टरांत में प्रायोगिक परीक्षा, आयोजित की जायेगी। मण्डल, एक या अधिक से मिलकर बनेगी। जहां प्रायोगिक परीक्षायें, एक से अधिक संस्थानों में साथ–साथ आयोजित हों, एक से अधिक मण्डल नियुक्त की जा सकेगी। ऐसे मामले में एक परीक्षक को मुख्य परीक्षक के रूप में पदाचिन्हित की जा सकेगी। मुख्य परीक्षक, परीक्षा के संचालन हेतु मार्गदर्शन देगा और मूल्यांकन में एकरूपता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मण्डलों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

11.38 किसी अन्य प्रकार की परीक्षा हेतु, यहां दर्शित उपरोक्त द्वारा आच्छादित न हो, परीक्षा संचालित करने की रीति परीक्षा की पाठ्यचर्या/योजना में विशेष रूप से उपबंधित अनुसार होगा तथा ऐसे उपबंधों के अभाव में, संबंधित अध्ययन

मण्डल/समन्वय समिति की अनुशंसा पर, कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

11.39 सेमेस्टर का परिणाम, (सेमेस्टरांत परीक्षा और शिक्षक का नियमित मूल्यांकन दोनों सम्मिलित हैं), परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किया जायेगा। तथापि, विस्तृत परिणाम की संवीक्षा के पश्चात् यदि परीक्षा नियंत्रक द्वारा यह अवलोकन किया जाता है कि संपूर्ण रूप में या विशेष पाठ्यक्रम की परीक्षा की गुणवत्ता में सुभिन्न परिवर्तन हुआ है तो वह मामले को कुलपति द्वारा विशेष प्रयोजन हेतु गठित सुधार समिति को भेज सकेगा।

11.40 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंतर्विष्ट करते हुए, प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, परिणाम घोषित करने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवार्ड सूची जारी की जायेगी।

अध्याय – चार

12. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने, अंकों तथा श्रेणियों के लिए मानदण्ड

12.1 पूर्व–स्नातक विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा जिसमें सेमेस्टरांत/अवधि अंत/वर्षांत परीक्षा और शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन के अंक सम्मिलित होंगे, तथापि पूर्व स्नातक विद्यार्थी हेतु सेमेस्टर एवं पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए एवं उसको सौंपे गये क्रेडिट अर्जित करने के लिए सभी प्रश्न पत्रों में कुल 45% अंक, प्राप्त करेंगे तथा पूर्व स्नातक अभ्यर्थी, जो सेमेस्टर में प्रश्न पत्र मे कुल 40% अंक से कम तथा कुल योग 45% से कम अर्जित करते हों, को उस सेमेस्टर/पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा।

12.2 विद्यार्थी, परिणाम घोषित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, विहित फीस का भुगतान करने पर विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के परीक्षा लेख की पुर्नजांच हेतु आवेदन कर सकेगा। पुर्नजांच से अभिप्रेत, यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्नों और उनके हिस्से, प्रश्न पत्र के अनुसार सम्यक रूप से अंक दिये गये हैं और अंकों का कुल योग सही है। भिन्नता पाये जाने की स्थिति दोनों में, समुचित परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टरांत परीक्षा की अंकसूची में परिशोधन किया जायेगा।

12.3 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये, प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 45% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा जिसमें सेमेस्टरांत/अवधि अंत/वर्षांत परीक्षा और शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन के अंक सम्मिलित होंगे, तथापि स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु सेमेस्टर/पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए एवं उसको सौंपे गये क्रेडिट अर्जित करने के लिए सभी प्रश्न पत्रों में कुल 50% अंक, प्राप्त करेंगे तथा स्नातकोत्तर अभ्यर्थी, जो सेमेस्टर में प्रश्न पत्र मे कुल 45% अंक से कम तथा कुल योग 50% से कम अर्जित करते हों, को उस सेमेस्टर/पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा।

12.4 स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 35% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा जिसमें सेमेस्टरांत/अवधि अंत/वर्षांत परीक्षा और शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन के अंक सम्मिलित होंगे, तथापि डिप्लोमा विद्यार्थी हेतु सेमेस्टर/पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए एवं उसको सौंपे गये क्रेडिट अर्जित करने के लिए सभी प्रश्न पत्रों में कुल 40% अंक, प्राप्त करेंगे तथा डिप्लोमा अभ्यर्थी, जो सेमेस्टर में प्रश्न पत्र मे कुल 35% अंक से कम तथा कुल योग 40% से कम अर्जित करते हों, को उस सेमेस्टर/पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा।

12.5 सफल अभ्यर्थियों को निम्नानुसार श्रेणी में स्थान दिया जायेगाः

विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणीः कोई अभ्यर्थी कार्यक्रम के अंत में कुल 75% अंक प्राप्त करता है तो उपरोक्त विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में स्थान दिया जायेगा, क्योंकि अभ्यर्थी ने प्रथम प्रयास में सभी प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण कर लिया है।

प्रथम श्रेणी : अभ्यर्थी कार्यक्रम के अंत में 60% अंक परंतु उपरोक्त 75% से भिन्न अंक होने पर, प्रथम श्रेणी में स्थान दिया जायेगा।

द्वितीय श्रेणीः पूर्व स्नातक एवं डिप्लोमा अभ्यर्थी, कार्यक्रम के अंत में 45% अंक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थी 50% अंक तथा उपरोक्त 60% से नीचे अंक होने पर द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा।

उत्तीर्ण श्रेणीः स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभ्यर्थी, पाठ्यक्रम के अंत में 40 प्रतिशत अंक किन्तु 45 प्रतिशत से कम अंक होने पर उत्तीर्ण श्रेणी में रखा जायेगा।

12.6 थोड़े अंतर से प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिये कृपोत्तीर्ण अंकों का प्रावधान होगा। ऐसी कमी के द्वारा सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण

होने की स्थिति में, प्रश्न पत्र उत्तीर्ण होने के लिये कृपोत्तीर्ण अंकों के रूप में उसे अधिकतम पांच अंक का अवार्ड दिया जा सकेगा। कृपोत्तीर्ण अंक 5 से ज्यादा नहीं होगा। कृपोत्तीर्ण अंक सेमेस्टरांत/वर्षांत परीक्षा के संपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के केवल एक प्रश्न पत्र में कृपोत्तीर्ण अंक अवार्ड दिया जायेगा।

यह सुविधा केवल उन अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने विशेष सेमेस्टर/वर्षांत परीक्षा (अर्थात् प्रथम प्रयास में सभी सैद्धांतिक, प्रायोगिक, और सत्रीय) को पूर्ण किया है, कृपोत्तीर्ण अंक 5 दिये जायेंगे।

12.7 विद्यार्थी को अधिकतम कृपोत्तीर्ण अंक 1 अवार्ड करने पर उसके श्रेणी में द्वितीय से प्रथम या प्रथम से विशेष योग्यता में सुधार हो जाने की स्थिति में, कुलपति ऐसे अंकों को अवार्ड कर सकेगा। ऐसे अवार्ड किये गये अंकों को विद्यार्थी की अंकसूची में पृथक से उल्लिखित किया जायेगा। यह लाभ खण्ड 12.6 के अधीन सुविधा प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं होगी।

12.8 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र से भिन्न एवं ऐटीकेटी/पूरक विद्यार्थियों को अंक अवार्ड नहीं किये जायेंगे।

12.9 जब अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा की जा रही हो, 12.6 में कमियों के संरक्षण हेतु सकल अंकों से कोई अंक जोड़ा या घटाया नहीं जायेगा। यद्यपि कमियों के संरक्षण के पश्चात् खण्ड 12.6 के माध्यम से उसने पाठ्यक्रम (विषयों) को उत्तीर्ण कर लिया हो, अभ्यर्थियों के परिणाम की घोषणा, श्रेणी में की जायेगी, जिसके लिये वह सकल अंक पाने का अधिकार रखता हो।

13 परिणामों की घोषणा

परीक्षा समिति, परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी होगी। इस संबंध में परीक्षा समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे:

विश्वद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम की, उसके स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् कि सभी एवं विभिन्न विषयों का परिणाम प्रचलित मानदण्ड के अनुरूप है समीक्षा और घोषणा की जायेगी और किसी प्रकरण में जहां परिणाम असंतुलित है में की जाने वाली कार्यवाही के लिये कुलपति को अनुशंसा करेगी।

प्रश्न पत्रों के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करेगी।

अभ्यर्थी जिसका उत्तर पुस्तिका परिवहन में गुम गई है के मामले का निपटारा

करेगी। विद्या परिषद द्वारा समय–समय पर यथा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(एक) अभ्यर्थी, जिसका परिणाम घोषित किया जा चुका है, विहित प्ररूप में पन्द्रह दिवस तथा विलंब फीस 500 रू. के साथ 30 दिवस या उसके परिणाम की घोषणा के समय से परीक्षा समिति द्वारा यथा निर्धारित के भीतर किसी उत्तर पुस्तिका के पुर्नमुल्यांकन या अंकों या परिणामों की पुर्नजांच हेतु, परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा।

परंतु यह कि पुर्नमुल्यांकन की दशा में अभ्यर्थी को दो प्रश्न पत्र से अधिक का पुर्नमुल्यांकन करवाने की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह और भी कि परीक्षा में प्रश्न पत्र के स्थान पर जमा किये गये प्रायोगिक लेख, क्षेत्र कार्य, सेशनल कार्य, परीक्षण, थीसिस एवं परियोजना कार्य के मामले में पुर्नमुल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।

(दो) अभ्यर्थी को अपने उत्तर लेख का पुर्नमुल्यांकन कराने हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को विहित फीस जमा करना होगा जिसे परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

टीपः– यदि किसी परीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या जांचकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही हो तो मामले को परीक्षा समिति की अनुशंसा के साथ प्रबंध मण्डल को सौंपा जायेगा।

14. अनुचित साधनों का प्रयोग एवं दुर्व्यवहारः

14.1 कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा से संबंधित किसी पुस्तक, प्रश्न पत्र, नोट्स, इलेक्ट्रानिक सामग्री या अन्य सामग्री अपने साथ नहीं लायेगा न ही वह विनिर्दिष्ट अनुमति को छोड़कर परीक्षा कक्ष में किसी जानकारी को किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति से कहेगा या न ही प्राप्त करेगा।

14.2 कोई अभ्यर्थी स्याही सोखने वाली प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्र पर या किसी अन्य वस्तु/सामग्री पर उसे दिये गये उत्तर पुस्तिका को छोड़कर कुछ भी टीप या लेख नहीं करेगा।

14.3 कोई अभ्यर्थी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति को न तो सहयोग देगा या नहीं सहयोग लेगा अथवा परीक्षा से संबंधित गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

14.4 कोई भी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में नकल करते या कोई गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, परीक्षा अधीक्षक या जांचकर्ता या विश्वविद्यालय के कर्मचारी के माध्यम से, जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को संसूचित करेगा। परीक्षा नियंत्रक उपरोक्त मामले को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रख सकेगा। संतुष्ट होने पर कि आरोप के तथ्य सही है अभ्यर्थी पर पूर्व चिन्तन किया जायेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जायेगा तथा किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने के तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए रोक दिया जोयगा।

14.5 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये गये अभ्यर्थी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के परीक्षा अधीक्षक द्वारा या उसके माध्यम से विश्वविद्यालय के परीक्षक या पदाधिकारी द्वारा परीक्षा नियंत्रक को रिपोर्ट करेगा। परीक्षा नियंत्रक, विचारण हेतु परीक्षा समिति के समक्ष उक्त विषय को रखेगा जो, यदि संतुष्ट हो जाता है कि, कथित तथ्य, सत्य है किन्तु पूर्व विचार विमर्श करते हुए प्रकट नही करता, अभ्यर्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से निरर्ह हो जायेगा और दो वर्ष के अनधिक अवधि के लिए विश्वविद्यालयीन परीक्षा में उपस्थित होने से उसे विवर्जित हो जायेगा।

14.6 कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा कक्ष में कोई पुस्तक, पेपर, नोट्स या अन्य सामग्री लाता है, विश्वविद्यालय के परीक्षक या पदाधिकारी द्वारा परीक्षा अधीक्षक द्वारा या उसके माध्यम से यथा प्रतिवेदित परीक्षा नियंत्रक द्वारा विचारण हेतु परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जायेगा । परीक्षा समिति, यदि संतुष्ट हो जाता है कि कथित तथ्य, सत्य है किन्तु अभ्यर्थी ने उसका उपयोग किया है उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से निरर्ह हो जायेगा ।

14.7 किसी अभ्यर्थी जो परीक्षा अधीक्षक की राय में परीक्षा कक्ष में किये दुर्व्यवहार के लिए इस अध्यादेश के उपरोक्त उप–पैरा 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के अर्थ के अंतर्गत कदाचरण से भिन्न दोषी पाया गया है, परीक्षा अधीक्षक द्वारा उसी प्रश्न पत्र से

निष्काषित कर सकेगा। तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। उक्त समिति यदि संतुष्ट है कि लगाये गये आरोप के तथ्य सही है एक वर्ष के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उसे अयोग्य ठहरा सकेगा।

14.8 कोई परीक्षार्थी, परीक्षक या परीक्षा से संबंधित कर्मचारी को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो अपराध माना जायेगा। ऐसे मामलों को परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। परीक्षा समिति, यदि संतुष्ट है कि आरोप सही है, अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अयोग्य करार दे सकेगा तथा उसे एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए किसी परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकेगा।

14.9 कोई अभ्यर्थी, किसी परीक्षा अधीक्षक या जांचकर्ता या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को परीक्षा आयोजित करने के उसके कर्तव्यों के संबंध में बल प्रयोग करते हुए साधनों या प्रताड़ित या दबावपूर्वक या उपयोग करते हुए या धमकी देते हुए उसे हटाने का दोषी पाया जाता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा और गंभीर दुर्व्यवहार में लिप्त माना जायेगा। ऐसे मामलों को, परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से संबंधित अधिकारी द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। परीक्षा समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप सही है, अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य करार दिया जायेगा और/या विश्वविद्यालय से निकाल दिया जायेगा। तथा विश्वविद्यालय के भविष्य की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए उसे सही एवं उपयुक्त व्यक्ति नहीं होना घोषित किया जायेगा।

14.10 कोई अभ्यर्थी जिसे उपरोक्त उप–खण्ड 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 के अधीन दण्डित किया जा चुका हो, नियमित विद्यार्थी के रूप में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को केवल अगले वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी, जिसमें दण्डावधि के अवसान होने के पश्चात् भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में वह उपस्थित होने का हकदार रहा/रही हो।

14.11 यदि कोई विद्यार्थी केन्द्र में अधीक्षक या किसी जांचकर्ता के सामने हिंसक तरीके या बल प्रयोग या बल का प्रदर्शन करता है या व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट के दायरे में ला देता है या इस तरीके से दोनों ही करता है, उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन में

प्राधिकारियों को रोकता है, तो अधीक्षक अभ्यर्थी को केन्द्र से निष्काषित कर सकेगा और पुलिस की सहायता ले सकेगा।

14.12 यदि कोई परीक्षा केन्द्र की परिसीमा के भीतर कोई घातक हथियार लेकर आता है तो उसे केन्द्र से निष्काषित किया जा सकेगा और/या परीक्षा के अधीक्षक द्वारा पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

14.13 उपरोक्त 14.10 एवं 14.12 में उल्लिखित किसी आधार पर निष्काषित किये गये अभ्यर्थी को बाद के प्रश्न पत्र में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

14.14 प्रत्येक मामले में जहां उपरोक्त 14.10, 14.12, 14.14 के अधीन अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई है की विस्तृत प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा तथा कार्य परिषद् अपराध की गंभीरता के अनुसार उसे और दण्डित कर सकेगा। अभ्यर्थी को कारण दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद अभ्यर्थी के परीक्षा को रद्द करते हुए और/या एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक सकेगा।

14.15 कोई व्यक्ति, जो वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है की स्थिति में, वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया जाता है, उपधारणा की जायेगी कि यह प्रतिरूपण घटना कारित किया है और वास्तविक अभ्यर्थी के साथ दुरभि सन्धि किया है तथा ऐसे व्यक्ति एवं ऐसे वास्तविक अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही नीचे दिये गये अनुसार की जायेगीः

(एक) वास्तविक अभ्यर्थी जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दिया है भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम करने से रोक दिया जायेगा तथा उसे समुचित कार्यवाही हेतु पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

(दो) व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा को देने से रोका जायेगा तथा समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं है, समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

14.16 कोई अभ्यर्थी अंकों के श्रेणी या प्रतिशत में सुधार हेतु परीक्षा में उपस्थित हो रहा है और अनुचित साधनों के उपयोग करते पकड़ा जाता है उसके श्रेणी/अंकों के प्रतिशत में सुधार हेतु जब फिर से उपस्थित होते समय उसके प्रश्न पत्र के परीक्षा परिणाम जिसमें वह उपस्थित हुआ है रद्द भी किया जायेगा इसके अतिरिक्त अनुचित साधनों के प्रयोग हेतु उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

14.17 दोषी विद्यार्थी पर कोई सजा, उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव पर सम्यक विचार करने के पश्चात् दिया जायेगा।

14.18 परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक, परीक्षार्थी के विरूद्ध जिसने परीक्षा हॉल या परीक्षा केन्द्र की परिसीमा के भीतर परीक्षा के घंटों के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास किया है, निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जायेगीः

(एक) परीक्षार्थी को उसके कब्जे में प्राप्त समस्त आपत्तिजनक सामग्री जिसमें उत्तर पुस्तिका भी सम्मिलित है के साथ समर्पण करने बुलाया जायेगा और तारीख और समय के साथ मेमोरेन्डम तैयार की जायेगी।

(दो) परीक्षार्थी और जांचकर्ता के बयान को अभिलिखित किया जायेगा।

(तीन) परीक्षार्थी को 'डुप्लीकेट उत्तर पुस्तिका' मार्क किया हुआ, उत्तर पुस्तिका जारी की जायेगी, परीक्षा हेतु विहित शेष समय के भीतर उत्तर देने का प्रयास करेगा।

(चार) संग्रहित किये गये सभी सामग्री और समस्त साक्ष्यों के साथ परीक्षार्थी के बयान और उत्तर पुस्तिका को सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कर, अधीक्षक के अवलोकन के साथ पैकेट में अनुचित साधन चिन्हित कर पंजीकृत पृथक गोपनीय मुहर लगाकर नाम से, कुलसचिव को, अग्रेषित किया जायेगा।

(पांच) परीक्षार्थी से एकत्र की गई सामग्री के साथ–साथ दोनों उत्तर पुस्तिकाओं अर्थात अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर एकत्र की गई उत्तर पुस्तिका और डुप्लीकेट उत्तर पुस्तिका को, कुलसचिव द्वारा परीक्षक को पृथक से दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु भेजी जायेगी एवं उससे एकत्र की

गई साक्ष्य सामग्री और जाचकर्ता एवं अधिक्षक के कथन को देखते हुए, यदि परीक्षार्थी ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, का प्रतिवेदन देगा।

(छः) केन्द्र अधीक्षक द्वारा यथा संसूचित परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों का, परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ, परीक्षा समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। समिति, मामलों के परीक्षण पश्चात् समक्ष प्राधिकारी के माध्यम से प्रबंध मण्डल को अवगत करायेगा तथा प्रत्येक मामले में कार्यवाही करने का निर्णय लेगा।

(सात) कोई अभ्यर्थी परीक्षा घंटों के दौरान बातचीत करते हुए पाये जाने पर, ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी जायेगी, यदि जांचकर्ता द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद अभ्यर्थी निरंतर ऐसा करता है तो यह अनुचित साधन का कार्य माना जायेगा, ऐसे परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका रख ली जायेगी और डुप्लीकेट उत्तर पुस्तिका दी जायेगी।

14.19 यदि अभ्यर्थी, परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने का या उपयोग करने के प्रयास का दोषी पाया गया है जैसे उसी पुस्तिका या नोट्स से नकल करना या किसी अन्य अभ्यर्थी के उत्तर पुस्तिका से नकल करना या किसी अन्य अभ्यर्थी के मदद लेना या मदद प्राप्त करना या परीक्षा से संबंधित सामग्री को परीक्षा कक्ष में रखना या कोई अन्य कार्य चाहे जो भी हो वहां परीक्षा समिति या परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त समिति, परीक्षा को रद्द कर सकेगा तथा विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये, अपराध की प्रकृति के अनुसार एक या अधिक वर्ष के लिये उसे विवर्जित कर सकेगा।

14.20 परीक्षा समिति, अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द और/या उसे विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने से एक या अधिक वर्ष के लिए विवर्जित कर सकेगा। यदि उसके बाद के अन्वेषण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने अपने परीक्षा के संबंध में किसी रीति से दुर्व्यवहार और/या उपकरणों में छेड़छाड़ का दोषी था और/या विश्वविद्यालय के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने जिसमें उत्तर पुस्तिका, अंकसूची, नियमावली, डिप्लोमा और इसी तरह अन्य भी सम्मिलित है, दुष्प्रेरण किया था।

14.21 परीक्षा समिति, अभ्यर्थी के परीक्षा को रद्द तथा/या विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने से उसे एक या दो वर्ष के लिए विवर्जित कर सकेगा यदि उसके

बाद के अन्वेषण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने तथ्यों की गलत प्रस्तुति द्वारा या फर्जी प्रमाणपत्र/दस्तावेजों से प्रवेश प्राप्त किया गया था।

14.22 परीक्षा के समस्त दस्तावेज और परिणाम, लिखित उत्तर पुस्तिका को छोड़कर, संबंधित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा रखा जायेगा।

15. विद्यार्थी शिकायत समिति

विद्यार्थियों से लिखित में अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त होने की दशा में, सात दिन के भीतर प्रश्न पत्र आदि को स्थिर करने के संबंध में परीक्षा पूर्ण करने के पश्चात् संकाय/विभाग के प्रमुख/संस्थान के निदेशक के विनिर्दिष्ट अनुशंसाओं के साथ, इसे कुलपति द्वारा गठित विद्यार्थी शिकायत समिति द्वारा विचार किया जायेगा। कुलपति, उक्त परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने के पूर्व विद्यार्थी शिकायत समिति की अनुशंसा पर, समुचित निर्णय लेगा।

अध्याय–पांच

16. परीक्षकों की नियुक्ति

16.1 परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, परीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिये अर्ह व्यक्तियों के नामों की सूची संस्थावार प्रत्येक विषय के लिये तैयार करेगा । यह सूची दो भागों में होगी, पहले भाग में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में, विश्वविद्यालय के केन्द्र के रुप में चिन्हांकित संस्था में शिक्षक के रुप में कार्यरत व्यक्तियों के नाम अंतर्विश्ट होंगे तथा दूसरे भाग में विश्वविद्यालय के शिक्षकों जो परीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिये अर्ह हों, से भिन्न व्यक्तियों के नाम अंतर्विश्ट होंगे ।

16.2 सूची में यथासंभव व्यक्तियों से संबंधित सूचना अंतर्विश्ट होंगे जिसमें निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(एक) पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में शैक्षणिक अर्हता एवं शिक्षण अनुभव।

(दो) विशेषज्ञता का क्षेत्र ।

(तीन) विश्वविद्यालय के परीक्षकों के नाम एवं वर्ष जिसमें वे पूर्व में परीक्षक के रुप में कार्य किये हों ।

16.3 इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रथम परिनियम की धारा 14 के अधीन यथा गठित परीक्षा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी ।

16.4 परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने के लिये प्रत्याशित अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा समिति को भी देगा तथा उसमें अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या के साथ प्रत्येक प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के केन्द्र की सूची भी देगा ।

16.5 परीक्षा समिति, निम्नलिखित अनुशंसित पैरा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये करेगाः–

(एक) प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र के प्रश्नपत्र सेटर की नियुक्ति के लिये तीन नामों का पैनल ।

(दो) सह–परीक्षक, जहां संख्या से अधिक नियुक्त किया जाना आवश्यक है, के रुप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नामों की सूची।

(तीन) प्रत्येक प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा में, परीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की नामों की सूची । सूची में सम्मिलित नाम, विभिन्न केन्द्रों में प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के संचालन के लिये पर्याप्त होंगे ।

16.6 कुलपति, परीक्षा समिति द्वारा सामान्यतः अनुशंसित व्यक्तियों के बीच से प्रश्नपत्र सेटर, सह–परीक्षक, प्रायोगिक/मौखिक परीक्षक की नियुक्ति करेगी तथापि वह, व्यक्ति जिसका नाम परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में सम्मिलित नही है को नियुक्त कर सकेगा यदि वह संतुश्ट हो कि व्यक्ति न्यूनतम अर्हता रखता है तथा उसकी नियुक्ति से निम्नलिखित पैरा के प्रावधानों का उल्लंघन न हो ।

16.7 प्रश्नपत्र सेटर एवं सह–परीक्षक की अर्हता निम्नानुसार होगी, अर्थात्:–

(क) **प्रश्नपत्र सेटरः**

स. क.	परीक्षा	अर्हता
1.	(एक) विधि से भिन्न सभी संकायों में स्नातकोत्तर परीक्षा	(एक) स्नातकोत्तर स्तर में संबंधित विषय में शिक्षण का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर स्तर में संबंधित विषय में शिक्षण का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव साथ ही स्नातक और/या स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम सात वर्ष का शोध अनुभव/कुल शिक्षण अनुभव /सात वर्ष का औद्योगिक अनुभव
2.	(दो) एलएलएम	(दो) विधि में स्नातकोत्तर डिग्री या उच्च डिग्री और एलएलएम में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में अनुभव या बार में कम से कम दस वर्ष का प्रास्थिति
3.	(तीन) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विधि, चिकित्सा से भिन्न सभी संकाय में डिग्री परीक्षा	(तीन) पूर्व स्नातक और/या स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण
4.	(चार) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय में डिग्री परीक्षा	(चार) पूर्व स्नातक/ स्नातकोत्तर में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव/ व्यवसायिक अनुभव या पांच वर्ष का व्यवसायिक अनुभव

5.	(पांच) चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा संकाय में डिग्री परीक्षा	(पांच) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव या पांच वर्ष तक व्यवसायिक अनुभव
6.	(छः) एलएलबी	(छः) एलएलबी और/या एलएलएम कक्षाओं का कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव या जिला न्यायाधीश के रुप में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव या बार में दस वर्ष की प्रास्थिति
7.	(सात) मेडिसिन, दंत चिकित्सा से भिन्न सभी संकायों में डिग्री परीक्षा एवं कारोबार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा	(सात) डिग्री कक्षाओं हेतु कम से कम तीन वर्ष तथा डिप्लोमा कक्षाओं हेतु कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव
8.	(आठ) चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा के संकाय में डिप्लोमा परीक्षा	(आठ) संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टोरेट या मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष अर्हता और भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में, संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव
9.	(नौ) कारोबार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	(नौ) संबंधित विषय में डिग्री स्तर या स्नातकोत्तर कक्षाओं में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव
10.	(दस) फार्मेसी में डिग्री	(दस) फार्मेसी में कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री

		साथ ही तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव
11.	(ग्यारह) नर्सिंग में डिग्री	(ग्यारह) नर्सिंग में कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही दो वर्ष का शिक्षण अनुभव

16.8 सह–परीक्षक

अर्हता वही होगी जो प्रश्नपत्र सेटर के लिये है किन्तु अपेक्षित न्यूनतम शिक्षण/व्यवसायिक अनुभव, प्रश्नपत्र सेटर के मामलें में विहित से भिन्न दो वर्ष कम किया जा सकेगा ।

परन्तु यह कि डिग्री परीक्षा जहां आंतरिक सह–परीक्षक की पर्याप्त संख्या, संबंधित विषय में पूर्वोक्त अर्हता के साथ उपलब्ध न हो, की दशा में विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों, विभागों एवं संस्थानों के शिक्षक, संबंधित विषय में डिग्री/स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ, सह–परीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे ।

16.9 एक. स्नातकोत्तर स्तर में प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, बाह्य परीक्षक ऐसा व्यक्ति होगा जो सहायक प्राध्यापक की श्रेणी से निम्न का न हो ।

दो. डिग्री स्तर में प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, बाह्य परीक्षक संबंधित विषय का शिक्षक होगा जिसके पास डिग्री और/या स्नातकोत्तर स्तर में संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव हो ।

तीन. डिग्री एवं स्नातकोत्तर दोनो स्तर में प्रायोगिक परीक्षा की दशा में, आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संस्थान के शिक्षकों जो ऐसी संस्थान के प्रमुख की अनुशंसा पर केन्द्र में नियमित अभ्यर्थियों की संवीक्षा करते है के बीच से की जायेगी ।

चार. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा की दशा में बाह्य परीक्षक, सामान्यतः विश्वविद्यालय के विभाग/महाविद्यालय के शिक्षक नही होंगे ।

पांच. चिकित्सा, दंत चिकित्सा, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा संकाय को छोड़कर, प्रथम डिग्री स्तर में प्रायोगिक परीक्षा की दशा में सभी बाह्य परीक्षक, यथासंभव विश्वविद्यालय के संस्थानों या केन्द्रों के शिक्षकों के बीच से नियुक्त किये जायेंगे ।

17. सामान्यतः, किसी भी विषय में, स्नातकोत्तर एवं प्रथम डिग्री परीक्षा में 50% प्रश्नपत्र सेटर, विश्वविद्यालय के बाहर का होगा।

18. यदि किसी प्रश्नपत्र के लिये एक से अधिक परीक्षक नियुक्त किये गये हो तो प्रश्नपत्र सेटर मुख्य परीक्षक होगा । प्रश्न पत्र सेटर से भिन्न परीक्षक सह–परीक्षक होंगे ।

19. सभी सह–परीक्षक, आंतरिक होंगे परंतु यदि संबंधित विषय में अर्ह शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, सह–परीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो तो बाह्य सह–परीक्षक नियुक्त किये जा सकेंगे ।

20. प्रश्न पत्र सेटर एवं सह–परीक्षक के रुप में नियुक्ति हेतु, विश्वविद्यालय के विभाग एवं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के केन्द्र के शिक्षक पर, सामान्यतः ऐसी नियुक्ति के लिये अन्य भार्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुये, वरिश्ठता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

21. सामान्यतः कम से कम दो प्रश्न पत्र सेटर प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त किये जायेंगे । उन्हें विभिन्न केन्द्रों का होना आवश्यक है ।

22. सामान्यतः एक से अनधिक प्रश्न पत्र सेटर, किसी एक परीक्षा में उसी विषय में, विश्वविद्यालय के विभाग या संस्था या केन्द्र में से किसी एक को नियुक्त किया जायेगा ।

23. कोई भी, जो किसी स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रश्न पत्र सेटर है, उसे उसी परीक्षा में बाह्य मौखिक परीक्षक के रुप में नियुक्त नही किया जायेगा ।

24. किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः दो बाह्य प्रायोगिक परीक्षा से अधिक में नियुक्त नही किया जायेगा । परन्तु केन्द्र, जहां प्रथम डिग्री परीक्षा के प्रथम, द्वितीय एवं

तृतीय वर्ष में उपस्थित हो रहे अभ्यर्थियों की कुल संख्या, 120 से कम हैं, की दशा में, एक बाह्य परीक्षक सभी तीन परीक्षाओं के लिये नियुक्त किये जा सकेंगे ।

25. पूर्व स्नातक प्रायोगिक परीक्षा की दशा में, एक बाह्य परीक्षक सामान्यतः 120 अभ्यर्थियों से अधिक की संवीक्षा नहीं करेगा ।

26. लिखित परीक्षा की दशा में, परीक्षक सामान्यतः 240 लेख से अधिक का मूल्यांकन नही करेगा एवं सह–परीक्षक नियुक्त किया जायेगा, यदि प्रश्नपत्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 300 से अधिक है ।

27. पाठ्यक्रम, जहां अंग्रेजी विषय, परीक्षा का एकमात्र माध्यम नही है, में परीक्षक के नामों की अनुशंसा करते समय, परीक्षा समिति यह सुनि चित करेगी कि अनुशंसित परीक्षक, हिन्दी में लिखित लेख का मूल्यांकन कर सकेंगे।

28. उपरोक्त खण्ड (27) के प्रावधान इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग आदि संकायों में परीक्षा की दशा में लागू नही होंगे ।

29. परीक्षक की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के परीक्षाओं के लिये किया जायेगा किन्तु वे पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे ।

30. कोई व्यक्ति जिसने निरंतर तीन वर्ष के लिये परीक्षक, प्रश्न पत्र सेटर, सह–परीक्षक या बाह्य मौखिक परीक्षक के रुप में कार्य किया हो सामान्यतः पुनर्नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नही होगा जब तक कि वर्ष जिसमें वह परीक्षक के रुप में अंतिम रुप से कार्य किया हो एवं वर्ष जिसमें वह पुनर्नियुक्त किया गया हो के बीच, एक वर्ष की अवधि व्यतीत न हुआ हो ।

परन्तु यह कि ऐसा अंतराल आंतरिक परीक्षा की दशा में आवश्यक नही होगी यदि संबंधित विषय में उपलब्ध पात्र परीक्षक की संख्या, अपेक्षित आंतरिक परीक्षकों की संख्या से कम हो ।

परन्तु यह भी कि परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विशेषज्ञ या विशेषज्ञ, अंतराल के बिना तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् दो और वर्ष के लिये निरंतर बने रह सकेंगे ।

31. किसी भी परीक्षक को तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय रोका जा सकता है यदि परीक्षा समिति की राय में उसका कार्य असंतुश्टिपूर्ण पाया जाता हो ।

32. परीक्षकों का कार्य असंतुश्टिपूर्ण समझा जायेगा, यदि–

(एक) वह, ऐसी प्रकृति की त्रुटि, जो जांच एवं छानबीन के क्रम में उसके कार्य में पाया गया हो जिससे परिणाम प्रभावित होता हो, या

(दो) वह, बिना किसी सही कारण के कार्य में विलंब करते हुये, परीक्षा समिति द्वारा पाया गया हो, या

(तीन) मुख्य परीक्षक से विपरीत प्रतिवेदन हो, या

(चार) परीक्षा समिति की राय में, उसकी प्रमाणिकता या संदिग्धता के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह हो कि वह परीक्षार्थी या उसके नातेदारी के पहुंच में है, और

(पांच) यदि उसके प्रश्नपत्र के विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति की शिकायत करता हो उदाहरण के लिये, यह प्रश्न पत्र, विहित मानक से बहुत अधिक या बहुत निम्न है या विहित पाठ्यक्रम या शाखा के बाहर का प्रश्न अंतर्विश्ट है या परीक्षा समिति द्वारा विहित किसी भार्त के बाहर से प्रश्न पत्र है ।

33. प्रश्न पत्र सेटर, सह–परीक्षक के मार्गदर्शन के लिये निर्देशिका ज्ञापन अधिकथित करेगा ताकि पत्रों को, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में औपचारिक मानक के अनुरुप किया जा सके ।

34. यदि किसी कारण से परीक्षक, प्रश्न पत्र सेट करने के पश्चात् मुख्य परीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करने या उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में असमर्थ

है तो वह प्रश्न पत्र सेट करने हेतु पारिश्रमिक की राशि के केवल आधी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा और शेष राशि ऐसे परीक्षक को देय होगी जो तत्प चात् मुख्य परीक्षक की कर्तव्यों का निर्वहन करता हो ।

परन्तु यदि प्रश्न पत्र सेटर की मृत्यु, उत्तर पुस्तिका को लेने या मूल्यांकन पूर्ण करने के पूर्व हो जाती है तो प्रश्न पत्र सेट करने के लिये विहित संपूर्ण फीस उसके विधिक उत्तराधिकारियों को दी जायेगी ।

35. किसी विषय में यदि मौखिक परीक्षा दो परीक्षकों की समिति विहित करती है जिसमें से एक बाह्य परीक्षक होगा एवं अन्य आंतरिक परीक्षक होगा, उन परीक्षाओं का आयोजन करेंगे ।

36. परीक्षा जैसे एमबीए, एमकॉम, एमफिल, एमए इत्यादि की दशा में, जहां थीसिस प्रश्न पत्र या परियोजना कार्य के बदले में अनुज्ञेय है वहां थीसिस के मूल्यांकन के लिये दो परीक्षकों की समिति होगी। थीसिस के लिये अंको की अधिकतम संख्या, दो परीक्षकों के बीच बराबर विभाजित की जायेगी जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र रुप से थीसिस को अंक देंगे। यदि इन दो परीक्षकों का मूल्यांकन 20 प्रतिशत से भिन्न हो तो थीसिस को तीसरे परीक्षक (विश्वविद्यालय के शिक्षक से भिन्न) को निर्दिश्ट की जायेगी, जो थीसिस के लिये अधिकतम अंकों के आधे अंक में से अंक देंगे। दिये गये दो (तीन) का कुल योग, एक दूसरे के निकटस्थ तथा अभ्यर्थी के सर्वोत्तम लाभ के लिये, सही मूल्यांकन के रुप में लिया जायेगा ।

37. शोध डिग्री के लिये परीक्षा की दशा में, परीक्षा समिति कम से कम छः व्यक्तियों के पैनल से जांच हेतु प्रत्येक थीसिस के लिये अनुशंसित करेंगे जिसमें से कम से कम दो व्यक्ति विश्वविद्यालय से बाहर, चाहे वह भारत से हो या विदेश से, के हो सकेंगे।

38. **पैनल के व्यक्तिः**

(एक) संबंधित विषय में डॉक्टोरेट डिग्री धारण करेंगे एवं उनके पास स्नातकोत्तर स्तर या शोध अनुभव में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिये ।

(दो) संबंधित विषय में ख्याति प्राप्त स्कॉलर हो

39. कोई भी व्यक्ति या तो सैद्धांतिक, मौखिक या प्रायोगिक परीक्षा में प्रश्न पत्र सेटर या परीक्षक के रुप में कार्य नही करेगा यदि उसका कोई भी नातेदार परीक्षा दे रहा हो । परंतु यह प्रावधान, उस केन्द्र, जिसमें उसका नातेदार उपस्थित हो रहा हो, से भिन्न केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा के लिये परीक्षक के रुप में कार्य करने से विवर्जित नही करेगी ।

40. कोई भी व्यक्ति, किसी परीक्षा के लिये मॉडेरेटर या टेब्यूलेटर के रुप में कार्य नही करेगा यदि उसका कोई नातेदार उसी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो या उपस्थित हुआ हो ।

41. इस अध्यादेश में अंतर्विश्ट प्रावधानों के होते हुये भी, विद्या परिषद् एवं परीक्षा समिति के परामर्श से कुलपति, जहां तक हो सके, विशिष्ट परीक्षा की, कमियों को पूरा करने के लिये सभी या कतिपय नियमों में उपांतरण कर सकेगा।

———000———

अध्यादेश–58
वाणिज्य में स्नातक (ऑनसी) (बी.कॉम. (ऑनर्स))

58.1	**शीर्षकः**	वाणिज्य में स्नातक (ऑनर्स) (बी.कॉम. (ऑनर्स))
58.2	**संकायः**	वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय
58.3	**अवधिः**	तीन वर्ष छः सेमेस्टर का
58.4	**पात्रताः**	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा या इसके समतुल्य मंडल से वाणिज्य/विज्ञान/जीवन विज्ञान अनुशासन में 10+2
58.5	**सीटः**	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी स्थापित किया जा सकेगा।
58.6	**प्रवेश प्रक्रियाः**	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।
58.7	**शैक्षणिक वर्षः**	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक चक्र होगा। इस कार्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होगा।
58.8	**चयन प्रक्रियाः**	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, प्रवेश अधिसूचना या विज्ञापन जारी कर, समाचार पत्र आदि में प्रकाशन और विश्वविद्यालयीन वेबसाईट में अपलोड करेगा और विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची को, अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए, विश्वविद्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी, जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है, पर भी लागू हो सकेगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट/डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा, ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है: 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से अपूर्ण है। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के भुगतान का सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात्, विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन/नामांकन क्रमांक दिया जायेगा।
58.9	**फीसः**	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा। विभिन्न विशेषज्ञता के विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा

58.10 **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजनाः** योजना, अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये जायेंगे और अध्यादेशों, नियमों एवं विनियमों, जैसा कि इसके अधीन या अन्यत्र विनिर्दिष्ट है, के अनुसार, विद्या परिषद/प्रबंध मण्डल/शासी निकाय से अनुमोदन के पश्चात्, पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय प्रकाशित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय यूजीसी, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग तथा अन्य विनियामक निकाय के दिशा–निर्देशों, जहां तक यह लागू हो, का पालन करेगा।

58.11 **उत्तीर्ण करने हेतु पात्रताः** विद्यार्थी को, पृथक रूप से सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा दोनों में, प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक तथा सेमेस्टरांत/वर्षान्त परीक्षा में कुल 45 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना आवश्यक है।

58.12 **मूल्यांकन एवं परीक्षाः** अध्यादेश 51(8) के अनुसार।

58.13 **ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्डः** अध्यादेश 51(10) के अनुसार।

58.14 **सामान्यः** पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, विनियामक निकायों के मानदण्डों को गठित कर सकने वाली परीक्षा प्रणाली/स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय जिला न्यायालय, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

अध्यादेश–59
नेत्रापवर्तनमिति में स्नातक (बी.ऑप्टो.)

59.1 **प्रस्तावनाः** नेत्र सुरक्षा में नेत्रापवर्तनमिति एक स्वतंत्र व्यवसाय है। इसके प्रैक्टिस में अपवर्तक त्रुटि के अनुमान के लिए दृश्य प्रणाली के संपूर्ण परीक्षण की आवश्यकता सम्मिलित है। यह प्रदर्शनी को जमाने, निर्माण करने एवं आपूर्ति करने, कांटेक्ट लैंस लगाने और समस्त अन्य ऑप्टिकल एड को भी कवर करता है। नेत्रापवर्तनमिति विज्ञ प्राथमिक स्वास्थ्य का देखरेख करने वाला व्यवसायी है जो नेत्रापवर्तनमिति के कला एवं विज्ञान में सांस्थानिक शिक्षित एवं क्लिीनिकली प्रशिक्षित होता है। कैरियर के अवसरों में फ्रेंचाइजी सुपर स्टोर चेन, स्वतंत्र निजी प्रैक्टिस, भागीदारी या सामूहित प्रैक्टिस, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गृह रखरखाव संगठन (एच.एम.ओ.) चिकित्सालय (निजी एवं सार्वजनिक), नेत्रापवर्तनमिति उत्पादों के निर्माता, बीमा कंपनियों एवं औद्योगित सुरक्षा के परामर्शदाता, शिक्षण एवं शोध, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य संबंधित संगठन।

59.2 **शीर्षकः** नेत्रापवर्तनमिति में स्नातक (बी.ऑप्टो.)।

59.3 **संकायः** विज्ञान एवं सम्बद्ध विज्ञान संकाय।

59.4 **विभागः** नेत्रापवर्तनमिति विभाग।

59.5 **अवधिः** चार वर्ष (आठ सेमेस्टर)।

59.6 **पात्रताः** जीव विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों सहित 10+2. सीट रिक्त होने की स्थिति में कुलपति की अनुमति से न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में 5 प्रतिशत कम की जा सकेगी।

आरक्षित वर्ग के लिए पात्रता : समय–समय पर राज्य सरकार के नियमानुसार।

59.7 **सीटः** बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

59.8 **प्रवेश प्रक्रियाः** अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।

59.9 **शैक्षणिक वर्षः** जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक चक्र होगा। इस कार्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होगा।

59.10 **चयन प्रक्रियाः** विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, उपयुक्त मीडिया के माध्यम से प्रवेश अधिसूचना या विज्ञापन जारी करेगा और विश्वविद्यालयीन वेबसाईट और सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर, सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र,

अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

59.11 **फीसः** पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

59.12 **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजनाः** विभिन्न विशेषज्ञता के विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना, अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये जायेंगे और विद्या परिषद/प्रबंध मण्डल/शासी निकाय से अनुमोदन के पश्चात् पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय प्रस्तुत किये जायेंगे तथा अन्य विनियामक निकाय के दिशा–निर्देशों यदि कोई हों, का पालन करेगा।

59.13 **उत्तीर्ण करने हेतु पात्रताः** विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में, प्रत्येक पेपर में पृथक पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सेमेस्टरांत/वर्षान्त परीक्षा में कुल 45 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना अनिवार्य है।

59.14 **मूल्यांकन एवं परीक्षाः** अध्यादेश 51(8) के अनुसार।

59.15 **ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्डः** अध्यादेश 51(10) के अनुसार।

59.16 **सामान्यः** पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय जिला न्यायालय, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

अध्यादेश–60

वास्तुकला में स्नातक (बी.ऑर्क)

60.1 **प्रस्तावनाः** वास्तुकला में पांच वर्षीय (दस सेमेस्टर) पाठ्यक्रम में प्रथम उपाधि, यहां इसके पश्चात 5 वाय.डी.सी. (पांच वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) कहलायेगा, जो वास्तुकला में स्नातक के रूप में पदाभिहित होगा, जिसका परिवर्णी शब्द बी.ऑर्क के रूप में है। वास्तुकला में स्नातक उपाधि 10 सेमेस्टर का होगा। एकीकृत पूर्णकालिक उपाधि पाठ्यक्रम दो चरणों में संचालित होगा – प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण। प्रथम चरण 8 सेमेस्टर से मिलकर बनेगा एवं द्वितीय चरण, नवम एवं दशम सेमेस्टर से मिलकर बनेगा, जो दशम सेमेस्टर के अंत में, मौखिकी परीक्षा द्वारा मूल्यांकित अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण का होगा।

60.2 **शीर्षकः:** वास्तुकला में स्नातक (बी.ऑर्क)।

60.3 **संकायः** डिजाईन संकाय।

60.4 **विभागः** वास्तुकला योजना एवं डिजाईन संकाय।

60.5 **अवधिः** पांच वर्ष (दस सेमेस्टर)

60.6.1 **पात्रताः** बी.ऑर्क के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) योजना या मान्यता प्राप्त मण्डल या विश्वविद्यालय से कोई समकक्ष परीक्षा, एक विशय के रूप में गणित में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा ।

आरक्षित वर्ग के लिए पात्रता : समय–समय पर राज्य सरकार के नियमानुसार।

60.6.2 अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा मण्डल या समकक्ष से अभियांत्रिकी के किसी भी शाखा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (10+3 वर्ष) या (10+2 वर्ष) उत्तीर्ण किया हो, बी.ऑर्क पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में भी प्रवेश के लिए पात्र होगा।

60.6.3 अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थी भी भाासन के निर्देशों के अनुसार बी. ऑर्क में प्रवेश हेतु पात्र होगा, परंतु वह उपरोक्त खण्ड 6.1 के मानदण्ड को पूरा करता हो।

60.7 **सीटः** बुनियादी इकाई, प्रत्येक विशेषज्ञता में वास्तुकला परिशद द्वारा अनुमोदित अनुसार होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई संवैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार स्थापित किया जा सकेगा।

60.8 **प्रवेश प्रक्रियाः** विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, प्रवेश अधिसूचना या विज्ञापन जारी कर, उपयुक्त मीडिया में प्रकाशन और विश्वविद्यालयीन वेबसाईट एवं सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा।

पात्र अभ्यर्थियों को, प्रवेश परीक्षा संचालित करने हेतु मान्यता

प्राप्त किसी राष्ट्रीय/राज्य निकायों द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा या बी. ऑर्क पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची में स्थान अर्जित करना होगा। प्रवेश, मेरिट के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

60.9 **शैक्षणिक वर्षः** जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक चक्र होगा। इस कार्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षाएं, सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होगा।

60.10 **फीसः** पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

60.11 **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजनाः** विभिन्न विशेषज्ञता के विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना, अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये जायेंगे और विद्या परिषद/प्रबंध मण्डल/ शासी निकाय से अनुमोदन के पश्चात् पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय प्रस्तुत किये जायेंगे तथा भारतीय वास्तुकला परिशद के दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

60.12 **उत्तीर्ण करने हेतु पात्रताः** विद्यार्थी को, पृथक रूप से सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा दोनों में, प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक एवं सेमेस्टरांत/वर्षान्त परीक्षा में कुल 45 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना अनिवार्य है।

60.13 **डिग्री हेतु पात्रताः** अभ्यर्थी केवल वास्तुकला में स्नातक (बी. ऑर्क) की उपाधि अवार्ड हेतु पात्र होगा; यदि अभ्यर्थीः

(एक) इसमें दी गई अधिकतम कालावधि के भीतर अध्ययन के सुसंगत कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत अंक अर्जित करते हुए अध्ययन का विहित कार्यक्रम करता है।

(दो) संस्थान, पुस्तकालय, छात्रावास आदि में कुछ बकाया नहीं है।

(तीन) उसका/उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

60.14 **मूल्यांकन एवं परीक्षाः** अध्यादेश 51(8) के अनुसार।

60.15 **ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्डः** अध्यादेश 51(10) के अनुसार।

60.16 **सामान्यः** पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय जिला न्यायालय, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

अध्यादेश–61
नेत्रापवर्तनमिति में स्नातकोत्तर (एम. ऑप्टो.)

61.1 **प्रस्तावनाः** नेत्र सुरक्षा में नेत्रापवर्तनमिति एक स्वतंत्र व्यवसाय है। इसके प्रैक्टिस में अपवर्तक त्रुटि के अनुमान के लिए दृश्य प्रणाली के संपूर्ण परीक्षण की आवश्यकता सम्मिलित है। यह प्रद नी को जमाने, निर्माण करने एवं आपूर्ति करने, कांटेक्ट लैंस लगाने और समस्त अन्य ऑप्टिकल एड को भी कवर करता है। नेत्रापवर्तनमिति विज्ञ प्राथमिक स्वास्थ्य का देखरेख करने वाला व्यवसायी है जो नेत्रापवर्तनमिति के कला एवं विज्ञान में सांस्थानिक शिक्षित एवं क्लीनिकली प्रशिक्षित होता है। कैरियर के अवसरों में फ्रेंचाइजी सुपर स्टोर चेन, स्वतंत्र निजी प्रैक्टिस, भागीदारी या सामूहित प्रैक्टिस, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गृह रखरखाव संगठन (एच.एम.ओ.) चिकित्सालय (निजी एवं सार्वजनिक), नेत्रापवर्तनमिति उत्पादों के निर्माता, बीमा कंपनियों एवं औद्योगित सुरक्षा के परामर्शदाता, शिक्षण एवं शोध, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य संबंधित संगठन।

61.2 **शीर्शकः** नेत्रापवर्तनमिति में स्नातकोत्तर (एम.ऑप्टो.)।

61.3 **संकायः** जीवन एवं सम्बद्ध विज्ञान संकाय।

61.4 **विभागः** नेत्रापवर्तनमिति विभाग।

61.5 **अवधिः** दो वर्ष (चार सेमेस्टर)।

61.6 **पात्रताः** न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ एक मुख्य विषय के रूप में नेत्रापवर्तनमिति सहित नेत्रापवर्तनमिति में स्नातक । सीट रिक्त होने की स्थिति में कुलपति की अनुमति से न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में 5 प्रतिशत कम की जा सकेगी। आरक्षित वर्ग के लिए पात्रता : समय–समय पर राज्य सरकार के नियमानुसार।

61.7 **सीटः** बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

61.8 **प्रवेश प्रक्रियाः** अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार।

61.9 **शैक्षणिक वर्षः** जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक चक्र होगा। इस कार्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होगा।

61.10 **चयन प्रक्रियाः** विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, उपयुक्त मीडिया के माध्यम से प्रवेश अधिसूचना या विज्ञापन जारी करेगा और विश्वविद्यालयीन वेबसाईट और सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर, सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू

हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

61.11 **फीसः** पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

61.12 **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजनाः** विभिन्न विशेषज्ञता के विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना, अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये जायेंगे और विद्या परिषद/प्रबंध मण्डल/शासी निकाय से अनुमोदन के पश्चात पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय प्रस्तुत किये जायेंगे तथा अन्य विनियामक निकाय के दिशा–निर्देशों यदि कोई हों, का पालन करेगा।

61.13 **उत्तीर्ण करने हेतु पात्रताः** विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में, प्रत्येक पेपर में पृथक पृथक 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सेमेस्टरांत/वर्षान्त परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना अनिवार्य है।

61.14 **मूल्यांकन एवं परीक्षाः** अध्यादेश 51(8) के अनुसार।

61.15 **ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्डः** अध्यादेश 51(10) के अनुसार।

61.16 **सामान्यः** पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय जिला न्यायालय, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

Atal Nagar, the 30th November 2019

NOTIFICATION

No. F 3-4/2012/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 685/PU/S&O/2007/11218, Dated 11-11-2019 has approved the New Ordinances No.58 to 61 and amendment of Ordinances No. 1, 2, 10, 13, 16 and 51 of I.T.M. University, P.H.No.-137, Village-Uparwara, Tehsil-Abhanpur, District-Raipur, Under Section 29 (2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALARMELMANGAI D., Secretary.

ORDINANCE 1 (Revised)

Admission of Students to the University and their Enrollment

Admission and Enrollment of students in the ITM University shall be regulated in the manner hereinafter provided

Definitions

(a) "Qualifying examination" means an examination the passing of which makes students eligible for admission to a particular course of study leading to a Bachelors, Masters, M. Phil, Doctorate or Diplomas or Certificate conferrable by the University.

(b) "Compartment" mean; a result in which a student has been declared 'failed' in ONE subject by the concerned examining body i.e. a recognized Board of Secondary Education e.g. CBSE, ISC, State Board of Secondary Education etc. Such a student may be declared Pass if he/ she secure required percentage of marks in the examination held subsequently by the same examining body and declared pass.

(c) "Equivalent examination" means an equivalent examination conducted by

(i) Any recognized Board of Secondary Education or

(ii) Any Indian or Foreign University or organization recognized by the concerned statutory authority.

(iii) Any Indian University incorporated by any law in force for the time being and recognized by the University as equivalent to its corresponding examination.

(d) "Gap period" means the period between the last dates attended at an educational institution (excluding coaching Institutes) as a regular student and the date of taking admission in the University.

1. Eligibility for Admission

1.1 Unless otherwise provided, no person shall be eligible for admission to the under-graduate Courses in the University un less he/she has passed the class 10+2 exam from a recognized Board of Secondary Examination, senior school examination of an Indian University or Board or an Examination equivalent to Examination of the University, from time to time.

1.2 Age limit for admission shall be as per the guidelines of the state government to any of the courses of the University, provided that the candidate has valid qualifications for entry into the particular course.

1.3 No person shall be admitted to any post-graduate course, unless he/she has passed a under graduate degree examination from a recognized University or an examination recognized as equivalent to a degree by the Academic Council from time to time and possesses such further qualifications as may be prescribed by the Ordinances on the basis of norms of AIU.

1.4 Provided that no person shall be eligible for admission to any post-graduate Course of the University unless he/she has passed a three-year degree course after Senior School Certificate (10+2) Course.

1.5 The candidates seeking admission to a course of study in the University must fulfill the conditions prescribed for it by the Academic Council and published in the prospectus from time to time.

1.6 The maximum number of Seats in each course shall be determined by the Academic Council from time to time abiding by the availability of adequate physical facilities and approval from the various statutory bodies viz. AICTE, NCTE, BCI, MCI etc., wherever necessary.

1.7 For Seeking admission in any course, a candidate is required to pass the qualifying examination for the course.

2. Provision for Admission

2.1 No candidate shall be entitled to claim admission as a matter of right.

2.2 The procedure of admission shall be approved by the Academic Council from time to time and shall be published in the prospectus.

2.3 Save otherwise provided all the admissions to under-graduate and post-graduate courses shall be made on the basis of merit and/or, entrance test by an Admission Committee constituted for the said purpose in each category prescribed by the Academic Council from time to time or by the government bodies for admission to some particular courses viz. BE, B. Ed. etc., as the case may be.

2.4 Admission shall be offered at the beginning of each semester or as prescribed by the Academic Council from time to time.

2.5 The application for admission shall among others be accompanied by (i) the school or College Leaving (Transfer) Certificate signed by the Head of the Faculty/ Department last attended by the student as a regular student. (ii) Duly attested photocopies of the statement of marks accompanied by the original copies which shall be returned after the verification, showing that the applicant has passed the qualifying

examination and in case of a student who passed the examination as a private candidate, a certificate signed by two responsible persons certifying his good character of the applicant. If the applicant for admission, as aforesaid, has passed the qualifying examination from Board other than the Chhattisgarh Board of Secondary Education, or a University other than this University, then he shall submit in addition to the school or college Leaving certificate, Migration Certificate from the board or University, as the case may be, together with migration fee of Rs. 500/- or as decided by the University, from time to time. If any of the documents are found to be forged, tampered or false, the student's admission will automatically stand cancelled and necessary legal action may be initiated against him.

2.6 The mode of sending application for admission of students can be direct/ through counseling / through Guidance center / through post / through online. Any student from India or abroad seeking admission to the University can interact online with the University.

2.7 The Admission Committee will process the applications and selected candidates shall be awarded provisional admission.

2.8 Save for admission in first year/first semester of any undergraduate /postgraduate a student with 'compartment' result may be granted 'provisional' admission to any course if the course of study to which he / she would have otherwise normally been admitted if he/she had secured clear pass grades. Confirmation of such admission shall be subject to passing of that qualifying Examination before the first Examination that the student requires to take, conducted by ITM University.

2.9 At the time of admission, every candidate and his/her parent or legal guardian shall be required to sign a declaration to the effect that the student submits himself/herself to the disciplinary & pecuniary jurisdiction of the Vice- Chancellor and other authorities of the University.

2.10 A student who has passed a part of any degree or diploma from another recognized University / recognized awarding body shall be admitted to subsequent higher class for such examination after its equivalence has been determined by the Academic Council, in accordance with the guidelines of the Regulatory Body.

2.11 The admission of the students shall be completed within a month of commencement of each semester every year or on the date decided by the Academic Council.

2.12 Provided that where the dates specified or the dates decided by the Academic Council as the last date of admission happens to be a holiday, the next working day shall be the last day of admission.

2.13 Provided further that the Vice-Chancellor shall have the powers to grant admission in exceptional cases for reasons to be recorded in writing beyond the last date of admission as given above on the clear understanding that the attendance of all such students shall be counted from the date of commencement of the course.

2.14 Validity of the Registration for various programs shall be as here under:

(i) Certificate/ One-year diploma / P. G. Diploma Programs	- 3 Years
(ii) Three Years' Bachelor Program	- 7 Years
(iii) Master's Degree and two years programs	- 5 Years
(iv) 4 Years' Bachelors' Program	- 8 Years
(v) 1 and ½ Years' M. Phil & other courses	- 3 Years
(vi) 5 Years Integrated Courses	- 10 Years

2.15 Admission of a student to any course shall be subject to the availability of vacant seat in that particular course in which admission is sought.

3. Restrictions for Admission on Certain Grounds

3.1 No student shall be admitted in more than one regular course simultaneously.

3.2 Unless otherwise provided, a student may join part-time or distance education course provided he/she fulfills the eligibility criteria as per the provision laid down in the Ordinances/Statues/Rules etc.

3.3 No student shall be admitted to a course after passing the same course of the University. However, he/she may be admitted to a higher course of the same faculty or for an additional diploma/degree in a different field at the same level provided he/she fulfills the eligibility requirements.

3.4 The list of professional courses is provided in the Ordinance No.2. Provided that any addition or deletion in the list of Professional Courses shall be decided by the Academic Council from time to time.

3.5 Anyone who has been suspended, rusticated, debarred, expelled etc. by a competent authority of the University shall be denied admission in any course whatsoever.

3.6 Admission to any course of the University can be cancelled at any time, if any information furnished by the candidate is found to be false/ incorrect.

3.7 A candidate who has taken admission on the basis of wrong information to any course as a full-time regular student will forfeit his/her right as an ex-student in the University and will not be allowed to appear at any Examination of the University as an ex-student.

3.8 A student who is under sentence of rustication or has been disqualified from appearing in an examination by any other University / Institution shall not be admitted to any course of study in the University during the period of rustication or disqualification.

3.9 No Student enrolled in the University shall be admitted to any subsequent higher class in the university unless he / she has passed the examination qualifying him / her to appear for the examination for which he / she will be preparing.

3.10 No student migrating from any other University shall be admitted to any class in an institution unless he / she has passed the examination which has been declared by the university as equivalent to the qualifying examination.

3.11 Without prejudice to the aforesaid provisions, no student migrating from any other university shall be admitted to any class in the University without the prior permission of the Registrar wherever by any general or special direction such as permission is necessary.

3.12 An application for admission to a course leading to a bachelor's degree / Honors course shall not be accepted unless the applicant is prepared to appear in all the subjects prescribed for the particular Degree Examination.

3.13 No student who has passed a part of a Degree or Post Graduate Examination from any other University shall be admitted to subsequent higher class for such an Examination in any institution without the approval of the Vice Chancellor or competent authority, as the case may be.

3.14 Candidates coming on transfer from other Universities because of the transfer of their parents / guardians will be given admission beyond the last date of admission, on the basis of transfer order.

3.15 A student seeking admission to an institution after the commencement of the session shall be required to pay tuition and other fees for full session commencing from July / January of the year.

3.16 A student shall not be admitted as a regular student to the same class or semester in which he / she has been declared fail earlier either by the University or any other university.

4. Enrollment of Students

4.1 Head of Faculty / Department / Institute shall submit the details of admitted students in a prescribed form- within 45 days from the last date of admission, along with all the relevant original documents and enrollment fee as specified by the Academic Council from time to time to the Registrar.

4.2 The Transfer and Migration Certificates submitted by students at the time of admission shall become the property of the University.

4.3 Enrolled students will be issued new Transfer Certificate and Migration Certificate under the seal of the University, at the time of leaving the university.

4.4 No person shall be admitted to any Examination of the University unless he/she has been duly enrolled as a student of the University.

4.5 If a student takes a Migration Certificate to join another University, his/her enrollment to the University shall lapse until such time as he/she may subsequently return with a Migration Certificate from that University to take some other Examination of the University. Fresh Enrollment and Enrollment Fee in such cases shall be necessary.

4.6 The Registrar shall maintain a Register of all enrolled students studying in the various Faculties or Institutions or carrying out research work in the University.

4.7 In the said register, the Registrar shall be required to incorporate all the material detail regarding the student including the date of birth, date of admission and leaving the institution and details about various examinations of degree/ diploma/ certificate awarded to him/her.

4.8 The student shall be informed on enrollment, the enrollment number under which his/her name has been entered in the Enrollment Register of Registrar and that number shall be mentioned by the student in all communications with the University and in subsequent applications for admission to an examination of the University.

4.9 All applications for admissions to the University Examinations shall be scrutinized with reference to the Enrollment Register. The Controller of Examinations may refuse the application of a candidate about whom complete particulars have not been

furnished and require him/her to submit a complete statement of the particulars and documents together within the prescribed time limit.

4.10 Any enrolled student may obtain a certified copy of the entries relating to him/her in the Enrollment Register on payment of the prescribed fee.

4.11 A student shall be enrolled as a member of an institution as soon as he / she is admitted by the Admission Committee / Head of the Institution and has paid the prescribed fees.

5. Change of Name

5.1 A student applying for the change of his/her name in the Register of enrollment department shall submit his/her application to the Registrar through the Head of the Institute/ Faculty concerned along with the following:

(i) The prescribed fee;

(ii) An Affidavit relating to his/her present and proposed name, duly sworn in the presence of a Magistrate by his/her parent or guardian, in case he/she is minor, or by himself/herself, in case he/she is major;

(iii) Copy of the publication from a newspaper in which the proposed change of name has been published. However, the provision relating to publication shall not be applicable in case where a woman candidate wants to change her name following her marriage.

The Registrar on considering such applications and taking decisions thereon shall report to the Academic Council.

6. Change of Subject(s)

6.1 A student shall not ordinarily be allowed to change the optional/subsidiary/ specialization subject(s) of a course, unless the same is applied for and permitted within four weeks from the date of admission. Such applications should he submitted to the Head of the Faculty with the consent of the Head(s) of the Department(s) concerned.

7. Consideration for admissions to students belonging to scheduled caste, scheduled tribes, handicapped and girl categories.

7.1 A Student belonging to scheduled caste / scheduled tribes / handicapped / girls category shall be admitted every year on the terms, conditions and provisions prescribed by the state government from time to time.

Note: In case of any ambiguity regarding revisions relating to admission in various courses, the decision taken by the Vice-Chancellor shall be final.

8. Admission Committee

8.1 There shall be an Admission Committee comprising one member from each department. Vice Chancellor will nominate any one of them as head or coordinator of the Committee for regulating the admissions in each Faculty/Institution the University.

8.2. The Committee shall:

(i) Scrutinize the application Forms for admission of the candidate; in accordance with the conditions of admission prescribed by the Academic Council from time to time:

(ii) Conduct the Admission Test(s) and/or Interview; or as otherwise provided.

(iii) After the evaluation of the Admission test(s); call from each category candidates three times the number of seats available for admission to the course concerned: provided that only those candidates shall be called for Interview, who have obtained at least 30% marks in the admission Test(s);

(iv) Prepare the merit list based on the marks obtained by the candidates in the Admission Test and/or Interview;

(vi) Prepare a list of the candidates, selected for provisional admission by the Chairperson of the Committee or the Head of the Faculty concerned:

(vii) Be duty bound to regulate admissions in accordance with the principles- laid down for the said purpose by the Academic Council from time to time.

(viii) Suggest methods to improve reliability and standard of the admission/entrance test(s).

8.3 The members of the Committee other than ex - officio members shall hold the office for the period of one academic year

8.4 The Admission Committee shall be appointed by the Vice- Chancellor according to the requirement from time to time.

8.5 The Admission Coordinator may co-opt not more than three members of the Department/ Faculty/ Institute representing different areas of specialization under intimation to the Vice-Chancellor.

8.6 Not less than three-fourth of total number of members of the Committee shall form the quorum.

Admission of International Students

9.1 **Introduction:** The following guidelines shall be followed for determining the eligibility and admission of International students to various courses of the University.

9. 2 **Office**: There shall be an International Students' Cell to deal with admission and guidance of international students. This cell will not only control the admission of the students but will also provide necessary guidance and counseling for securing admission.

All letters regarding the international students shall be addressed to the International Students' Adviser of the Institution.

9.3. **International Students**: Under these Guidelines, 'International Students' shall include the following:

i. Foreign students: Students holding passports issued by foreign countries including people of Indian origin who have acquired the nationality of foreign countries shall be treated as International students.

ii. Non-Resident Indians (NRI): Only those Non-Resident Indian students who have studied and passed the qualifying examinations from schools or colleges in foreign countries will be included as international students. This will include the Students studying in the schools or colleges situated in foreign countries even if affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities located in India, but shall not include students studying in these schools or colleges (situated in India) and affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities of the foreign countries. Student passing the qualifying examinations from boards or universities located in foreign countries as external students and dependents of NRI studying in India will not he included as international students.

Entry level status of International students on entry to the country will be maintained.

9.4. **Documents required for admission of International Students:**

i. **Visa:** All the international students will require a student visa endorsed to this Institution for joining full time courses. No other endorsement is acceptable. Students wishing to join a research program will require a research visa endorsed to this Institution. The visa should be valid for the prescribed duration of the course. A visa is not required for NRI students. Students who are doing full time courses, in

some other institutions, do not require a separate visa for joining part time courses provided that their current visa is valid for the entire duration of the course.

ii. **No Objection Certificate:** All international students wishing to undertake any research work or join a PhD. or M. Phil. Programs will have to obtain prior Security clearance from the Ministry of Home or External Affairs and the approval of Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development Government of India and this must be on the research visa endorsed to this Institution.

9.5 **Eligibility Qualifications:** The qualifications required for eligibility for admission to different courses can be checked from the prospectus. Only those students who have qualified from foreign Universities or Boards of Higher Education recognized as equivalent by the Association of Indian Universities (AIU) are eligible, for admission. When required a reference will be made to AIU to check the equivalence.

9.6. **Admission of International Students:** Admission of the international students will be done through the international students' cell of the University. The students will generally be admitted in the beginning of the course. However students can also be admitted as transfer cases in the middle of the course from other Institutes if the candidate is eligible.

The admission of international students shall be done in two stages: A Candidate willing to join the University shall obtain the application form and other information on the eligibility requirements, courses available and admission procedure from the prospectus or the website of the Institution. The application for provisional admission shall thereafter be submitted to the International Student's Cell along with the prescribed fees. The Cell shall check the eligibility and issue the provisional admission letter, for the purpose of obtaining the visa and to complete other formalities.

After getting provisional admission, the student should get student visa and complete all other formalities. The student should then report for final admission in the University where he/she wants to join the course. The next step is to fill up the admission form from the concerned University Teaching Department and pay the required fees. After this, the student should undergo the medical examination. The students may have to appear for the English proficiency test conducted by the University or some other agency authorized/recognized by the University. Once this is done, the final admission is given.

The international students will have to pay the fees in US dollars. In special cases, permission may be given for payment of fees in the equivalent Indian Rupees. Following fees are normally payable to secure provisional admission-form fees (included in the cost of bulletin, if purchased); Eligibility Fee and Administrative Fee (could be different for direct admissions and for transfer cases).

9.7. **Remedial Course in English:** In addition, the students will have to pay the tuition and other fees as prescribed by the University. Students who are required to take the proficiency test in English or undergo the foundation course will have to pay the prescribed fees, as applicable. This will have to be paid when the students are finally admitted. The fee differs from Course to course from time to time.

In case, the student does not get/ take the admission to the course after obtaining Provisional admission then the administrative fees will be refunded deducting the Bank Commission and postage charges as applicable.

An international student who has been granted admission to any of the courses after passing the qualifying examination from a statutory Board or University outside India may have to appear for the Proficiency Test in English conducted by the University or any other recognised organization. International student who have passed the qualifying examination in the English medium are exempted from this test.

An international student, who either fails in the Proficiency Test in English or fails to appear at this test, shall be required to join the Remedial English Course for International Students (RECIS) or the foundation course conducted by the University.

The students will continue the course and they will have to successfully complete the RECIS or foundation course, at the earliest.

ELTIS has especially been designed an English Language Course to cater to the needs of students who want to improve their proficiency in the English language. This course can be done simultaneously with the other regular courses or independently.

9.8. **Transfers & Change of Course**: An international student who has been granted admission to a particular course shall not be allowed to change the course. Transfer from one institution in India to another is also not allowed, ordinarily. In exceptional cases, the International Students' Cell may permit this - based on the availability of the course, eligibility rules and permission of the Competent Authority of the Institution.

9.9. **Government of India Scholars**: International students who are awarded scholarships by the ICCR, UGC New Delhi shall be given preferential treatment while granting admission and for hostel accommodation. Sponsored candidates from different foreign governments for training, studies and research shall also be given preference for the same.

9.10 **Discipline:** The international students will abide by the rules of Institution and the code of conduct as applicable to Indian students doing same courses.

9.11. **Examination and Award of Degree, Diplomas & Certificates:** The procedure of examination, payment of examination fees, issue of mark list, issue of passing certificate and award of degree will be same as for the Indian Students doing the same courses. For completing the graduation a candidate is required to pass the paper of Environmental Studies once in the duration of degree course. The marks of Environmental Studies will not affect the division in any case.

9.12. **Conclusion**: In case, there are any differences on the interpretation of rules then the decision of the admission committee in the matter will be final. The fees are liable to revision and students will have to pay the revised fees when applicable. On the points not specifically covered, the decision of the institution authorities will be final. For any kind of dispute, the matter will be settled only in the Court of Law of Raipur (C.G.).

10. **Medium of Instruction**: The medium of Instruction in University shall be English, unless otherwise specified.

ORDINANCE 02 (Revised)

Details of Courses of Studies

ITM University will offer the following courses of studies for the different Degrees. Diplomas and Certificates under various faculties

2.1. **Faculty of Science**: Ph.D., M.Phil, M.Sc., M. Lib., M.Lib.I. Sc., B.Sc., B.Sc. (Hons), B.Lib, B. Lib. I. Sc., degree in Physics, Chemistry, Mathematics, Geology, Statistics, Criminology, Forensic Science, Electronics, Library, Physics, Chemistry, Mathematics, Information Science, Computer Science, Fashion Design and Technology and subjects as per Statute No 14 para 1.2.

2.2. **Faculty of Life & Allied Science:** Ph.D., M. Phil., M.Sc., M. Optom., B.Sc., B.Sc (Hons), B. Optom. degree in Botany, Zoology, Biotechnology, Bioscience, Microbiology, Bioinformatics, Biochemistry, Medical Lab Technology (MLT), Optometry, Anthropology, Food Science and Technology, Medical Biotechnology, Molecular Biology, Human Genetics, Nano technology, Stem Cells and Cell Biology, Bioethics, Phlebotomy, Medicinal Chemistry, Systems Biology, Developmental Biology, Immunology & Biostatistics and subjects as per Statute No 14 para 1.3

2.3. **Faculty of Engineering & Information Technology :** Ph.D., ME / M.Tech, BE / B.Tech and Diploma : Computer Science, Electronic and Telecommunication, Information Technology, Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Electrical Engineering, Applied –Geology, Civil Engineering, Mining Engineering, Biotechnology, Biomedical Engineering, Aeronautical Engineering, Aerospace Engineering, Petroleum Engineering, Mechatronics and subjects as per Statute No 14 para 1.4

IT: Ph.D., M.Phil, MCA, M. Sc. (CS/ IT), B.Sc. (CS. /IT), PGDCA, BCA, PGDCM: Computer application, Software Engineering. Computer Science, Information Technology, Hardware & Networking, Internet and Mobile Technology and subjects as per Statute No 14 para 1.11

Diploma in Engineering: CSE, E&TC, IT, MER, CE, EEE and subjects as per Statute No. 14 para 1.4

2.4. **Faculty of Commerce and Management:**

Management: Ph.D, M. Phil., MBA, Executive MBA, MBA (5 Yr integrated), PGDRM, PGDBM, Advanced PGDBM, BBA, BBM, DBA in Hospitality, Tourism Management, Culinary Arts, Hospital Management in various disciplines of management and subjects as per Statute No 14 para 1.9

Commerce: Ph.D., M.Phil., M.Com., B.Com., B.Com.(Hons.) and Diploma in subjects as per Statute No 14 para 1.6

2.5. **Faculty of Law** : Ph.D, M. Phil., LLM, LLB (3yrs), LLB (5 Yrs) integrated with multiple disciplines Viz - BBA, B,Com, B.A., B.Sc. etc) PGDIPR, PGD and Diploma with various branches of Law and subjects as per Statute No 14 para 1.5.

2.6. **Faculty of Education :** Ph.D., M. Phil., MA (Education), M.Ed., M.P.Ed., B.Ed., B.P.Ed., D. Ed., D.P.Ed., in the disciplines of education and Physical Education and subjects as per Statute No 14 para 1.7.

2.7. **Faculty of Arts and Humanities:** Ph.D., M.Phil, M.A., B.A., B.A. (Hons) and Diploma in various subjects and languages: Drawing and Painting, Arts, Fine Arts, Performing Arts, Music, Visual Arts, Media, Journalism, Mass Communication, Multimedia, Animation, Film Making, Economics, Geography, History, Philosophy, Psychology, Sociology, Political Science, Public Administration, Mathematics, Statistics, Linguistic, English, Hindi, Sanskrit, Yoga, Literature, Hospitality, Tourism, Hotel Management, Culinary Arts, Fashion Designing, Interior Designing, German, French, Japanese, Russian, Spanish, Chinese Languages and subjects as per Statute No 14 para 1.1.

2.8. **Faculty of Vocational & Inter Disciplinary Studies:**

a) Arts & Humanities

b) Commerce

c) Design

2.9. **Faculty of Pharmacy:** Ph.D., M. Phil., M.Pharma, B. Pharma and Diploma in subjects as per Statute No 14 para 1.8.

2.10. **Faculty of Design:** Ph. D., M. Phil., M. Des., M.I.D., M. Arch., M.Sc., M.A., B. Des., B.I.D., B. Arch., B.Sc., B.A. and Diploma in subjects as per Statute No 14 para 1.13.

2.11. **Faculty of Dual Studies:** B.Tech, M.Tech, BBA (Dual), MBA (Dual) etc. and subjects as per Statute No 14 para 1.12.

ORDINANCE 10 (Revised)

Bachelor of Arts (Honors)- (B.A.(Hons.))

10.1 **Introduction**:	**The course shall be offered in following subjects:** Drawing and Painting, Arts, Fine Arts, Performing Arts, Music, Visual Arts, Media, Journalism, Mass Communication, Multimedia, Animation, Film Making, Economics, Geography, History, Philosophy, Psychology, Sociology, Political Science, Public Administration, Mathematics, Statistics, Defence Studies, Linguistic, English, Hindi, Sanskrit, Yoga, Literature, Hospitality, Tourism, Hotel Management, Culinary Arts, Fashion Designing, Interior Design, German, French, Japanese, Russian, Spanish, Chinese Languages.
10.2 **Title**:	Bachelor of Arts (Honors) (B.A.(Hons.))
10.3 **Faculty**:	Arts & Humanities
10.4 **Duration**:	Three years of six semesters
10.5 **Eligibility**:	10+2 in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or an equivalent there to.
10.6 **Seats**:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
10.7 **Admission Procedure**:	As specified in Ordinance No. 1
10.8 **Academic Year**:	There will be an academic cycle from July to June. Studies and examinations of this program shall be on the basis of semester system.
10.9 **Selection Procedure**:	The University shall issue admission notification and advertisement will be made in newspapers, etc., and uploaded in the University Website and displayed on the Notice Board of the University before the start of every academic cycle. The list of selected candidates will be uploaded on the university website and displayed on the notice board for information to the candidate. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree Certificate as a proof for required eligibility

criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The Fees is not paid by the due date.
2. The application form is incomplete in anyway.
3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration/Enrollment number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and payment of fees.

10.10 **Fees**: The Course fees shall be as decided by the Board of Management with approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission from time to time.

10.11 **Course Structure and Examination Scheme**: Detail Course Structure and Examination scheme of various specializations shall be prepared by Board of Studies and published at the time of commencement of a course after approval from the Academic Council/Board of Management/ Governing Body and shall be according to the Ordinances, Rules and Regulations as specified hereunder & elsewhere. The University shall follow the UGC, Chhattisgarh Private University Regulatory Commission and other Regulatory body guidelines wherever the same is applicable.

10.12 **Eligibility to Pass**: A student is required to obtain at least 40% Marks in each paper, both in theory and practical Examination separately and 45% in aggregate so as to pass the Semester End/ Year End Examination.

10.13 **Evaluation and Examination**: Refer to Ordinance 51(8)

10.14 **Eligibility Criteria for ATKT**: Refer to Ordinance 51(10)

10.15 **General**: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice Chancellor will be competent to change the system or pattern of Examination confirmed to the norms of the regulatory bodies. The course content is subject to change from time to time.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Raipur and High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE 13 (Revised)

Bachelor of Science (Honors) (B.Sc. (Hons.))

13.1 **Introduction**:	**The course shall be offered in following subjects:** Statistics, Electronics, Physics, Botany, Zoology, Fashion Design and Technology, Engineering Physics, Computational Chemistry, Actuarial Science, Criminology and Forensic Science, Nano Science, Allied Sciences, Computational Physics, Library Science, Information Science, Material Science, Environmental Science, Mathematics, Computer Science, Chemistry, Animation Science and Technology, Anthropology, Nutrition and Dietetics, Biochemistry, Biotechnology, Biostatistics, Micro Biology, Applied Mathematics, Applied Sciences, Medical Laboratory Technology (MLT), Biological Science, Biomedical Engineering, Limnology, Plant Science, Animal Science, Paramedical Science, Soil Science, Geography, Geology, Food Science, Nano Technology, Embryology, Dentistry, Genetics, Molecular Biology, Stem Cells and Cell Biology, Bioethics, Medicinal Chemistry, Medicinal Biotechnology.
13.2 **Title** :	Bachelor of Science (Honors) (Subject) (B.Sc. (Hons.) (Subject))
13.3 **Faculty** :	Faculty of Life Science/Science
13.4 **Duration** :	Three years of six semesters
13.5 **Eligibility** :	10+2 in Science/Life Science discipline with relevant subject as one of the core subjects in class XII with minimum at least 45 % marks from a recognized Board of Secondary Education or an equivalent. In case the seats remain vacant then the minimum required percentage may be lowered by 5% with the permission from the Vice Chancellor. Eligibility for Reserved Category: As per the State government rule from time to time.
13.6 **Seats**:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.

13.7 **Admission Procedure**: As specified in Ordinance No. 1

13.8 **Academic Year**: There will be an academic cycle from July to June. Studies and examinations of this program shall be on the basis of semester system.

13.9 **Selection Procedure**: The University shall issue admission notification and advertisement will be made in newspapers, etc., and uploaded in the University Website and displayed on the Notice Board of the University before the start of every academic cycle.

The list of selected candidates will be uploaded on the university website and displayed on the notice board for information to the candidate.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree Certificate as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The Fees is not paid by the due date.
2. The application form is incomplete in anyway.
3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration/Enrollment number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and payment of fees.

13.10 **Fees**: The Course fees shall be as decided by the Board of Management with approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission from time to time.

13.11 **Course Structure and Examination Scheme**: Detail Course Structure and Examination scheme of various specializations shall be Prepared by Board of Studies and produced at the time of commencement of a course after approval from the Academic Council/Board of Management/ Governing Body and shall be according to the Ordinances, Rules and Regulations as specified hereunder & elsewhere.

The University shall follow the UGC, Chhattisgarh Private University Regulatory Commission and other Regulatory body guidelines wherever applicable.

13.12 **Eligibility to Pass**: A student is required to obtain at least 40% Marks in each paper, both in theory and practical Examination separately and 45% in aggregate so as to pass the Semester End/ Year End Examination.

13.13 **Evaluation and Examination**: Refer to Ordinance 51(8)

13.14 **Eligibility Criteria for ATKT**: Refer to Ordinance 51(10)

13.15 **General**: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice Chancellor will be competent to change the system or pattern of Examination confirmed to the norms of the regulatory bodies. The course content is subject to change from time to time.
In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Raipur and High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE 16 (Revised)
MASTER OF SCIENCE (M. Sc.)

16.1 **Introduction** : Under these courses the specializations will be offered in selected science subjects at Post-graduation level and advance knowledge will be imparted in the chosen subject which will lead to teaching, research and/or industrial profession. In addition to conventional subjects like Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Criminology and Forensic Science, Environmental Science, and some newer subjects such as Nano science and Technology, Information Technology, Biotechnology, Microbiology, Bio-informatics, Biochemistry, Biostatistics, Engineering Physics, Allied Sciences, Computational Physics, Library Science, Information Science, Material Science, Computational Chemistry, Actuarial Science, Applied Mathematics, Applied Sciences, Animation Science and Technology, Anthropology, Nutrition and Dietetics, Bio Medical Science, Medical Laboratory Technology, Biological Science, Geography, Geology, Food Science Engineering, Limnology, Plant Science, Animal Science, Paramedical Science, Soil Science, Genetics, Nano Technology, Molecular Biology, Stem Cells and Cell Biology, Bioethics, Medicinal Chemistry, Developmental Biology, Immunology and Biostatistics, Computer Sciences will be undertaken at M. Sc. level.

16.2 **Title** : Master of Science (M. Sc.) in various Discipline

16.3 **Faculty** : Faculty of Life Sciences/Science

16.4 **Duration** : Two Years of four semesters

16.5 **Eligibility** : Graduation in Science/ Life Science discipline with relevant subject as one of the core subjects in graduation with minimum at least 45% Marks. In case the seats remain vacant then the Minimum required percentage may be lowered by 5% with permission from the Vice Chancellor.

Eligibility for Reserved Category: As per the State government rule from time to time.

16.6 **Seats** : The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management/Academic Council from time to time.

16.7 **Admission Procedure:** As Specified in the Ordinance no. 1.

16.8 **Academic Year** : There will be an academic cycle from July to June. Studies and examinations of this program shall be on the basis of semester system.

16.9 **Selection Procedure**: The University shall issue admission notification and advertisement will be made in newspapers, etc., and uploaded in the University Website and displayed on the Notice Board of the University before the start of every academic cycle.

The list of selected candidates will be uploaded on the university website and displayed on the notice board for information to the candidate.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree Certificate as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The Fees is not paid by the due date.
2. The application form is incomplete in anyway.
3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration/Enrollment number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and payment of fees.

16.10 **Course Fee** : The Course fees shall be as decided by the Board of Management with approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission from time to time.

16.11 **Course Structure and Examination Scheme**: Detail Course Structure and Examination scheme of various specializations shall be prepared by Board of Studies and produced at the time of commencement of a course after approval from the Academic Council/Board of Management/ Governing

Body and shall be according to the Ordinances, Rules and Regulations as specified hereunder & elsewhere. The University shall follow the UGC, Chhattisgarh Private University Regulatory Commission and other Regulatory body guidelines wherever applicable.

16.12 **Eligibility to Pass**: A student requires to obtain at least 45% Marks in each paper, both in theory and practical Examination separately and 50% in aggregate so as to pass the Semester End/ Year End Examination.

16.13 **Evaluation and Examination**: Refer to Ordinance 51(8)

16.14 **Eligibility Criteria for ATKT**: Refer to Ordinance 51(10)

16.15 **General**: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice Chancellor will be competent to change the system or pattern of Examination confirmed to the norms of the regulatory bodies. The course content is subject to change from time to time.
In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Raipur and High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE 51 (Revised)

The University Examinations

CHAPTER-I

DEFINITIONS:

1.1 "Academic Program" means a program of courses and/or, any other component leading to the award of a Bachelor's degree, Master's degree, Post-graduate and Graduate diplomas, M. Phil, Ph.D. Degrees and certificates.

1.2 "Academic Year" means a period of nearly 12 months devoted to the completion of requirements specified in the Scheme of Teaching and the related examinations.

1.3 "Semester System" means a program wherein each academic year is apportioned into two semesters each of six months.

1.4 "Course" means a component of the academic program, carrying a distinctive code no. and specific credits/Marks assigned to it.

1.5 "External Examiner" means an examiner who is not in the employment of the University or its institutions/departments/

1.6 "Internal Examiner" means an examiner who is in the employment of the University or its Institutions/ Departments. It Includes, in the case of theory paper, an examiner including a paper setter, who is a teacher of the University, Departments/ or Institution of the University. In the case of practical and viva -voce examination, an examiner who is a teacher in the University, Departments, Study Centers or Institution whose candidates are being examined at that examination center.

1.7 "Co-Examiner" means a co-examiner in a written paper other than the paper setter.

1.8 "Student" means a person admitted to the Departments of the University for any of the academic programs to which this Ordinance is applicable.

1.9 "Regular Candidate" means a person who has pursued regular course of study in the University Teaching Department and seek admission to an examination of the University as such.

1.10 "Ex-student" means a candidate who was admitted to an examination as a regular candidate and was not declared successful thereat or was not able to appear in the examination though admission card was correctly issued to him

by the University and seeks admission again to the said examination.

1.11. "ATKT Candidate" means a candidate who is allowed to keep terms and has not succeeded to secure passing marks in any paper/papers in the Semester Examination and is appearing in the Examination of same semester again which is organized with the next Semester Examination.

1.12. "Subsequent ATKT Candidate" means a candidate who is allowed to keep terms and has not succeeded in getting passing marks in the paper / papers in the Semester End Examination and has again not succeeded to get passing marks in that Examination organized with the next Semester End Examination, and now is appearing for the next time to clear those paper(s) in the Examination of the same semester organized for the students by the University as ATKT Examination.

1.13 "A Regular course of study" means a regular course of study in a University Teaching Department or Institutes in each subject which a candidate intends to offer for an examination.

1.14 The students shall have to fulfill the following requirement of attendance as follows:

(i) In case of faculties other than the faculties of Ayurveda and Engineering, attendance of at least seventy-five percent of lectures and practical is required, separately.

(ii) In case of the Faculty of Engineering attendance of at least eighty-five percent of lectures and practical/ sessional work is required, separately.

1.15 "Forwarding Officer" means the Head of the Faculty / Institute / Department where the candidate had pursued a regular course of study as a regular student or was a regular student and wants to appear in an examination as an Ex-Student.

1.16 "Attested" means attested by the Forwarding Officer.

1.17 "University" mean ITM University.

Chapter – II

2. University Examination

2.1 The University shall hold examinations for all such academic programs as are approved by the Academic Council and as it may notify from time to time for awarding Bachelor's/Master's degrees, Under-graduate/Post-graduate diploma and certificates, as the case may be, as per the prescribed Schemes of Teaching & Examinations and Syllabi as are approved by the Academic Council.

2.2 Examinations of the University shall be open to regular students and Ex-students.

Provided that the Academic Council may allow any other category of candidates to take the University Examination for any specified academic program subject to the fulfillment of such conditions as may be laid down by the Academic Council from time to time, in consonance with after obtaining approval of Council.

2.3 No person who has been expelled or rusticated from the University only or has been debarred from appearing at the University Examination shall be admitted to any Examination during the period for which the sentence is in operation.

Provided further that, a student may be debarred from appearing in the semester/Year end examination due to shortage of attendance and other reasons as provided in any other Ordinance of the University.

3. PROGRAMMES CONTENT & DURATION

3.1 A Bachelor's/Master's degree, M. Phil Degree and Under-graduate Post-graduate diploma programs shall comprise of a number of courses and/or, other components as specified in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi of the concerned program, as are approved by the Academic Council. Each course shall be assigned a weightage in terms of specified Credits/Marks from time to time.

3.2 The minimum period required for completion of a program shall be the program duration as Specified in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi for the concerned program.

3.3. The maximum permissible period for completing a program shall be governed by Ordinance No. 1 clause 2.14.

4. SEMESTER

4.1 An academic year shall be apportioned into two semesters. Each of the two semesters shall be of a working duration of about 23 weeks.

The Academic Calendar shall be notified by the University each year, before the start of Academic session.

4.2 The academic break-up of the semesters devoted to instructional work shall be as here under:

a)	Imparting of instructions and/or, laboratory work (Including Class Tests)	-	19	Weeks
b)	Preparation Leave	-	01	Week
c)	Semester end Examination, including Practical/ Laboratory Examination	-	03	Weeks

5. Submission of Internal Marks

The results of assignments, Class tests and attendance shall be submitted to the Controller of Examinations at least ten days before the commencement of Semester End examination. The internal marks shall carry prescribed weightage of Class test, Assignments and Attendance.

6. Admission to the University Examination

6.1 All the students for appearing in the examination shall have to fill up the prescribed examination form and forward it to the controller of Examinations through the Head of the Faculty/Head of the concerned Institution/Department.

6.2 While forwarding the applications of the Regular Students, the Head of the Faculty/the Head of the Institution or Department concerned shall certify:

(i) that the candidate has satisfied him by producing the Certificate from a competent authority that he/she has passed the Examination, which qualifies him/her for admission to the next Examination.

(ii) that the candidate has studied a regular course of study for the period prescribed and that he/she fulfills attendance requirements.

(iii) that his/her conduct is satisfactory.

6.3 Application along with the Receipt for the payment of the prescribed Examination fee as set out in these Ordinances submitted by the examinee, for permission to appear in the Examination shall have to reach the office of the Controller of Examinations on or before the stipulated date.

6.4 A candidate may be permitted by, the Controller of Examinations / Registrar, to submit his/her Application form for semester Examination along with the Examination Fee with the prescribed Late Fee not later than 7 days of the prescribed last date.

6.5 Application for ATKT Examinations, from an examinee wherever applicable, shall have to reach the office of the Controller of Examinations/Registrar within 30 days of the announcement of the result through the forwarding officer of the concerned University Teaching Department.

6.6. Application for appearing in Subsequent ATKT Examination, from an examinee shall have to reach the Office of the Controller of the Examination at least 30 days before the commencement of the regular Semester End Examination through the Head of the Faculty/the Head of the concerned Department, in the prescribed form mentioning therein :-

(i) The subject or subjects in which he/she is required to present himself/herself for the Examination.

(ii) Evidence of having been admitted to the Examination earlier and its result.

(iii) An ex-student shall offer the subjects or optional papers which he/she had previously opted as a regular candidate unless on account of a change in the scheme of Examination the subject / paper opted by him earlier ceases to be a part of the scheme of Examination or syllabus or he is permitted by the University to offer different subject or paper, in its place.

(iv) An Ex-Student will be required to appear in the Examination in accordance with the existing syllabus of the concerned course/subject.

Every ex-student shall appear from the Examination center from where the regular candidates of the Faculty/ Department/ Institute in which he/she had pursued a regular course of study is appearing.

Provided that the Controller of Examination may, for sufficient reasons, require or allow a candidate to change his / her Examination center.

6.7 No regular candidate shall be admitted to an examination of the University unless he / she:

(i) has been enrolled as a student in the University Teaching Department/Institute in accordance with the provisions of the Ordinances.

(ii) possesses the minimum academic qualification for admission to the examination to which he/she seeks admission and has pursued a regular course of study for that examination.

(iii) satisfies all other provisions, applicable to him/her, of this Ordinance and any other Ordinances governing admission to the examination to which he/she is seeking admission.

6.8 Where a candidate offers an additional subject for an examination in accordance with the provisions of the Ordinance, the minimum attendance requirement shall apply equally in case of such additional subject.

6.9 In computing the attendance for fulfillment of the condition regarding persuasions of a regular course of study.

(i) Attendance at lectures delivered and practical/clinical/ sessional, if any, held during the academic session shall be counted.

(ii) Attendance kept by a regular· candidate in a higher class shall be counted towards percentage of attendance for the examination of the lower class to which he /she may revert as a result of his/her failure to pass in the second/ATKT examination.

6.10 A candidate shall not be admitted into the Examination Hall unless he/ she produces the Admission Card before the Superintendent of the Examination center or the Invigilator or satisfies such Officers that it shall be produced. A candidate shall produce his Admission Card whenever required by the Superintendent or the Invigilator.

6. 11 In the Examination Hall, the candidate shall be under the disciplinary control of the Superintendent of the center and he/she shall obey his/her instructions. In the event of a candidate' disobeying the instructions of the Superintendent or his undisciplined conduct or ignorant behavior towards the Superintendent or any Invigilator or any person associated with the conduct

of examination the candidate may be excluded from that day's Examination and if he/she persists in misbehavior he may be excluded from the rest of the Examinations by the Superintendent of the Examination. The Superintendent of the Examination will send a detail report of the action and the reasons leading to such action to the Controller of the Examination/Registrar on the same day.

7. Attendance

7.1 A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the University, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject will be at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear in the Examination.

Provided that the Academic Council may, in special circumstances, condone any shortage in such attendance except otherwise provided by the Academic Council.

7.2 A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C./N.S.S. camp and parades. participation as a member of the' University team in any inter or intra University competition, participation on the University functions and the prescribed educational tours / field trips / field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the Teacher-in-charge, is sent to the Head of the Faculty/ Department concerned within two weeks of the function / activity etc.

7.3. Provided further in case of sickness / medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official doctor of ITM University/Institute/Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment /hospitalization or within two weeks following recovery. Wherever the student is falling short of attendance and on satisfactory explaining the reason for the same to the respective head of the department, would be given additional assignments to be submitted by the student to enable him to be assessed by the respective department for his internal evaluation.

8. EVALUATION & EXAMINATION

8.1 The overall weightage of a course in the Syllabi and Scheme of Teaching &

Examination shall be determined in terms of credits/Marks assigned to the course.

8.2 The evaluation of students in a course shall have two components unless specifically stated otherwise in the Scheme of Teaching 8: Examination and Syllabi:

(i) Evaluation through a semester-end examination

(ii) Continuous evaluation by the teacher(s) of the course.

8.3 Continuous Evaluation:

COURSE COMPONENTS: Bachelor's degree/ Under Master's degree/Graduate/ diploma / Post graduate diploma

(i) Theory Courses: The teacher's continuous evaluation shall be based on the following:

Parameter	**Mark Assigned:**
1) Class Test / Mid Term	**50% Weightage**

2) Other Parameters like Assignments, Presentation, Attendance, Class Participation, Group Discussion, Behavior, Viva Voce or Any Other **Rest 50% of the Weightage is to be decided by the department. Subject teacher in consultation with Head of the Department / Faculty can chose parameters for continuous evaluation (Internal Assessment) for his subjects.**

*Maximum three class tests shall ordinarily be held after 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks of teaching and a midterm examination in accordance with the University Academic Calendar.

(ii) Practical/Laboratory Courses:

The teachers' continuous evaluation shall be based on performance in the laboratory, regularity, practical exercises/assignments, Total Internal Marks, quizzes, etc. The assessment shall be given at three nearly equi-spaced intervals.

8.4 ASSIGNMENTS

(i) The Issue, submission and evaluation of assignments will be the responsibility of the Heads of the Faculty or respective Departments. He shall maintain complete honesty in preparation and evaluation of the assignments.

(ii) The entire class shall be divided in groups. Each group will be given a separate assignment with minimum commonality.

(iii) A minimum of two assignments per subject per semester will be given to the students.

(iv) Each student will be required to defend his, assignment after submission through

a process of presentation / viva-voce.

(v) Assignments will be prepared as per a standard format, approved by the Academic Council from time to time specific to different departments.

(iii) Students will be required to submit the assignments within two weeks from the date of issue.

(iv) Assignments submitted after the due date will not be assessed for more than 50% marks.

8.5 DISSERTATION/THESIS

For dissertation/thesis for Master's degree programs, wherever specified in the syllabus, the evaluation shall be done and marks awarded by a Committee comprising 'of an internal' examiner, who will ordinarily be the supervisor, and one or more external examiners. The weightage of internal examiner shall be 30%, and that of external examiner(s) shall be 70%. The examiners shall be appointed by the Vice-Chancellor, out of panel of three or more names suggested, as specified in this Ordinance.

The University shall have the right to call for all the records of teacher's continuous evaluation and moderate the teacher's evaluation, if it deems fit in any specific case(s).

8.6 Evaluation through a semester-end examination

		Bachelor's degree/ Under-graduate Diploma	Master's degree/ Post-graduate Diploma
A.	THEORY COURSES		
	(i) Semester end examination	70%	70%
	(ii) Continuous evaluation by the teachers	30%	30%
B.	PRACTICAL/LABORATORY COURSES		
	(i) Semester end examination	70%	30%
	(ii) Continuous evaluation by the teachers	30%	30%
C.	Dissertation/thesis		
	(i) Assessment by External Examiner	70%	70%

(ii) Assessment by Internal Examiner 30% 30%

D. For any other component of a program not covered by the above, the weightage shall be prescribed by the Board of Studies ratified by Governing Body.

9. APPOINTMENT OF AMANUENSIS

9.1 An amanuensis shall be allowed in case of:

(i) Blind Candidates; and

(ii) The candidates, who are disabled due to an accident or disease and are unable to write with their own hands.

*Candidates under clause 9.1 above shall have to produce a medical certificate from the Medical Officer or the Doctor under whom he/ she had treatment or any other authorized officer in the name of ITM University.

9.2. The Controller of Examinations, on receiving an Application from the candidate on medical ground before commencement of Examination, will approve the appointment provided that such amanuensis must not be of same or higher semester; however amanuensis has to be arranged for by the respective student availing the facility and shall inform the Superintendent of Examination concerned.

9.3 The amanuensis shall be a person of a lower qualification than the candidate concerned.

9.4 The Superintendent of Examination shall arrange for a suitable room for the disabled candidate and appoint a Special Invigilator from the list supplied by the office of the Controller of Examinations.

9.5 One extra hour will be given to the blind candidates for exams of 3 hrs. duration.

9.6 The remuneration to the amanuensis (if any) shall be given by the concerned student availing the facility.

10. Eligibility Criteria for ATKT candidate.

10.1 The following shall be eligible to appear at ATKT examination:

(i) Candidate who has not succeeded in securing passing marks in any paper of any Semester / Year End Examination in which he has appeared after submitting the duly filled examination application form to the Examination

Department on time against the notification of the examination schedule declared by examination department after fulfilling all the norms making him/ her eligible to appear the exam that he intends to, failing which, the student shall be declared fail and has to lose a year before getting chance to appear in that particular examination.

University follows the concept of (N-4) system for courses of 4 years and 5 years, whereas university follows the concept of (N-3) system for courses of 3years or less. It is therefore candidates will not be declared Fail and will be promoted till Semester IV under (N-4) system and candidates will not be declared Fail and will be promoted till Semester III under (N-3) system.

In keeping with the concept of (N-4) system, a candidate would be eligible to be promoted to fifth or higher semester only on a condition if numbers of total backlog papers are not more than as given in the table below:

Semesters	Permissible backlog and semester wise division of backlog papers			
	1st Sem	2nd Sem	3rd Sem	4th Sem
5th Semester	3	NA	NA	NA
6th Semester	3	3	NA	NA
7th Semester	3	3	3	NA
8th Semester	3	3	3	3

And similarly, will progress for semester 9th and 10th for 5 years program.

A Candidate directly admitted in third semester through lateral entry after passing diploma shall not be admitted in fifth and higher semester examination if numbers of total backlog papers are more than as given in the table below:

Semesters	Permissible backlog and semester wise division of backlog papers			
	1st Sem	2nd Sem	3rd Sem	4th Sem
5th Semester	All Compliance papers of sem 1		NA	NA
6th Semester	All Compliance papers of sem 2		NA	NA
7th Semester	3	3	3	NA
8th Semester	3	3	3	3

And similarly will progress for semester 9th and 10th for 5 years program.

Similarly, in keeping with the concept of (N-3) system, a candidate shall be eligible to be promoted to fourth or higher semesters only on a condition as given below:

Admission to Semester IV	If no backlogs in Semester I
Admission to Semester V	If no backlogs in Semester I & II
Admission to Semester VI	If no backlogs in Semester I II & III

* N is the N^{th} Semester where N > 4 and N > 3 wherever as and when applicable.

(ii) Candidate for examination those enumerated in (i) above who are declared eligible to appear at an ATKT examination in accordance with the provisions of the respective Examination Ordinance

10.2 In the case of subject ATKT examination in which there is also a practical test, a candidate shall be required to appear in the written papers only if he has passed at the main examination in practical and in practical only if he has passed in the written papers. A candidate who has failed both in written paper and practical shall be examined in both the parts of the subject, failing in practical and theory papers will be taken as failure to pass in two different papers.

10.3 Except when otherwise provided in this Ordinance a candidate who has been declared eligible for ATKT examination may appear as ATKT examination candidate in the next examination immediately following the examination in which he was declared to be eligible and thereafter he shall be required to appear in all the papers at the next examination.

10.4 A candidate appearing in the ATKT Examination shall be declared to have passed the examination if he/she secured the minimum pass marks in the subject or group as the case may be except when provided otherwise in this examination Ordinance. The marks obtained by the candidate in the ATKT / Semester End Examination shall be taken into account in determining the final division obtained by the candidate at the examination.

10.5 In case a candidate fails to pass his ATKT examination in first attempt, he/she will be provided more attempts as per above point 10.1 (i) known as Subsequent ATKT Examination for that particular Candidate, to pass those papers of that particular semester, whenever it is conducted by the University. These ATKT examinations will be termed as 1^{st} ATKT, 2^{nd} ATKT, 3^{rd} ATKT and so on subsequence ATKT Examination.

10.6. If such a candidate fails to pass his papers even in the last permissible attempts of Subsequent ATKTs then he/she shall cease to be a student of the University.

CHAPTER-III

II. Conduct of University Examinations

11.1 All University examinations shall be conducted by the Controller of Examinations under the direct control and supervision of the Registrar.

11.2 The schedule of examination shall be notified by the Controller of Examinations at least 14 days prior to the first day of the commencement of the University examinations.

11.3 For theory as well as practical examinations and dissertation / thesis / project report / training report all examiners shall be appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice-Chancellor.

11.4 Provided that the Vice-Chancellor may, at his discretion, delegate his authority for approval of the examiners. The Board of Management shall determine, in consultation with the Academic Council, the Centers of Examination in accordance with the provisions of the Act and the Controller of Examination shall, in consultation with the centers, which have been declared as examination centers, appoint Superintendent and Assistant Superintendents (if any), for each examination center and shall issue instructions for their guidance. Provided that for the purpose of appointment of an Assistant superintendent at a center, the minimum strength of examinees appearing there-from shall be at least 300.

(i) The Superintendent of the Examination at each center shall be personally responsible for the safe custody of question papers and the answer-books sent to him and shall render to the University office a complete account of used unused papers and answer books.

(ii) The Superintendent shall supervise the work of invigilators working under him and shall conduct the examination strictly according to the instructions issued to him by the University.

11.5 The University may change the examination center or the examination time if it deems proper without assigning any reason.

11.6 The University may from time to time appoint Board of Quality Auditors to see that the examinations are conducted strictly in accordance with rules and procedures lay down. In the event of the Quality Inspector pointing out a breach of rules or procedure, the Vice-Chancellor may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part of the examination at the center, and if any such action is taken report of the action taken shall be made to the Board Of Management at its next meeting.

11.7 It shall be the duty/of the center superintendent to ensure that an examinee is the same person who has filled in the form of application for appearing at the examination, by way of checking the photograph pasted on the form.

11.8 The Superintendent of the Examination shall, whenever necessary, send a confidential report to the Controller of the Examination about the conduct of the Examination, mentioning therein the performance of the invigilators and the general behavior of the examinees. He shall send a daily report on the number of the examinees attending each of the examinations, absentees roll numbers and such other information relating to the Examinations being held at the center as may be considered necessary, along with any other matter which he thinks fit to be brought to the notice of the University. He shall also be responsible for the maintenance and submission to the Controller of the examination, of the account of advance money received and expenditure incurred in connection with the conduct of the Examinations.

11.9 The center Superintendent shall have the power to expel an examinee from examinations on subsequent examination days on any of the following grounds:

(i) That the examinee created a nuisance or serious disturbance at the examination center.

(ii) That the examinee showed a seriously aggressive attitude towards an invigilator or a member of the staff entrusted with the examination work.

(iii) If necessary, the Superintendent may get police assistance. When a candidate is expelled, the Controller of the Examination shall be informed immediately.

(iv) Unless otherwise directed, only teachers of University Teaching Departments shall be appointed as Invigilators by the Superintendents. Invigilators can also be drawn from other educational institutions, if so required

(v) No Examinee shall leave the Examination Hall within half an hour of the start of the Examination for any purpose whatever and no late comer will be permitted in the Examination Hall after half an hour of its commencement.

(vi) Examinee desirous of leaving the Examination Hall temporarily shall be permitted to do so for a maximum period of 5 minutes.

11.10 The Vice Chancellor may cancel an examination at all centers if he is satisfied that there has been leakage of question papers or any other irregularity which in his Opinion warrants such a step and reports the action taken at the next meeting of Board of Management.

11.11 The Board of Management, in consultation with the Academic council, may issue such general notices for the conduct of examination as they may feel required for its smooth conduct.

11.12 If a candidate has any communication to make on any discrepancy in the papers, he /she shall address it to the Controller of Examinations or Registrar but he / she shall not be allowed not to take the examination or leave it in between in any kind of anticipation of a favorable outcome of his/her communication.

11.13 For programmes being run in the university Departments, recommendations for names or examiners shall be obtained from the concerned Boards of Studies. Where there is an exigency and the Board of Studies cannot meet the Chairman Board of Studies may recommend the names stating clearly why the meeting of Board of Studies could not be convened.

11.14 In emergent situations where for some reason the recommendations cannot be obtained from the Board of Studies/ Program coordinator / Head of the Faculty/Department/Principals is stipulated above, recommendations may be obtained from one of the Academician from the university nominated by the Vice-Chancellor.

11.15 The Controller of Examinations/Registrar shall be authorized to add one or more names in the panel of examiners received by him from Boards of Studied Program Coordinator / Head of the Faculty/ Department / Principals/ authorized academician before the list is submitted to the Vice Chancellor for approval.

11.16 After the receipt of the question paper(s) from the paper setter, the same shall be moderated by the moderator (s) who are to be appointed subject wise by the Registrar/Controller of Examination with the approval of Vice Chancellor. Controller of Examination shall ensure that minimum of three question papers duly moderated in each subject are available.

11.17 The Examiner appointed by the Controller of Examination, out of the approved panel for setting the Question paper shall set the Question paper, using the last year question papers wherever applicable, as a guide for the format of the question paper only if the pattern of the question/ paper is not changed by the Academic Council. The question paper shall be set out of the entire syllabus of a course.

11.18 Any attempt made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his / her examination, shall be reported to the Controller of Examination 'who shall place the same before the Vice-Chancellor for further necessary action.

11.19 Except as otherwise decided by the Examination committee, the examination answer books and the foil and counter foil of the marks obtained by the examinees except the tabulated results shall be destroyed or otherwise disposed of after 2 years from the date of declaration of the results of the examination provided that the evaluated answer books of revaluation shall be destroyed/disposed of only after 2 years of the declaration of the revaluation result.

11.20 The Controller of Examination shall publish the combined results of the University examination on the notice board of the office of the University in addition to its official website. The result when published shall simultaneously be communicated to the institutions concerned.

11.21 The remuneration of the question paper setters, answer scripts, evaluators, examiners, Superintendents, Assistant Superintendents, Invigilators, Tabulators and Collators and the deductions to be made in the remuneration for errors noticed shall be such as may be prescribed from time to time by the Examination committee.

11.22 Where a student applies for revaluation, the answer books of the subjects in which the revaluation is sought will be sent to an examiner other than the one who evaluated it initially. The examiner so appointed will check and evaluate all the questions. He will also check the total. The marks of the student will be changed only if the difference in the marks of previous evaluation and the marks of re-evaluation is more than 10% or the student is passing the examination or division is changing even when the aforesaid difference is not of more than 10%.

11.23 Provided that such an examiner doing revaluation will receive remuneration as prescribed by the Board of Management.

11.24 No candidate shall appear, in more than one-degree examination or in more than one subject for the Master's degree in one and the same year.

11.25 No person who has been expelled or rusticated from any college or any University or has been, debarred from appearing at a University examination shall be admitted to any examination during the period for which the sentence is in operation.

11.26 Notwithstanding anything contained in the Ordinances relating to admission of candidates to an examination of the University, the Vice -Chancellor may, in special cases in which he is satisfied that the delay in submitting the application for admission to an examination is not due to lack of attentiveness or negligence on the part of the candidate and that it would be a great hardship to the candidate if his application is rejected, allow an application which is otherwise complete in all respects to be entertained with the late fee

as prescribed by the Board of Management from time to time even though the same is received after the expiry of the period of fifteen days mentioned in the foregoing paragraph.

11.27 (1) A Candidate shall not be admitted into the Examination hall unless he/she produces a valid admission card duly issued to him / her by the Controller of Examination. The Controller of Examination shall issue an admission card in favor of a candidate if: -

(i) The application of the candidate is complete in all respects.

(ii) The fee as prescribed has been paid by the candidate.

(iii) The attendance is more than 75%.

11.28 Where the practical examination is held earlier than the examination in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the theory examination until he is issued an admission card for appearing in the examination.

11.29 The admission card issued in favor of a candidate to appear at an examination may be withdrawn if it is found that:

(i) The admission card was issued by mistake, or the candidate was not eligible to appear in the examination.

(ii) Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in or with the application for enrolment, admission to the University, Faculty or Department is false, fake or incorrect.

11.30 The Controller of Examination may, if he is satisfied that an admission card has been lost or destroyed, grant a duplicate admission card on the Payment of a fee prescribed. Such a card shall show in a prominent place the word "Duplicate".

11.31 Any candidate who has appeared at an Examination conducted by the University may apply to the Controller of the Examination for the scrutiny of his marks. In the answer scripts of theory papers in any subject and rechecking of his results. Such application must be made so as to reach the Controller of the Examination in the prescribed format within 15 working days of the publication of the result of the Examination.

11.32 The result of the scrutiny will be communicated to the candidate.

11.33 Duplicate copy of the following certificate shall be granted on payment of the fee as mentioned in the other ordinance of the University.

11.34 Provided further, the duplicate copy of the Migration Certificate, Degree, Diploma shall not he granted except in cases in which the Vice-Chancellor is satisfied by the production of an affidavit on a stamped paper of proper value required by law for the time being in force that the applicant has not utilized the original documents for appearing at an examination and has lost the same or that the same has been destroyed and that the applicant really need a duplicate copy. Duplicate copy shall be issued only once.

11.35 The names of the first ten successful candidates in the order of merit in each final Degree Examination other than ATKT examination obtaining first division shall be placed in the merit list.

11.36 Notwithstanding anything contained in the concerned ordinance an examinee who has appeared in all the theory papers, practical viva, internal assessment, field work project work at the end-semester examination as a regular candidate and fails by a total of not more than five marks in not more than one subject in any of the Theory examinations may be given a grace of maximum up to five marks so as to enable him to pass the examination.

11.37 Semester-end practical examinations shall be conducted by a Board of Examiners for each course. The Board shall consist of one or more examiners. Where practical examinations are to be conducted simultaneously in a number of institutions, more than one Board may be appointed. One of the examiners in that case may be designated as Head Examiner. The Head Examiner shall draw the guidelines for the conduct of examinations to be followed by various Boards to ensure uniformity of evaluation.

11.38 For any other type of examination, not covered by here in above, the mode of conduct of examination shall be as specifically provided in the syllabus/scheme of examination and in the absence of such a provision shall be decided by the Controller of Examinations on the recommendation of the Board of Studies/Coordination Committee concerned, with the approval of the Vice-Chancellor.

11.39 The results of a semester (including both the semester-end examinations and teacher's continuous evaluation) shall be declared by the Controller of Examination. However, after scrutiny of the detailed result, if it is observed by Controller of Examination that there has been a distinct change of standard in the examination as a whole or in a particular course, he may refer the matter to the Moderation Committee, specially constituted for the purpose by the Vice Chancellor.

11.40 The award list containing the marks obtained by a student in various courses shall be issued by the Controller of Examinations, at the end of each semester, after the declaration of the result.

CHAPTER-IV

12. CRITERIA FOR PASSING COURSES, MARKS AND DIVISIONS

12.1. For Under Graduate students, obtaining a minimum of 40% marks in each paper that includes the marks of semester-end/term end/year end examination and the marks of teacher's continuous evaluation is necessary; however, for an undergraduate student, securing minimum 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the semester /course and earning its assigned credits. An undergraduate candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and/ or less than 45% of marks in grand total in a semester shall be declared to have failed in that semester /course.

12.2 A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for rechecking of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Rechecking shall mean verifying whether all the questions and their parts have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the result as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

12.3 For Post graduate students, obtaining a minimum of 45% marks in aggregate in each paper that includes the marks of semester-end/term end/year end examination and the marks of teacher's continuous evaluation is necessary; however, for a post graduate student, securing minimum 50% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the semester /course and earning its assigned credits. A post graduate candidate who secures less than 45% of aggregate marks in a paper and/ or less than 50% of marks in grand total in a semester shall be declared to have failed in that course.

12.4 For Under Graduate & Post graduate Diploma Courses students, obtaining a minimum of 35% marks in each paper that includes the marks of semester-end/term end/year end examination and the marks of teacher's continuous evaluation is necessary; however, for a diploma student, securing minimum 40% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the semester /course and earning its assigned credits. A diploma candidate who secures less than 35% of aggregate marks in a paper and/ or less than 40% of marks in grand total in a semester shall be declared to have failed in that semester/ course.

12.5 Further the successful candidates will be placed in Divisions as below:

First Division with Distinction: A candidate obtaining, at the end of the program, 75% Marks in aggregate and above shall be placed in First Division with Distinction provided the candidate clears all the paper in the 1st attempt.

First Division: A candidate obtaining at the end of the program 60% Marks and above but below 75 % Marks shall be placed in the First Division.

Second Division: An undergraduate & Diploma candidate obtaining at the end of the program 45% Marks and a post graduate candidate obtaining 50% marks and above but below 60% Marks shall be placed in Second Division.

Pass Division: A UG / PG Diploma candidate obtaining at the end of the program 40% Marks and above but below 45% Marks shall be placed in Pass Division.

12.6. There shall be a provision for grace marks for the students failing a paper by a narrow margin. In case a student is failing in theory paper by such deficiency, maximum 5 marks may be awarded to him/her as grace marks to pass that paper. Grace marks shall not be more than 5. Grace marks shall be awarded in only one of all the theory papers of a Semester End/ Year End Examination.

This facility shall be available only to those candidates who clear that particular Semester / Year End Examination in full (i.e. in all theory, practical and sessional in first attempt) by availing 5 Grace Marks.

12.7 In case the division of a student improves from II to I or from I to Distinction by awarding him / her maximum 1 grace mark then the Vice Chancellor may award such mark. If he is awarded a such award of marks shall be separately mentioned in the Marks Sheet of the Student. This benefit will not, however, be available to a candidate getting advantage under clause 12.6.

12.8 No grace marks shall be awarded in other than theory papers and to ATKT/Supplementary student.

12.9 While declaring result of the candidate, no marks shall be added to or subtracted from the aggregate for the deficiency condoned as in 12.6. However, he/she will pass the courses (subjects) cleared through clause 12.6 after condoning the deficiency, the candidate's result shall be declared in the division, for which the aggregate obtained by him/ her entitles.

13. Declaration of Result

The Examination Committee shall be responsible for the declaration of the result. In this regard the functions of the Examination Committee shall be as follows:

To scrutinize and approve the results of the examinations conducted by the University after satisfying itself that the results on the whole and in various subjects are in conformity with the usual standards and to recommend to the Vice Chancellor the action to be taken in any case where the result is unbalanced.

To scrutinize the complaints against the question papers and to take necessary action.

To decide cases of candidates whose answer books were lost in transit.

To exercise such other powers as the Academic Council may delegate to it from time to time.

(i) A candidate whose result has been declared may apply to the Controller of Examination in the prescribed format within fifteen days & 30 days with late fees of Rs. 500 or as decided by the Examination Committee from the time of the declaration of his / her result for the revaluation of any answer books/ rechecking of marks or results.

Provided that in case of revaluation no candidate shall be allowed to have more than two papers revalued.

Provided also that, no revaluation shall be allowed in case of scripts of practical, field work, sessional works, tests. thesis & Project Work submitted in lieu of a paper at the Examination.

(ii) The candidates applying for revaluation of their answer scripts will have to deposit the prescribed fees which will be decided by the Examination Committee from time to time.

NOTE: If any action is to be taken against any Examiner, center Superintendent or Invigilator the matter shall be referred to the Board of Management with the recommendation of the Examination Committee.

14. Use of Unfair Means & Misbehavior:

14.1 No candidate shall bring with him/her in the Examination Hall any book, paper, notes electronic gadgets or other Materials which may be used by

him/her in connection with the Examination, nor shall he/she communicate to or receive from-any other candidate or person any information in the Examination Hall.

14.2 No candidate shall note or write anything on the blotting paper or Question Paper or on any other object/Material, except the answer book supplied to him/her.

14.3 No candidate shall assist or receive assistance from any other candidate or person at an Examination or make use of any dishonest or unfair means in connection with the Examination.

14.4 Any matter pertaining to a candidate who has been detected cheating or making use of any dishonest or unfair means in connection with an Examination shall be reported to the Controller of Examinations by the Superintendent of Examinations or through him by an invigilator or an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Committee for consideration which may, if satisfied that the facts alleged are true and disclose premeditation on the part of the candidate, disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding three years.

14.5 Any candidate detected using unfair means in an Examination Hall shall be reported to the Controller of Examinations by the Superintendent of Examinations or through him by an Invigilator or by an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Committee for consideration which may if satisfied that the facts alleged are true, but do not disclose any premeditation, disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding two years.

14.6. Any candidate bringing any book, paper, notes or other Material to the Examination Hall shall be reported to the Examination Committee for consideration by the Controller of Examinations, as reported by, the Superintendent of Examinations or through him by all invigilator or by an Official of the University, as the case may be, and the Examination Committee may, if satisfied that the facts alleged are true but that the candidate has made and use thereof, disqualify the candidate from passing that Examination.

14.7 Any candidate, who in the opinion of the Superintendent of Examinations is guilty of misconduct in the Examination Hall, other than the misconduct within the meaning of the aforesaid sub-clause 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of this Ordinance, may be expelled by the Superintendent of Examinations for that Paper and shall be reported to the Examination Committee by the Controller of Examination. The said Committee may, if satisfied that the allegations are true, shall disqualify him/her from the Examination for the year.

14.8 In case any Examinee attempts to influence the Examiner or Officials related to Examination then it would be treated as an offence and shall attract punishment. Such a case shall be reported to the Examination Committee by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Committee may, if satisfied that the allegations are true, shall disqualify the candidate from the Examination and debar him/her from appearing at any Examination for a period not less than one year.

14.9 Any candidate found guilty of seeking ways and means or harassing or pressurizing or using or threatening to use force to make any Superintendent of Examinations or Invigilator Or any Official of the University desist from his duties relating to the conduct of Examination shall be deemed to have used unfair, means and indulged in gross misconduct. Such a case shall be reported to the Examination Committee by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Committee may, if satisfied that the allegations are true, disqualify the candidate from passing that Examination and/or expel her from the University and declare him /her to be not a fit and proper person to be admitted to any future Examination of the University.

14.10 Any candidate who has been punished under Sub-clause 4, 5, 6, 7, 8 and 9 above, shall not be admitted to any Course as a Regular Student. Such a candidate may be allowed to appear at the next year's Examination only, in which he/she is entitled to appear as an Ex-Student after the expiry of the punishment period.

14.11 If a candidate acts in a violent manner or uses force or makes a display of force towards the superintendent or any invigilator at the center or in its precincts endangering the personal safety of either of them or acts in a manner likely to prevent the authorities in the proper discharge of their duties, the superintendent may expel the candidate from the center and he may take police help.

14.12 If a candidate brings any weapon within the precincts of the examination center, he may be expelled from the center and/or handed over to the police by the superintendent of examination.

14.13 A candidate expelled on any of the grounds mentioned in 14.10 & 14.12 above will not be allowed to appear in the subsequent papers.

14.14 In every case where action is by the superintendent under 14.10, 14.12, 14.14 above, a report shall be sent to the University and the Executive Council may, according to the gravity of the offence, further punish a candidate by canceling his examination and/or debarring him appearing at any of the Examination of the university for one or more years after giving the candidate an opportunity to show the cause and considering any explanation submitted by the candidate.

14.15 In case, a person, who is not a bona-fide candidate, is found to be taking an Examination on behalf of a bona-fide candidate, it will be assumed that this impersonation is being done at the instance and with the connivance of the bona-fide candidate and action against such person and such bona-fide candidate would be taken as under:

(i) The bona-fide candidate, who did not take the Examination himself/herself shall be debarred from pursuing any course of studies or from appearing at any Examination of the University in future and he/she may be handed over to the Police for appropriate action.

(ii) In case, the person, who has impersonated the bona-fide candidate, is a student of the university, he/she shall be debarred from taking any Examination of the University in future and he/she may be handed over to the Police for appropriate action.

(iii) If the person, who has impersonated the bona-fide candidate, is not a student of the University, he/she may be handed over to the Police for appropriate action.

14.16 In case, a candidate is appearing at the Examination for improvement of Division or Percentage of Marks and is found to be using unfair means, the result of his/her Examination in the Paper(s) in which he/she has already appeared, would also be cancelled in addition to the action that might be taken against him/her for using unfair means, while reappearing for improvement of his/her Division/ Percentage of Marks.

14.17 Any punishment imparted on the erring student shall be following due consideration of the defense presented by him/her.

14.18. The Superintendent of an examination center shall take action against an examinee who is found using or attempting to use unfair means in the examination hall or within the premises of the examination center during the hour of examination in the following manner:

i) The examinee shall be called upon to surrender all the objectionable materials found in his or her possession including the answer book and a memorandum shall be prepared with date and time.

ii) The Statement of the examinee and the Invigilator shall be recorded.

iii) The examinee shall be issued a fresh answer book marked 'Duplicate Answer Book' to attempt answer within the remaining time prescribed for the examination.

iv) All the Materials so collected and the entire evidence along with a statement of the examinee and the answer book duly signed shall be forwarded to the Registrar by name in a separate confidential sealed registered packet marked Unfair means along with the observation of the Superintendent.

v) The Material so collected from the examinee together with both the answer books, viz. the answer book collected while using unfair means and the 'Duplicate Answer Book' supplied to the Examiner by the Registrar for assessing both the answer books separately and to report if the examinee has actually used unfair means in the light of the material evidences collected from him and the statement of the invigilator and the Superintendent.

vi) The cases of the use of unfair means at the examination as reported by the center Superintendent along with the report of the Examiner shall be examined by the Examination Committee. The committee shall after examining the cases, decide the action to be taken in each case and report it to the Board of Management through competent authority.

vii) A candidate found talking during the examination hours shall be warned not to do so. If the candidate continues to do so in spite of the warning by the invigilator, the matter shall be treated as unfair means

for an action, the answer book of such examinee shall be withdrawn and a duplicate answer book shall be supplied.

14.19 If a candidate is found guilty of using or attempting to use or having used unfair means at an examination such as copying from some book or notes or from the answer of some other candidate or helping or receiving help from any other candidate or keeping with him in the Examination hall Material connected with the examination or in any other manner whatsoever, the Examination Committee or the Committee appointed for the proposed by the Examination Committee may cancel his examination and also debar him from appearing at any of the examination of the University for one year or more years according to the nature of the offence.

14.20 The Examination Committee may cancel the examination of a candidate and/or debar him from appearing at any examination of the university for one or more years. If it is found afterwards that the candidate was in any manner guilty of misconduct in connection with his examination and/or was instrumental and/or has abetted the tempering of university records including the answer book, mark sheet, rule charts, diplomas and the like.

14.21 The Examination Committee may cancel the examination of a candidate and / or debar him from appearing at any examination of the university for in or more years, if it is found afterwards that the candidate had obtained admission to the examination by misrepresenting the facts or by submitting forged certificates/documents.

14.22 All the records of Examination and results except the written answer books shall be retained by the University for a maximum period of three years from the date of declaration of results of the concerned examination.

15. Students' Grievances Committee

In the case of any written representation / complaints received from the students within seven days after the completion of the examination regarding question paper etc. along with specific recommendations of the Head of the Faculty/ Department, Director of the Institution, the same shall be considered by the Students' Grievances Committee to be constituted by the Vice Chancellor. The Vice Chancellor shall take appropriate decision on the recommendation of the Students' Grievances Committee before the declaration of result(s) of the said examination.

CHAPTER - V

16. Appointment of Examiners

16.1 The Office of the Controller of Examination shall prepare for every subject an institution wise list of names of persons qualified for appointment as examiners. The list shall be in two parts, the first part containing the names of persons working as teachers in the University teaching Department in the Institution identified as centers of the University and the second part containing names of persons other than the teachers of the University qualified for appointment as examiners.

16.2 The list shall contain as far as possible information relating to the persons included therein on the following points namely:

(i) The academic qualifications and teaching experience at Undergraduate and post graduate levels.

(ii) The field of specialization.

(iii) The name of the examinations of the University and years in which they have acted as examiners in the past.

16.3 The list so prepared shall be made available to the Examination Committee, as constituted under Section 14 of the First Statutes.

16.4 The office of the Controller of Examinations shall also give the Examination Committee the approximate number of candidates expected to appear at each examination center and the list of centers of each practical / Viva - examination together with the estimated number of candidates thereat.

16.5 The examination committee shall in the light of the provisions of the following paragraphs recommend:

(i) A panel of three names for the appointment of the paper - setter for each written paper.

(ii) A list of names of persons for appointment as co-examiners, where necessary, in excess of the number to be appointed.

(iii) A list of names of persons for appointment as examiners in each practical / Viva- Voce examination. The names included in the list shall be sufficient for the conduct of practical / Viva- Voce examination at different centers.

16.6 The Vice-Chancellor shall appoint paper-setters, co-examiners, practical/viva-voce examiners ordinarily from amongst persons recommended by the examination committee. He may however, appoint a person whose name is not included, in the list of names recommended by the examination committee if he is satisfied that the person in question possesses minimum qualification and his appointment will not be contrary to the provisions of the following paragraphs.

16.7 The qualification of the paper - setter and Co - Examiners shall be as follows namely.

A) Paper-setter:

Sl. No.	Examination	Qualification
1	i) Post-Graduate examination in all the Faculties other than Law	(i) Experience of teaching the subject at post graduate level for at least Five Years. OR Experience of teaching the subject at the post graduate level for at least five years, together with research experience/total teaching experience at the degree and/or post graduate level for at least seven years/Industry experience of seven years.
2	ii) LLM	(ii) Master's degree or higher degree in law and teaching experience at LL.M. level for at least five years. OR Experience as High Court Judge. OR Standing of at least ten years at the Bar and in possession of LLM Degree.
3	iii) Degree examination in all Faculties other than Engineering, Technology, Law, Medicine	(iii) Teaching the subject at Undergraduate and/or Postgraduate level for at least five years.
4	iv) Degree examinations in Faculties of Engineering and Technology	(iv)Teaching Experience at UG/Post graduate level and/Professional experience of at least three years. OR Five years of professional experience.
5	v) Degree examination in the Faculty of Medicine & Dentistry	(v) Teaching experience in the subject at the degree and/ post graduate level for at least three years. OR

		Five years of professional experience.
6	vi) LLB	(vi) Teaching experience of LLB and/or LLM classes for at least three years. OR Judicial experience as District Judge for at least 5 Years. OR Standing of at least ten years at Bar.
7	vii) Diploma examination in all faculties other than those in Medicine, Dentistry and post Graduate Diploma examination in Business Administration.	(vii) Teaching experience of at least three years of Degree and five years of Diploma classes.
8	viii) Diploma examination in the Faculty of Medicine and Dentistry	viii) A Doctor's or Master's Degree or a post graduate Diploma of a recognized University or equivalent qualification in the subject and at least five years teaching experience in the subject in any university or College recognized by the Medical Council of India.
9	ix) Post-Graduate Diploma in Business Administration	(ix) At least five years teaching experience at the degree level or Post-Graduate classes in the subject.
10	x) Degree in Pharmacy	(x) At least master Degree in Pharmacy with 3 years teaching experience.
11	xi) Degree in Nursing	(xi) At least a Master's Degree in Nursing with 2 years practical/teaching experience.

16.8 Co-Examiners

The qualification shall be the same as for the paper-setters but the minimum teaching/professional experience required may be less by two years than that prescribed in the case of the paper-setters.

Provided that in case of degree examination where sufficient number of internal co-examiners, in a subject with the aforesaid qualification is not available, teacher in the University Colleges, Departments and Institutions of the university with at least three years teaching Experience at the degree/Post-graduate level in the subject shall be eligible for appointment as Co-examiners.

16.9 i. In case of practical and Viva-Voce examinations at the Post-Graduate level, external examiner shall be a person not below the rank of an Asst. Professor.

ii. In case of practical and viva-Voce examination at the degree level the external examiners shall be a teacher of the subject with not less than three years' experience of teaching the subject at the degree and/or post graduate level.

iii. The internal examiner in case of practical examination both at the degree and the post- graduate level shall be appointed from amongst the teachers of the Institution, whose regular candidates are to be examined at the center on the recommendation of the Head of such Institution.

iv. The external examiner at the post-graduate level in case of Practical/Viva-Voce examination shall not ordinarily be a teacher of the University Department/College.

v. Except in the Faculties of Medicine, Dentistry, Engineering Technology and Education, all external examiners in case of practical examination at the first-degree level shall, as far as possible, be appointed from amongst the teachers of the institutions or centers of the University.

17. Ordinarily 50% of the paper setter at the post-graduate and first-degree examination in any subject shall be from outside the university.

18. Where in for any paper, if more than one examiner is appointed the paper setter shall be the Head Examiner. Examiners other than the paper setter shall be the co-examiners.

19. All Co-examiners shall be internal, provided that if sufficient number of qualified teachers in a subject is not available for appointment as co-examiners, external co-examiners may be appointed.

20. For appointment as Paper-setter and co-Examiners, the teachers in the University Department and Colleges and center of the University shall ordinarily be considered on the basis of seniority, subject to fulfillment of other conditions for such appointment.

21. Ordinarily at least two paper setters shall be appointed for every subject. They shall necessarily belong to different centers.

22. Ordinarily not more than one paper setter shall be appointed from any University Department or Institute or Center in the same subject at any one examination.

23. No one who is a paper setter at any post graduate examination shall be appointed as an external Viva-Voce examiner in that examination.

24. No on one shall ordinarily be given more than two external practical examination-ships provided that in case of center where the total strength of candidates

appearing at years I, II, and III of a first degree examination is less than 120, one external examiner may be appointed for all the three examinations.

25 In case of under graduate practical examinations one external examiner shall not ordinarily examine more than 120 candidates.

26. In case of written examination an examiner shall not ordinarily evaluate more than 250 scripts and a co-examiner shall be appointed if the number of candidates appearing in the paper is more than 300.

27. While recommending name for examiner in courses where English is not the sole medium of examination, the Examination - Committee shall ensure that the examiners recommended can evaluate the scripts written in Hindi also.

28. The provision of sub-clause (27) above shall not apply in case of Examination in the faculties of Engineering, Technology, Education, Medical, Dentistry, Pharmacy, Nursing, etc.

29. Examiner shall be appointed for the examination of duration of one year only but they shall be eligible for re-appointment.

30. Any person who has acted as an examiner, paper-setter Co-examiners or external Viva-Voce examiner for three consecutive years shall ordinarily not be eligible for re-appointment until a period of one year elapses between the year in which he/she last acted as an examiner and the year in which he is re-appointed.

Provided that such a gap will not be necessary in case of internal examiners if the number of available eligible examiners in the subject concerned is less than the number of internal examiners required.

Provided that on the recommendation of the Examination Committee, a specialist or expert may be continued for two more years after the expiry of the three years period, without a gap.

31. An examiner may be discontinued any time before the expiry of the three-year period if in the opinion of the Examination Committee, his work is found-to be unsatisfactory.

32. An examiner's work shall be deemed to be unsatisfactory if

(i) Mistakes of such nature are found in his work in the course of checking and scrutiny which affect the result or

(ii) He / She is found by the Examination Committee to have delayed the work without good cause or

(iii) There is an adverse report from the Head Examiner, or

(iv) In the opinion of the Examination Committee, there are reasonable doubts about his/her integrity.

(v) If there are serious complaints against his/her paper e.g. that this paper was much above or below the standard or contained questions outside the prescribed course or the branch or any such condition prescribed by the Examination Committee.

33. The paper-setter shall lay down a memorandum of instructions for the guidance of the co-examiners so that the latter may be in conformity with standard of the former in the evaluation of the answer-books.

34. If for any reason an examiner is unable to evaluate the answer-books or to perform the duties of the Head Examiner after setting the question paper, he shall be entitled to receive only one-half of the amount of remuneration for paper setting and the balance shall be payable to the examiner who performs, the duties of the Head Examiner subsequently.

Provided that if the paper-setter dies before he is able to take up or complete the evaluation of the answer books, full fee prescribed for paper setting shall be paid to his legal heirs.

35. In any subject if a Viva-Voce Examination is prescribed a board of two examiners of whom one shall be an external examiner and the other the internal examiner shall conduct the same.

36. In the case of Examinations like MBA, M.Com., M. Phil., MA etc. where a thesis is permissible in lieu of a paper or a project there shall be a Board of two examiners for evaluating the thesis. The maximum number of marks for the thesis shall be equally divided between the two examiners each of whom shall mark the thesis independently. If the evaluations of these two examiners differ by 20%, the thesis shall be referred to the third examiner, (other than a teacher of the University) who shall award mark out of half of the maximum marks for the thesis. The aggregate of two (of the three) awards nearest to each other and to the best advantage of the candidate shall be taken as the correct evaluation.

37. In case of an examination for a research degree, the Examination Committee shall recommend for each thesis to be examined by a panel of at least six persons out of

which at least two persons shall belong to an outside University, whether in India or Abroad.

38. The panelists:

(i) shall possess a Doctoral degree in the subject and have at least ten years teaching experience at the post graduate level or research experience.

(ii) are scholars of repute in the subject.

39. No person shall act as a paper-setter or examiner either in theory, viva-voce or practical examination, if any of his relations is taking the examination provided that this provision shall not debar from acting as an examiner for practical at a center other that at which his relation is appearing.

40. No person shall act as moderator or tabulator for any examination if any of his relations is appearing or has appeared at that examination.

41. Notwithstanding the provisions contained in these ordinances, the Vice-Chancellor in consultation with the Academic Council and the Examination Committee may in so far as that particular examination is concerned modify all or some of the rules to meet the constraints.

ORDINANCE 58

Bachelor of Commerce (Honors) (B. Com. (Hons.))

58.1 **Title** : Bachelor of Commerce (Honors) (B. Com. (Hons))

58.2 **Faculty** : Faculty of Commerce and Management

58.3 **Duration** : Three years of Six Semesters

58.4 **Eligibility** : 10+2 in commerce/Science/Life Science discipline from a recognized Board of Secondary Education or an equivalent there to.

58.5 **Seats** : The basic unit will be that of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up.

58.6 **Admission Procedure**: As Specified in the Ordinance no. 1.

58.7 **Academic year** : There will be an academic cycle from July to June. Studies and examinations of this program shall be on the basis of semester system.

58.8 **Selection Procedure:** The University shall issue admission notification and advertisement will be made in newspapers, etc., and uploaded in the University Website and displayed on the Notice Board of the University before the commencement of every academic cycle. The list of selected candidates will be uploaded on the University Website and displayed on the notice board for information to the candidate.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree Certificate as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The Fees is not paid by the due date.
2. The application form is incomplete in anyway.
3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration/Enrollment number will be assigned to the

student by the university after verification & submission of all the necessary documents and payment of fees.

58.09 **Fees**: The Course fees will be as decided by the Board of Management with approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission time to time.

58.10 **Course structure and Examination Scheme**: Detail Course Structure and Examination scheme of various specializations shall be prepared by Board of Studies and published at the time of commencement of a course after approval from the Academic Council/Board of Management/ Governing Body as per the Ordinances, Rules and Regulations as specified hereunder & elsewhere.

The University shall follow the UGC, Chhattisgarh Private University Regulatory Commission and other Regulatory body guidelines wherever the same is applicable.

58.11 **Eligibility to Pass**: A student is required to obtain at least 40% Marks in each paper, both in theory and practical Examination separately and 45% in aggregate so as to pass the Semester End/ Year End Examination.

58.12 **Evaluation and Examination**: Refer to Ordinance 51(8)

58.13 **Eligibility Criteria for ATKT**: Refer to Ordinance 51(10)

58.14 **General**: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of Examination confirmed to the norms of the regulatory bodies. The course content is subject to change from time to time.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Raipur and High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE 59

Bachelor of Optometry (B. Optom.)

59.1	**Introduction**:	Optometry is an independent profession in eye care. Its practice includes a complete examination of the visual system required for the estimation of refractive errors. It also covers the Fitting, manufacturing and supplying of spectacles, contact lenses and all other optical aids. An optometrist is a primary health care professional who is institutionally educated and clinically trained in the art and science of optometry. Optometry practice includes a complete examination of the visual system required for the estimation of refractive errors. It also covers the Fitting, manufacturing and supplying of spectacles, contact lenses and all other optical aids. Career Opportunity, Chain of franchised superstores (Retail Optical Stores), Independent Private Practice, Partnership or Group Practice, Community Health Centers, Home Maintenance Organizations (HMOs), Hospitals (Private and Public), Manufacturers of Ophthalmic Products Insurance Companies and Industrial Safety Consultants, Academia & Research, World Health Organization and other related organizations
59.2	**Title**:	Bachelor of Optometry (B. Optom.)
59.3	**Faculty**:	Faculty of Life and Allied Sciences
59.4	**Department:**	Department of Optometry
59.5	**Duration**:	Four years of eight semesters
59.6	**Eligibility**:	10+2 in Biology stream with minimum 45 % marks. In case the seat remains vacant then the minimum required percentage might be lowered by 5% with permission of from the Vice Chancellor. Eligibility for Reserved Category: As per the State government rule from time to time.
59.7	**Seats**:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
59.8	**Admission Procedure**:	As specified in Ordinance No. 1

59.9 **Academic Year**: There will be an academic cycle from July to June. Studies and examinations of these Programs shall be on the basis of semester system.

59.10 **Selection Procedure**: The University shall issue admission notification and advertisement will be made in newspapers, etc., and uploaded in the University Website and displayed on the Notice Board of the University before the commencement of every academic cycle. The list of selected candidates will be uploaded on the University Website and displayed on the notice board for information to the candidate.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree Certificate as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The Fees is not paid by the due date.
2. The application form is incomplete in anyway.
3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration/Enrollment number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and payment of fees.

59.11 **Fees**: The Course fees will be as decided by the Board of Management with approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission time to time.

59.12 **Course Structure and Examination Scheme**: Detail Course Structure and Examination scheme of various specializations shall be prepared by Board of Studies and published at the time of commencement of a course after approval from the Academic Council/Board of Management/ Governing Body and shall be according to the Ordinances, Rules and Regulations as specified hereunder & elsewhere.

The University shall follow the UGC, Chhattisgarh Private University Regulatory Commission and other Regulatory body guidelines wherever the same is applicable.

59.13 **Eligibility to Pass**: A student is required to obtain at least 40% marks in each paper, both in theory and practical Examination separately and 45% in aggregate so as to pass the semester End/ Year end examination

59.14 **Evaluation and Examination**: Refer to Ordinance 51(8)

59.15 **Eligibility Criteria for ATKT**: Refer to Ordinance 51(10)

59.16 **General**: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final; however, on the recommendation of the Academic Council, the Vice Chancellor will be competent to change the system or pattern of Examination confirmed to the norms of the regulatory bodies. The course content is subject to change from time to time.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Raipur and High Court of Chhattisgarh

ORDINANCE 60

Bachelor of Architecture (B. Arch.)

60.1 **Introduction**: The First degree in Architecture of five-year (Ten Semester) course, hereinafter called, 5-YDC, shall be designated as Bachelor of Architecture acronymed as B.Arch. The course shall confirm to the norms set out by Council of Architecture and other concerned regulatory bodies. The integrated full time degree course shall be conducted in two phases: - Phase I and Phase II. Phase I shall comprise 8 semesters and Phase II shall be comprising 9th and 10th Semester which would be of mandatory professional training evaluated by a viva-voce examination at the end of 10th Semester.

60.2 **Title**: Bachelor of Architecture (B. Arch.)

60.3 **Faculty**: Faculty of Design

60.4 **Department:** School of Architecture Planning and Design

60.5 **Duration**: Five Years of Ten Semesters

60.6 **Eligibility**:

60.6.1 The minimum qualification for admission to the first year of B. Arch. shall be the passing of Higher Secondary School Certificate Examination (10+2) scheme with Mathematics as one of the subjects with at least 50 % marks conducted by C.G. Board of Secondary Education or any equivalent examination from a recognized Board or University.

60.6.2 Candidates who have passed the Diploma courses (10+3years or 12+2 years) in any branch of Engineering from C.G. Board of Technical Education or equivalent shall also be eligible for admission to third semester of B. Arch. Courses.

60.6.3 Non-Resident Indian candidates shall also be eligible for admission to B. Arch. Course as per government directives provided, they satisfy the criteria laid down in clause 6.1 above.

Eligibility for Reserved Category: As per the State government rule from time to time.

60.7 **Seats**: The basic unit will be as approved by Council of Architecture in each specialization. Multiple of this unit can also be set up as per the approval by the statutory body.

60.8 **Admission Procedure**: The University shall issue admission notification and advertisement will be made in suitable media and displayed on the University Web site and displayed on the notice board of the university before the commencement of every academic cycle.

The eligible candidates should secure a place in the list of successful candidates of a Common Entrance Test held by any National/ state bodies recognized for conducting entrance test or the entrance test conducted by the University for Admission to 1st Year of B. Arch. courses. Admission shall be given on merit basis.

60.9 **Academic Year**: There will be an academic cycle from July to June. Studies and examinations of these Programs shall be on the basis of semester system.

60.10 **Fees:** The Course fees shall be as decided by the Board of Management with approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission time to time.

60.11 **Course Structure & examination Scheme**: Detail Course Structure and Examination scheme of various specializations shall be prepared by Board of Studies and published at the time of commencement of a course after approval from the Academic Council/Board of Management/ Governing Body following guidelines of Architecture Council of India.

60.12 **Eligibility to Pass**: A student is required to obtain at least 40% Marks in each paper, both in theory and practical Examination separately and 45% in aggregate so as to pass the Semester End/ Year End Examination.

60.13 **Eligibility for the degree:** A candidate shall be eligible for the award of the degree of the Bachelor of Architecture (B.Arch.) only if the candidate:

(i) Has undergone the prescribed programme of study by securing the minimum percentage of marks specified in the curriculum of the relevant programme of study within a maximum permissible duration.
(ii) Has no dues to the Institution, Library, Hostels, etc.
(iii) Has no disciplinary action pending against him/her.

60.14 **Evaluation and Examination**: Refer to Ordinance 51(8)

60.15 **Eligibility Criteria for ATKT**: Refer to Ordinance 51(10)

60.16 **General**: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final; however, on the recommendation of the Academic Council the Vice Chancellor will be competent to change the system or pattern of examination confirmed to the norms of the regulatory bodies. The course content is subject to change from time to time.
In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Raipur and High Court of Chhattisgarh

ORDINANCE 61

Master of Optometry (M. Optom.)

61.1	***Introduction:***	*Optometry is an independent profession in eye care. Its* practice includes a complete examination of the visual system required for the estimation of refractive errors. It also covers the Fitting, manufacturing and supplying of spectacles, contact lenses and all other optical aids. An optometrist is a primary health care professional who is institutionally educated and clinically trained in the art and science of optometry. Optometry practice includes a complete examination of the visual system required for the estimation of refractive errors. It also covers the Fitting, manufacturing and supplying of spectacles, contact lenses and all other optical aids. Career Opportunity, Chain of franchised superstores (Retail Optical Stores), Independent Private Practice, Partnership or Group Practice, Community Health Centers, Home Maintenance Organizations (HMOs), Hospitals (Private and Public), Manufacturers of Ophthalmic Products Insurance Companies and Industrial Safety Consultants, Academia & Research, World Health Organization and other related organizations
61.2	**Title:**	Master of Optometry (M – Optom.)
61.3	**Faculty:**	Faculty of Life and Allied Sciences
61.4	**Department:**	Department of Optometry
61.5	**Duration:**	Two years of Four semesters
61.6	**Eligibility:**	Graduate in Optometry with Optometry as core subject with minimum 50% marks. In case the seats remain vacant the minimum percentage required for admission may be lowered by 5% only with the permission from the Vice Chancellor. Eligibility for Reserved Category: As per the State government rule from time to time.
61.7	**Seats:**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.

61.8 **Admission Procedure**: As specified in Ordinance No. 1

61.9 **Academic Year**: There will be an academic cycle from July to June. Studies and examinations of this Program shall be on the basis of semester system.

61.10 **Selection Procedure**: The University shall issue admission notification and advertisement will be made in newspapers, etc. and uploaded in the University Website and displayed on the Notice Board of the University before the commencement of every academic cycle. The list of selected candidates will be uploaded on the Website and displayed on the notice board for information to the candidate.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree Certificate as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The Fees is not paid by the due date.
2. The application form is incomplete in anyway.
3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration/Enrollment number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and payment of fees.

61.11 **Fees**: The Course fees will be as decided by the Board of Management with approval from PURC time to time.

61.12 **Course Structure and Examination Scheme**: Detail Course Structure and Examination scheme of various specializations shall be prepared by Board of Studies and produced at the time of commencement of a course after approval from the Academic Council/Board of Management/ Governing Body and shall be according to the Ordinances, Rules and Regulations as specified hereunder & elsewhere. The University shall follow the UGC, C.G.-PURC and other Regulatory body guidelines wherever the same is applicable.

61.13 **Eligibility to Pass**: A student requires to obtain at least 45% marks in each paper, both in theory and practical Examination separately and 50% in aggregate so as to pass the semester End/ Year end examination

61.14 **Evaluation and Examination**: Refer to Ordinance 51(8)

61.15 **Eligibility Criteria for ATKT**: Refer to Ordinance 51(10)

61.16 **General**: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final; however, on the recommendation of the Academic Council the Vice Chancellor will be competent to change the system or pattern of Examination confirmed to the norms of the regulatory bodies. The course content is subject to change from time to time.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Raipur and High Court of Chhattisgarh.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.